# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2026, को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

## प्रश्नकाल

## तारांकित प्रश्न

**27.03.2026/1100/DT/AG-1**

**अध्यक्ष :** प्रश्न काल आरम्भ।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष :** आप प्रश्न काल के बाद अपना विषय रख लेना। ...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर :** सर, मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

**अध्यक्ष :** ठाकुर साहब, प्रश्नकाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान) I am not allowing anybody. ...(व्यवधान) ये भी हाथ खड़ा कर रहे हैं।...(व्यवधान) Please take your seats. ...(व्यवधान) अभी प्रश्न काल ही होगा। ...(व्यवधान) आप अपना प्रश्न छोड़ना चाह रहे हैं परंतु हम नहीं चाहते कि आप अपना प्रश्न न पूछें। Now this is our property, nor yours property. This is the Vidhan Sabha property. Now, question is Vidhan Sabha property. आप प्रश्न पूछिए उसके बाद मैं आपको अपना विषय रखने के लिए समय दूंगा। ...(व्यवधान) मैं प्रश्न काल के बाद आपको अपना विषय रखने का समय दूंगा। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, आप अपना प्रश्न पूछिए। ...(Interruption) Please take your seats. Nothing is going on record. I am not allowing anybody to speak.

**भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।**)

**प्रश्न संख्याः 3810**, माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर जी। प्रश्न संख्याः 3810, माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर जी। ठाकुर साहब, क्या आप अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं? ...(व्यवधान) Please take your seats. ठाकुर, साहब आप अभी दूसरा विषय नहीं रख सकते हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए। ...(व्यवधान) आप प्रश्न संख्याः 3810 के अलावा दूसरा विषय नहीं रख सकते। No, no. This is not permitted. Please, switch off the mic. This is not permitted. I am only permitting Question No. 3810. ...(Interruption) आप प्रश्न काल के बाद अपना विषय रखना। ...(व्यवधान) आप प्रश्न काल के बाद शून्य

काल में अपना विषय उठा सकते हैं। ...(Interruption) Please take your seats. I am not allowing anybody. ठाकुर साहब, क्या आप प्रश्न संख्याः 3810

**27.03.2026/1100/DT/AG-2**

नहीं पूछना चाहते? He doesn't want to ask the question. Questions for the day. Question No.

**4091, Shri Pawan Kumar Kajal.** He doesn't want to ask the question again. Next question is 4092. माननीय सदस्य श्री राम कुमार ।

**(विपक्ष के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आए।)**

**प्रश्न संख्याः 4092**

**श्री राम कुमार :** अध्यक्ष महोदय, जब निजी स्कूलों में कोई बच्चा दाखिला लेता है तो उस समय उसका प्रवेश शुल्क लिया जाता है। लेकिन जब वह पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी क्लास में जाता है तो उसका प्रवेश शुल्क बंद करके

Contd. By NG in Hind.

**27.03.2026/1105/ए.जी.-एन.जी./1**

**प्रश्न संख्या : 4092.....जारी श्री राम कुमार..... जारी**

अब इसको एनुअल फीस के नाम पर लिया जा रहा है। मैं इसके कुछ उदाहरण माननीय शिक्षा मंत्री को देना चाहता हूं। कुछ ऐसे सब-स्टैंडर्ड स्कूल हैं जिनके पास न ग्राऊंड है और न ही वे बच्चों को अन्य सुविधाएं दे रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो ऐसे सब-स्टैंडर्ड स्कूल हैं और जो बड़े व अच्छे स्कूल हैं, उनकी एनुअल फीस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये स्कूल अपनी फीस को हर साल बढ़ाते भी रहते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके लिए कोई सीमा तय करेगी कि स्कूल में विभिन्न

सुविधाओं के एवज में इतनी-इतनी फीस ली जाएगी और सब-स्टैंडर्ड स्कूलों में इतनी फीस ली जाएगी?

**शिक्षा मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राम कुमार ने बहुत ही महत्वूपर्ण प्रश्न माननीय सदन में रखा है। वर्तमान में हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनका संचालन H.P. Private Educational Institutions (Regulation) Act, 1997 के तहत होता है। यह भी एक सच्चाई है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से जब फीस से संबंधित बात आती है, तो इस एक्ट में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन इस प्रकार की शिकायतें समय-समय पर विभाग के समक्ष आती रहती हैं और **भविष्य में विभाग इस बात को लेकर अध्ययन कर रहा है कि कई प्रदेश सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कर्नाटका हो या तमिलनाडू हो, वहां पर प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए अपने-अपने कानूनों में संशोधन किए हैं ताकि इस प्रकार से हर वर्ष जो अनावश्यक फीस बढ़ती है, उस पर रोक लगाई जा सके।**

**27.03.2026/1105/ए.जी.-एन.जी./2**

**इस मामले पर हमारा विभाग भी इस पर विचार करेगा कि भविष्य में हमारे इस एक्ट में संशोधन किया जाए ताकि इस प्रकार का शोषण न हो।** इसके अलावा माननीय सदस्य, श्री राम कुमार ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं और जैसे ही मुझे माननीय सदस्य से उन स्कूलों की जानकारी प्राप्त होगी, जहां पर इस प्रकार की फीस हर वर्ष लग रही है, तो विभाग उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा। **वर्तमान में जो हमारा एक्ट है, भविष्य में इस एक्ट में संशोधन लाने की आवश्यकता है ताकि इस पर रोक लग सके।** इसके अलावा आर0टी0ई0 एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बी0पी0एल0 विद्यार्थियों को दाखिला देने का प्रावधान किया गया है लेकिन यह भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। हमारे विभाग द्वारा समय-समय पर इस प्रावधान के प्रति जागरुकता व प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए हैं। हालांकि एक समय ऐसा था जब इस श्रेणी के केवल 650 विद्यार्थी

प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे लेकिन हमने जिस प्रकार से प्रचार-प्रसार किया है कि प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें बी0पी0एल0 व वीकर सैक्शन कैटेगरी के लिए मार्क्ड की गई हैं तो उसका कुछ सकारात्मक परिमाण सामने आया है और 650 की संख्या बढ़कर डबल हो चुकी है। **लेकिन इस ओर अभी बहुत कुछ करना शेष है और कुछ माननीय सदस्य ने सुझाव दिए हैं, भविष्य में इन सभी बातों के लेकर हमारा विभाग आगामी कार्रवाई करेगा।**

**श्री राम कुमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है और मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। बी0पी0एल0 परिवारों के 25 प्रतिशत बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात है और समग्र शिक्षा अभियान के तहत उनकी फीस वहन की जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि इसके बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है और प्राइवेट स्कूलों ने भी अपने भवनों के बाहर इस बात को अंकित नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि बी0पी0एल0 परिवारों के जो इंटेलिजैंट बच्चे हैं, वे अच्छे स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के तहत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

**27.03.2026/1105/ए.जी.-एन.जी./3**

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों के आगे एक बोर्ड लगाया जाए या उनके नोटिस बोर्ड में लिखा जाए कि हमारे शिक्षण संस्थान में 25 प्रतिशत कोटा उन गरीब बच्चों के लिए रखा गया है जो बी0पी0एल0 परिवार के लिए है ताकि उनको इस विषय के संदर्भ जानकारी मिल सके और वे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।

**शिक्षा मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही इस बारे में बात रख दी है और निश्चित रूप से विभाग हर उस बात को लेकर आगे बढ़ेगा जिससे हमारे बी0पी0एल0 परिवार के बच्चों की संख्या बढ़ सके और उन बच्चों को इस कोटे का लाभ मिल सके।

**Speaker:** Next Question No. 4093 - Shri Ashish Sharma. He doesn't want to ask the question.

अगला प्रश्न ....श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**27.03.2026/1110/ए0एस0/ए0पी0/ 01**

**प्रश्न संख्या : 4094**

**श्री आशीष बुटेल :** अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना जो सभा पटल पर आई है, उसके अनुसार चाहे एल0टी0 लाइन का कार्य हो, चाहे केबलिंग वर्क का कार्य हो, या ट्रांसफॉर्मर्स का कार्य हो, इन सभी का कार्य अभी बहुत कम हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आर0बी0एन0एल0 कंपनी है, उसको यह टेंडर कब दिया गया था और इस कार्य को समाप्त करने की क्या कोई समय-सीमा तय की गई थी? यदि इसकी समय-सीमा समाप्त हो गई है, तो इस पर किस प्रकार की कार्रवाई माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की जाएगी?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। काफी समय से आर0डी0एस0एस0 की स्कीम शुरू नहीं हो पाई थी। उसके बाद इसका टेंडर हुआ और टेंडर में इस कार्य को पूरा करने की समय-सीमा 2 वर्ष रखी गई थी। लेकिन समय-सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है। यह कार्य धीमी गति से चला है और इस कार्य को लेकर हमें भी चिंता है। यही नहीं, जब स्मार्ट मीटर, आर0डी0एस0एस0 के नए ट्रांसफॉर्मर लगेंगे, फीड मीटर लगेंगे, तो उससे बिजली का लॉस कम होगा। मैंने इस विषय पर कई बार मीटिंग्स भी की हैं। आपने पालमपुर विधान सभा क्षेत्र का यह विषय मेरे ध्यान में लाया है, मैं इसका ध्यान रखूंगा और निश्चित रूप से जो यह आर0डी0एस0एस0 का टेंडर हुआ है, उसमें किस कारणवश देरी हो रही है, उन सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा।

**श्री आशीष बुटेल** : अध्यक्ष महोदय, इसी स्कीम के तहत जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उनका लोगों द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो ग्रांट हमें भारत सरकार द्वारा दी गई है, यदि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगवाते हैं तो क्या इस ग्रांट को भारत सरकार द्वारा लोन में बदल दिया जाएगा?

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर लगाने की जो यह योजना है, वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इसके सुधारों के लिए केंद्र सरकार हमें धनराशि दे रही है। यदि हम स्मार्ट मीटर और फीड मीटर नहीं लगाएंगे तो हमारी धनराशि में केंद्र सरकार द्वारा कटौती की जाएगी। मेरा मानना है कि इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जो मापदंड तय किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर इन स्मार्ट मीटरों को लगाया जाएगा।

**27.03.2026/1110/ए0एस0/ए0पी0/ 02**

**श्री राम कुमार** : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इन्हें लगाने पर लोगों की बहुत अधिक शिकायतें आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि इन मीटरों को लगाने के बाद उनके घरों में बिजली के बिल काफी अधिक आ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि प्रदेश की कुछ जगहों पर पहले ट्रायल बेसिस पर इन्हें पुराने मीटर के साथ लगाया जाए और इनके यूनिट्स चेक किए जाएं, ताकि लोगों को तसल्ली हो सके। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसका क्या समाधान हो सकता है?

**मुख्य मंत्री** : यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ जगहों पर मीटर रीडिंग्स में फर्क था। लेकिन कई जगहों पर यह भी देखा गया कि मीटर ही बंद पड़े थे जिसके कारण जब उन जगहों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए तो वहां पर अधिक बिल आए। यदि कहीं भी बिल के संबंध में शिकायतें आती हैं तो उपभोक्ता अपने एक्सीयन ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस प्रकार के दिशा-निर्देश मैं इस सदन के माध्यम से देना चाहूंगा। यदि कहीं ऐसा लगे कि बिजली का बिल गलत आ रहा है तो उसे ठीक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस तरह से दिशा-निर्देश जारी किए जाएँगे और यदि किसी को लगता है कि स्मार्ट मीटर के कारण आमतौर पर

अधिक बिल आ रहा है तो उसका आकलन किया जाएगा। यदि स्मार्ट मीटर में कमियां होंगी तो उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी।

**श्री अजय सोलंकी** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आर0डी0एस0एस0 के बारे में जानना चाहता हूं। हमने प्लानिंग की कमेटी में भी आवाज उठाई थी कि आर0डी0एस0एस0 के टेंडर की अवधि लगभग समाप्त होने वाली है। लेकिन अभी मेरे जिले में इसका केवल 15-20 प्रतिशत कार्य ही हुआ है और कंपनी के लोग उन्हीं जगहों पर कार्य करने को प्राथमिकता दे रहे हैं जहां पर सड़कें हैं। जबकि अभी भी आंतरिक इलाकों में कार्य अधूरा है।

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

**27.03.2026./1115/AT/AS /01**

**प्रश्न संख्या 4094 जारी....श्री अजय सोलंकी जारी...**

कंपनी के लोग केवल रोड हेड के कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी भी इंटीरियर इलाकों में आर0डी0एस0एस0 के तहत कार्य नहीं कर रही है। विशेषकर पांवटा डिवीजन के इंटीरियर क्षेत्रों में तो ना के बराबर काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब इसकी अवधि समाप्त हो रही है, तो क्या इसे दोबारा री-टेंडर करने की कोई प्रक्रिया है? अन्यथा जब सरकार आर0डी0एस0एस0 में इतना पैसा खर्च कर रही है तो इस कार्य को तेज करने के लिए क्या कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

**मुख्य मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सही कहा गया है कि आर0डी0एस0एस0 का कार्य बहुत धीमी गति से चला है। मैंने इस विषय पर एक बैठक भी की है और माननीय सदस्य जी ने मुझे दो-तीन बातें ध्यान में भी लाई थी। निश्चित रूप से, इस कार्य को एक्सटेंशन देकर दिसंबर, 2027 तक पूरा करने की तिथि निर्धारित की गई है। मैं चाहूंगा कि काम की गति बढ़ाई जाए। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कंपनी काम तेज़ी से क्यों

नहीं कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करके आगे कार्य में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी।

**प्रश्न संख्या-4095**

**Speaker :** Dr. Janak Raj (He doesn't want to ask the question.)

**27.03.2026/1115/AT/AS /02**

**प्रश्न संख्या-4096**

**श्री कुलदीप सिंह राठौर :** अध्यक्ष महोदय, काफी विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रखी गई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1134 करोड़ रुपये की यह वर्ल्ड बैंक घोषित परियोजना कांग्रेस शासनकाल में श्री वीरभद्र सिंह और श्रीमती विद्या स्टोक्स जी के प्रयासों से शुरू हुई थी। लेकिन पिछले शासन में इसका उचित कार्यान्वयन नहीं हुआ। अगर इस धन का सही उपयोग होता तो हमारी बागवानी बहुत आगे बढ़ सकती थी, जो नहीं हो पाया।

मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि शिलारू में 10 करोड़ रुपये की लागत से बना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार है। मैंने भी वहां दौरा किया है। हालांकि वहां काम शुरू हो चुका है। वहां नर्सरी का उत्पादन हो रहा है और बिक्री भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां पर स्टाफ की है। उद्घाटन को लेकर मेरी मंत्री महोदय से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर में बताया गया है कि 17 पद खाली हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन पदों पर नियुक्ति कब तक की जाएगी, क्योंकि अभी केवल दो या तीन कर्मचारी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। थानेदार से एच0डी0ओ0 वहां आते हैं, जिससे थानेदार का काम भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप कितनी जल्दी इन पदों को भरा जाएगा, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

**राजस्व मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एच0डी0पी0 का वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित योजना थी। जिसका अधिकांश कार्य पूर्व सरकार के समय में हुआ। लेकिन वह संतोषजनक नहीं था और हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बावजूद, जब हमारी वर्तमान सरकार आई, तो हमने आधे-अधूरे कार्यों को पूरा किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में भी मैं कई बार वहां गया हूं और अब यह भवन पूरी तरह से तैयार है। अब केवल इसे चलाने के लिए आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था युक्तिकरण के माध्यम से की जाएगी।

**27.03.2026./1115/AT/AS /03**

भवन के उद्घाटन के साथ ही स्टाफ की तैनाती भी कर दी जाएगी। हम इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को वास्तव में एक उत्कृष्ट केंद्र बनाने जा रहे हैं।

**प्रश्न संख्या -4097**

**Speaker :** Shri Satpal Singh Satti (He doesn't want to ask the question.)

**प्रशन संख्या- 4098 श्रीमती के0एस द्वारा जारी.....**

**27.03.2026/1120/केएस/एचके/1**

**प्रश्न संख्या 4098**

**श्री हरदीप सिंह बावा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न था कि नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उप-तहसील पंजेहरा तथा तहसील रामशहर के भवनों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? इन भवनों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत व व्यय की जा चुकी है तथा कितना निर्माण कार्य शेष है? शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी? जवाब में कहा गया है कि लगभग

50 प्रतिशत काम इसका पूर्ण हो चुका है और निर्माण राशि लगभग 135.27 लाख रुपये उपलब्ध करवा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी से गुज़ारिश है कि उप-तहसील पंजेहरा तथा तह0 रामशहर, ये दोनों तहसीलें वर्ष 2017 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय अपग्रेड हुई थीं और इनके भवन का निर्माण माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से, इनके कर-कमलों द्वारा शुरू हुआ है। लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि सरकार की तरफ से इन भवनों के निर्माण हेतु शेष राशि इस वित्तीय वर्ष में जारी कर दी जाए ताकि इन भवनों को जनता को समर्पित किया जा सके। उप-तहसील पंजेहरा अभी भी पटवारखाना पंजेहरा में चल रही है। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही गुजारिश है।

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी, यह सही है कि धन के अभाव के कारण 50-60 परसेंट ही बिल्डिंगें पूर्ण हुई हैं,उनका कार्य हम पूर्ण नहीं करवा पा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से जिनके पास वित्त विभाग भी है, निवेदन करुंगा कि ऐसी बिल्डिंगों को पूर्ण करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाएं ताकि हम शीघ्र इनका कार्य पूर्ण करवा सके।

**27.03.2026/1120/केएस/एचके/2**

**प्रश्न संख्या : 4099**

**अध्यक्ष :** श्री बलबीर सिंह वर्मा (He doesn't want to ask the question.)

**प्रश्न संख्या : 4100**

**अध्यक्ष :** श्री दीप राज (Neither on the seat nor he wants to ask the question.)

**प्रश्न संख्या : 4101**

**अध्यक्ष :** श्रीमती अनुराधा राणा (Satisfied)

**प्रश्न संख्या : 4102**

**अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र शौरी** (Neither on the seat nor he wants to ask the question.)

**27.03.2026/1120/केएस/एचके/3**

**प्रश्न संख्या 4103**

**श्री मलेन्द्र राजन :** अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि हमारे इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज की दो स्कीमें प्रस्तावित हैं।

**श्री मलेन्द्र राजन :** अध्यक्ष महोदय, हमारे इन्दौरा शहर की सीवरेज की योजना बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने पिछले दिनों भी यहां पर चर्चा की थी कि बाढ़ के कारण हमारे इन्दौरा टाउन में निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण वहां पर लोगों का काफी नुकसान हुआ था। दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि वहां पर हैंडपंम स्थापित करने की योजना भी नाबार्ड के तहत प्रस्तावित की गई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी से यह भी आग्रह करुंगा और आश्वासन भी चाहूंगा कि इन योजनाओं को सरकार से स्वीकृत करवाकर शीघ्र इनका कार्य शुरू करवाया जाए। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा क्योंकि हमारे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र की ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**27.03.2026/1125/av/hk/1**

**प्रश्न संख्या : 4103------- क्रमागत**

**श्री मलेन्द्र राजन------ जारी**

इनके लिए शीघ्र ही बजट उपलब्ध करवाकर इनका कार्य शुरू किया जाए। मैं यह पूछना चाहूंगा कि इनको कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

**उप-मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र में सिवरेज की दो परियोजनाओं की डी0पी0आर्ज0 तैयार हो चुकी हैं। उनमें से एक की कॉस्ट 12.54 करोड़ रुपये है और दूसरी की 32.21 करोड़ रुपये है। इसी तरह से हैण्ड पम्प्स के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये की योजनाएं बन चुकी हैं। इनके निर्वाचन क्षेत्र में कुल 60 स्कीम्ज हैं जिन पर 165 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। उनमें से 17 स्कीम्ज का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और 43 स्कीम्ज का कार्य अभी चल रहा है। उन पर 120 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है और अब 44 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस बजट में तो 9 करोड़ रुपये का प्रावधान था। अगले बजट में अगर इसके लिए धन का प्रावधान हो जाता है तो इस बारे में माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी से बात कर लें। अगर बाकी का पैसा मिल जाता है तो हम आपकी योजनाएं पूरी कर देंगे। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले वर्ष शून्य बजट था। उसके लिए कोई पैसा नहीं आया है और वह हम केंद्र से मांग रहे हैं। **इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास जैसे ही पैसा आएगा तो आपकी बाकी 43 ऑन गाईंग स्कीम्ज को भी पूरा किया जाएगा।**

**प्रश्न संख्या : 4104**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य सर्वश्री सुख राम चौधरी, रणधीर शर्मा और प्रकाश राणा। (not interested)

**27.03.2026/1125/av/hk/2**

**प्रश्न संख्या : 4105**

**श्री केवल सिंह पठानिया :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विभाग ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है परंतु शाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर बरनेट-घेरा सड़क जोकि हिज़ होलीनैस दलाई लामा जी की मोनेस्ट्री के लिए एक अल्टरनेट रूट है जिस पर इन्होंने कुछ पैसा खर्च भी किया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। परंतु मैं यह भी चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में जिस तरीके से इनका जवाब आया है, एक तो उस सड़क के लिए बजट का प्रावधान करें। दूसरी मेरी जो रिड़कमार-सल्ली सड़क का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम चला है, उसका शेष काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

**लोक निर्माण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने यह प्रश्न तीन भागों में किया है। इसके पहले चरण में जिस सड़क के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त करनी चाही है वह बरनेट-घेरा सड़क है। इसकी कुल लम्बाई 3 किलोमीटर्ज हैं और इसके लिए 2.17 करोड़ रुपये की ए0ए0 एण्ड ई0एस0 हुई है। इसके लिए लगभग 50 लाख रुपये का बजट प्रावधान भी किया है जोकि पर्याप्त नहीं है। **इस वित्तीय वर्ष में हम इसके लिए उचित बजट का प्रावधान करवाएंगे ताकि इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके।**

इन्होंने दूसरा प्रश्न एन0एच0ए0आई0 से संबंधित पूछा है। इसके अंतर्गत नागाबाड़ी में किसी भी अण्डरपास/वर्टिकल ब्रिज का प्रावधान नहीं है और वहां पर नालियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे दिनांक 30.09.2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सिहुनी से राजोल खण्ड के अंतर्गत मझग्रां में PUP (Pedestrian Underpass) का निर्माण फोरलेन कार्य के साथ-साथ किए जाने के प्रस्ताव को Change of Scope-2 के अंतर्गत अनुशंसा हेतु Independent Engineer को भेजा गया है। Independent Engineer की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत ही PUP (Pedestrian Underpass) के प्रस्ताव को समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

इन्होंने तीसरी शाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रिड़कमार-सल्ली सड़क की बात की है।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.03.2026/1130/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**

**प्रश्न संख्या : 4105.. क्रमागत् लोक निर्माण मंत्री.... जारी**

तीसरा, शाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर रीड कमार सड़क का काम पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत चला हुआ है जो तकरीन 4.90 लाख रुपये की लागत से बननी है। अभी तक इसमें 80 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और 1.08 करोड़ रुपये शेष बचे हैं। इस राशि को **इसी वित्तीय वर्ष में खर्च कर दिया जाएगा और इस सड़क का कार्य 30 अप्रैल, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।**

**श्री केवल सिंह पठानिया :** अध्यक्ष महोदय यह जो मैंने नागाबाड़ी अंडर पाथ की बात की है, यह मंदिर फोरलेन के कारण डिसटर्ब हुआ है। यह हमारी जठेर माता,कुलदेवी का मंदिर है। इसके लिए मैंने और वहां के स्थानीय विधायक ने भी एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों को लिखित रूप में भी दिया है। वहां देश व प्रदेश से बहुत अधिक मात्रा में पर्यटक माता के दर्शन हेतु जाते हैं। एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि इसके लिए अंडरग्राउंड पाथ निकाला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं लोक निर्माण मंत्री जी की इंटरवैंशन भी चाहता हूं कि इस मामले को एन0एच0ए0आई0 से उठाया जाए ताकि वहां पर कोई दुर्घटना घटित न हो।

**लोक निर्माण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर एन0एच0ए0आई0 से उठाउंगा और जिस अंडर पाथ की ये बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर **एक धार्मिक तीर्थ** के बारे में भी इन्होंने बात की है। वहां पर निश्चित तौर पर बहुत-से श्रद्धालु आते हैं। उस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है **इसलिए मैं इसको प्राथमिकता पर एन0एच0ए0आई0 से उठाउंगा और इसको समय पर पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।**

**प्रश्न संख्या : 4106**

**Speaker:** Shri Jeet Ram Katwal & Shri Lokender Kumar ji (Not on the seat neither they want to ask the question.)

**27.03.2026/1130/TCV/ 02**

**प्रश्न संख्या : 4107**

**Speaker:** Shri Daleep Thakur ji (Not on the seat neither he wants to ask the question.)

**प्रश्न संख्या : 4108**

**Speaker:** Shri Puran Chand Thakur ji (He is not on the seat neither he wants to ask the question.)

**प्रश्न संख्या : 4109**

**Speaker:** Smt. Reena Kashyap (She is not on the seat neither he wants to ask the question.)

**27.03.2026/1130/टी0सी0वी0/वाई0के0-3**

**प्रश्न संख्या : 4110**

**भुवनेश्वर गौड़ :** अध्यक्ष महोदय, जैसाकि यह विदित है कि पहले जब सड़कों का निर्माण किया जाता था तो जिन लोगों की जमीने लगती थी उन्हें कंपनसेट किया जाता था लेकिन अब जो नाबार्ड और पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़कें बनती है, इन सड़कों के लिए लोग

स्वयं गिफ्ट डीड देते हैं। कई जगह लोग गिफ्ट डीड्स देने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल लिमिट बनाई है या लोन लिया है। बैंक उन्हें एन0ओ0सी0 नहीं देते हैं जिसके कारण इन सड़कों का कार्य रुक जाता है। मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन है और उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपये है तथा उसने एग्रीकल्चर लिमिट 3 लाख रुपये की बनाई है तो इस स्थितियों में बैंक की लिमिट अतिरिक्त जमीन के लिए एक अलग खसरा नम्बर बने ताकि वह सड़क जल्दी-से-जल्दी बनकर तैयार हो जाए।

**लोक निर्माण मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं। यह विषय जो इन्होंने उठाया है, इसके तहत मनाली में कार्य किया जा रहा है लेकिन पूरे प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें बाधा आ रही है क्योंकि

**एन0एस0 द्वारा... जारी**

27-3-2026/1135/NS-YK/1

प्रश्न संख्या : 4110 ------ क्रमागत लोक निर्माण मंत्री -----जारी

क्योंकि अभी हमने कंडीशन लगाई है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 या जितनी भी सड़कें बन रही हैं उनमें जब तक पूर्ण रूप से विभाग के नाम गिफ्ट डीड नहीं होती है तब तक हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। उसमें यह बाधा अवश्य आ रही है। किसानों ने के0सी0सी0 करवा रखी है। जमीन के हंस्तातरण के समय यह दिखाया जाता है कि जमीन के0सी0सी0 के माध्यम से मोर्टगेज हुई है इसलिए इस जमीन को लोक निर्माण विभाग के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। Even the fact जैसा इन्होंने खुद कहा कि the entire cost of the land is much more to what has been mortgage, which is a fraction of the amount. तो इस विषय को हमने कैबिनेट मीटिंग में भी उठाया था और मुख्य मंत्री जी ने इस विषय के बार में राजस्व मंत्री और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बात की है कि इस विषय को उपायुक्त से उठाना चाहिए और संबंधित बैकों को केवल उतनी ही वैल्यू

के वही खसरा नम्बर मैंशन किए जाएं जितनी जमीन की गिफ्ट डीड की है। उसकी वजह से यह बाधा आ रही है। हम इसको आने वाले समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्राइमेरिली, यह रेवेन्यू का मसला है और इसको मुख्य मंत्री जी ने उठाया है। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय को माननीय सदन के अंदर उठाया है। इसकी वजह से प्रदेश में सड़कों के निर्माण में बाधा आ रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार और विशेष तौर पर मुख्य मंत्री जी व राजस्व विभाग इसमें शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे तथा हमें शीघ्र ही इसका रेजोल्यूशन दिलवाएंगे।

**प्रश्न संख्या : 4111**

**श्री डी0एस0 ठाकुर :** उपस्थित नहीं।

**प्रश्न संख्या : 4112**

**Speaker:** Shri Rakesh Jamwal & Shri Sudhir Sharma ji (Both are not on the seat neither they are interested to ask the question.)

**27.03.2026/1135/एन0एस0/ 02**

**प्रश्न संख्या : 4113**

**Speaker:** Shri Vinod Kumar ji (Not on the seat nor interested to ask the question.)

**प्रश्न संख्या : 4114**

**Speaker:** Shri Inder Dutt Lakhanpal ji (Not on the seat neither interested to ask the question.)

**प्रश्न संख्या : 4115**

**श्री राकेश कालिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री चिन्तपूरनी माता के मंदिर में चढ़ी विदेशी मुद्रा का क्या किया जाता है, क्या इसको एक्सचेंज किया जाता है या फिर जैसे सोना रखते हैं उसी ढंग से रखी जाती है? क्या इसको लोगों या श्रद्धालुओं के विकास कार्यों में खर्च किया जा रहा है?

**उप-मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, हमें विदेशी मुद्रा लगभग 3 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। इस मुद्रा को कन्वर्ट करवा कर श्री चिन्तपुरनी माता मंदिर के खाते में डाल दिया जाता है और फिर आगे इस्तेमाल किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, माता के श्रद्धालु पूरे विश्व में हैं और हमें डॉलर, पोंड, सेंट, दीरम, रियाल, दीनार, यान और हर कंट्री से हमें चढ़ावे के तौर पर पैसा आता है। लोग जिस भी करंसी में देते हैं हम उसको कन्वर्ट करवा कर माता रानी के एस0बी0आई0, चिन्तपुरनी के अकाउंट में जमा करवा देते हैं।

**प्रश्न संख्या : 4116**

**Speaker:** Shri Pawan Kumar Kajal (Not on the seat neither he wants to ask the question.)

**27.03.2026/1140/एनएस0/ 03**

**प्रश्न संख्या : 4117**

**Speaker:** Dr. Janak Raj (Not on the seat neither he wants to ask the question.)

प्रश्न संख्या : 4118------ आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

27.03.2026/1140/RKS/AG-1

**प्रश्न संख्या: 4118**

**श्री हरदीप सिंह बावा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील रामशहर में राजकीय महाविद्यालय, रामशहर के भवन का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और कितना शेष है और यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

**शिक्षा मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय, रामशहर के भवन का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य के निर्माण हेतु लगभग 4.21 करोड़ रुपये की राशि शिक्षा विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी, लोक निर्माण विभाग, मण्डल नालागढ़ को जारी कर दी गई है। इस भवन का लगभग 30 प्रतिशत कार्य शेष है जिसके लिए लगभग 6.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि जिन संस्थानों के 70 प्रतिशत से ऊपर काम हो चुके हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से विभाग भी इसमें अपनी प्राथमिकता दर्शाएगा कि राजकीय महाविद्यालय रामशहर का कार्य शीघ्र सम्पन्न हो। राजकीय महाविद्यालय रामशहर की एनरोलमेंट हर वर्ष घटती जा रही है और वर्तमान में 75 से भी कम एनरोलमेंट इस कॉलेज में रह गई है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से विधायक महोदय से आग्रह है कि आप भी इसके लिए प्रयास करें ताकि भविष्य में इस कॉलेज में बच्चों की अच्छी संख्या हो।

**श्री हरदीप सिंह बावा :** अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस कॉलेज का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस स्ट्रक्चर में चार स्लैब डल चुके हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवगत करवाना चाहूंगा कि इस भवन के निर्माण कार्य के लिए जो राशि उपलब्ध करवाई गई है, वह सिर्फ 35-40 प्रतिशत है लेकिन इस भवन का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। So, I really appreciate the contractor on the whole because 30-40 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई जबकि इसका कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए लगभग 6.62 करोड़ रुपये शेष राशि की आवश्यकता है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि अगर आप इस वित्तीय

27.03.2026/1140/RKS/AG-2

वर्ष में 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान कर देते तो जैसे मेरी कॉंट्रैक्टर से बात हुई है, उस भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता। बाकी राशि बाद में विभाग के माध्यम से कॉंट्रैक्टर को दे दी जाएगी। माननीय मंत्री जी ने जो एनरोलमेंट की बात की है उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने इस कॉलेज को वर्ष 2016-17 में पूर्व कांग्रेस पार्टी के समय खोला था। यह कॉलेज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, रामशहर के चार कमरों में चल रहा है। यहां बच्चों की स्ट्रेंथ इसलिए कम है क्योंकि इस कॉलेज में वैरियस स्ट्रीम्ज नहीं हैं। दूसरा, यहां बच्चों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। हमारे पास सिर्फ चार कमरे हैं जिनमें यह कॉलेज चल रहा है। अगर सही समय में इस भवन का कार्य पूर्ण हो जाए तो हम बच्चों को बिठा भी पाएंगे और इसमें ज्यादा-से-ज्यादा स्ट्रीम्स हो जाएं तो मुझे लगता है कि जो बच्चे रामशहर से नालागढ़ जा रहे हैं वे अवश्य यहां अपना दाखिला लेंगे। धन्यवाद।

**शिक्षा मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा यह भी देखा गया है कि बहुत से कार्य कॉंट्रैक्टर-ड्रिवन हैं। बहुत से बड़े-बड़े भवन ऐसे बन चुके हैं जिन्हें उनकी उपयोगिता के विपरीत बनाया गया है। मैं समझता हूं कि वे भवन आज की तारीख में सफेद हाथी बन चुके हैं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

**27.03.2026/1145/DT/AG-1**

**प्रश्न संख्या 4118 जारी**

**शिक्षा मंत्री जारी...**

उदाहरण के तौर पर इस सदन में ही यह बात आई थी कि लगभग 700-800 ऐसे भवन बन चुके हैं जिन भवनों का वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है इन्हें लगभग 8-10 साल कि अवधि हो चुकी है। यह भी सच्चाई है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, रामशहर के भवन में यह कॉलेज चला हुआ है। यहां पर 75 से 80 प्रतिशत स्टॉफ उपलब्ध है। लेकिन अगर हम वर्ष 2016 की बात करें यानी जब यह कॉलेज खुला ही था, हालांकि उस वक्त था

कुछ नहीं फिर भी स्टुडेंट्स की एनरोलमेंट ज्यादा थी। लेकिन यह चिंता का विषय है कि कॉलेज का नाम रामशहर का है लेकिन जो हमारे बड़े-बड़े कॉलेजिज हैं जहां पर सारी स्ट्रीम्ज उपलब्ध है, जहां बड़े-बड़े भवन बन चुके हैं, उदाहरण के तौर मंडी जो सबसे पुराना कॉलेज है, जिला शिमला में रामपुर का कॉलेज है, सीमा (रोहड़ू) का कॉलज है- इनमें भी कहीं-न-कहीं कमी देखने को मिल रही है। यह भी एक गंभीर विषय है लेकिन सरकार चाहती है कि जहां पर 70 प्रतिशत काम हो चुका है वहां के काम को पहले पूर्ण किया जाए। अभी माननीय उप-मुख्य मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने उत्तरों में कहा है कि शिक्षा विभाग कैपिटल वर्कस के मामलों में कई प्रकार की समस्याओं को सामना कर रहा है। पिछले दो वर्षो में, विशेषकर आर0डी0जी0 ग्रांट घटने के बाद काफी समस्या आई है लेकिन इस वर्ष बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग के भवनों के लिए भी कुछ प्रावधान हो, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, उनसे अनुरोध किया जायेगा।

जहां तक स्ट्रीम्स का संबंध है, वर्तमान में दो स्ट्रीम यहां पर चली हैं। हमारी पहला फोकस फर्स्ट टायर में उन सभी शिक्षण संस्थानों में हैं जहां पर एनरोलमेंट अच्छी है, वहां पर सभी प्रकार की स्ट्रीम्ज हो, वहां पर अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो यह भी हमारी प्राथमिकता है। जो सिमित फंडज शिक्षा विभाग को मिलते हैं, उसका उपयोग भी हम एनरोलमेंट के अनुसार ही करते हैं। लेकिन इस वर्ष हमनें प्रावधान रखें हैं तो निश्चित रूप से आने वाले वित्तीय वर्ष में उस बात को प्राथमिकता दी जायेगी।

**अध्यक्ष :** अब श्री हरदीप सिंह बावा अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

**27.03.2026/1145/DT/AG-2**

**श्री हरदीप सिंह बावा :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस मान्य सदन में अपनी ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक एनरोलमेंट की बात माननीय मंत्री जी कहीं,यहां पर एनरोलमेंट निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हां, यह बात सही है कि जब वर्ष 2016 में यह कॉलेज खोला गया था, उस समय लोगों में बहुत उत्साह था। अर्की जो विधान सभा के साथ लगता क्षेत्र है, वहां के कॉलेज से नाम कटवार कुछ विद्यार्थियों द्वारा रामशहर कॉलेज

में अपनी एनरोलमेंट करवाई गई थी। परंतु सत्ता परिवर्तन होने के बाद पांच वर्षों तक किसी ने भी इस कॉलेज की सुध नहीं ली जिस कारण इसमें स्टुडेंट्स की एनरोलमेंट कम हो गई। मैं शिक्षा मंत्री महोदय को विश्वास दिलवाता हूं कि आप कृपा कर इस भवन का निर्माण करवा दें, इसकी एनरोलमेंअ निश्चिततौर पर बढ़ेगी।

**शिक्षा मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि विभाग की पूरी कृपा रहेगी और जैसे ही 500 करोड़ रुपये विभाग को मिलेगा उसमें 70 प्रतिशत से ऊपर जो कार्य हो चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

**Speaker: Next Question No. 4119** - Shri Balbir Singh Verma. He is neither on the seat nor wants to ask the question.

**Next Question No. 4120** - Shri Deep Raj. He is neither on the seat nor wants to ask the question.

**Next Question No. 4121** - Shri Surender Shourie. He is neither on the seat nor wants to ask the question.

**Next Question No. 4122** - Shri Shri Malender Rajan.

**27.03.2026/1145/DT/AG-3**

**Question No: 4122**

**Health & Family Welfare Minister** : Hon'ble Speaker, Sir, the information is being collected.

**Speaker: Next Question No. 4123** - Shri Sukh Ram Chaudhary ji. He is neither on the seat nor wants to ask the question.

**Next Question No. 4124** - Shri Prakash Rana. He is neither on the seat nor wants to ask the question.

**Next Question No. 4125** - Shri Kewal Singh Pathania.

**Question No. 4125**

**श्री केवल सिंह पठानिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो गांव है जांबली कजलोट और आपदा के समय इन दो गांव में बहुत नुकसान हुआ था। खड़ीबई, करेड़ी, परोथा और करोर इन गावं के संबंध में तो जानकारी मेरे पास है कि इन गांवों में तो आर्थिक सहायता पहुंच गई लेकिन जो जांबली और कजलोट गांव हैं, इन गांवों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इन गांवों में 8 मकान उस आपदा में बह गये थे। जो परिवार इन घरों में रहते थे-वे बड़े लंबे समय से यहां रहते हैं। मैंने सब-डिवीजन लेवल में एफ0आर0ए0 का केस तैयार करवा दिया है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

**27.03.2026/1150/ए.एस.-एन.जी./1**

**प्रश्न संख्या : 4125.....जारी श्री केवल सिंह पठानिया..... जारी**

और अब मैं माननीय राजस्व मंत्री से आश्वासन चाहता हूं क्योंकि सब-डिविजन लेवल की बैठक हो चुकी है और 34-35 परिवार एक हैं तथा आठ परिवार जामली गांव के हैं, मैं चाहता हूं कि जल्दी ही एफ0आर0ए0 के तहत इन लोगों को लैंड अलॉट कर दी जाए।

**राजस्व मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, एफ0आर0ए0 की प्रक्रिया के हिसाब से यदि केसिज़ आए होंगे तो हम इसे जल्द-से-जल्द सैंक्शन करने की कोशिश करेंगे।

**Speaker** : Next Question **No.: 4126,** Shri Lokender Kumar, Neither on his seat nor wants to ask the question.

**Next Question : 4127** Hon'ble Member Dalip Thakur, Sarkaghat neither on his seat nor wants to ask the question.

**Next Question : 4128** Hon'ble Member Puran Singh Thakur, Darang, neither on his seat nor wants to ask the question.

**Next Question : 4129** Hon'ble Member Smt. Reena Kashyap, Pachhad, neither on his seat nor wants to ask the question.

**Next Question: 4130** Hon'ble Member Shri Rakesh Jamwal, Sundernagar, don't want to ask the question neither on the seat.

**Next Question : 4131** Hon'ble Member Shri Sudhir Sharma, Dahramshala : Absent.

**Next Question : 4132** Hon'ble Member Shri Vinod Kumar, Nachan, neither on the seat nor wants to ask the question.

**27.03.2026/1150/ए.एस.-एन.जी./2**

**Next Question : 4133** Hon'ble Member Shri Inder Dutt Lakhanpal, Barsar neither on the seat nor wants to ask the question.

**27.03.2026/1150/ए.एस.-एन.जी./3**

**प्रश्न संख्या : 4134**

**श्री राकेश कालिया :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति में माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि संबंधित अधिकारियों को फैसला सुनाने की शक्तियां कब

तक प्रदान कर देंगे? जहां तक मेरी जानकारी है कि इन अधिकारियों के पास फैसला सुनाने की शक्तियां नहीं हैं।

**राजस्व मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी अधिसूचना के तहत, खासकर ए0सी0 टू डी0सी0, तहसीलदार व अन्य, इन सभी अधिकारियों को फैसला करने के अधिकार प्राप्त हैं। परंतु **मैं देख रहा हूं कि लम्बे समय से लगभग 400-450 केसिज़ लम्बित पड़े हैं और हम शीघ्र ही इन पर फैसला करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे देंगे।**

**अध्यक्ष** : आज की कार्यसूची में लिस्टिड सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और अभी प्रश्नकाल का समय लगभग 5 मिनट बचा हुआ है। अब शून्य काल आरम्भ होगा। मेरे पास लगभग 10 विषय प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहला विषय माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा का है और पता नहीं वे कहां हैं? He is not on the seat at the moment. ...(व्यवधान)

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो**कर **अपनी बात रखने के लिए अनुमति मांगने लगे।**)

माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा, एक मिनट रुकिए।...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने के लिए कब तक समय नहीं देंगे?...(व्यवधान)

**अध्यक्ष** : आप सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठ तो जाइए।...(व्यवधान) आप लोग थक गए होंगे इसलिए बैठ तो जाइए। Please take your seats ...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी, मैं आपको बुला रहा हूं।...(व्यवधान) बैठ तो जाइए।...(व्यवधान) पहले आप बैठ जाइए, फिर मैं आपका नाम लूंगा।...(व्यवधान) मैं आपका नाम प्यार से लूंगा इसलिए आप बैठ जाइए।...(व्यवधान) पहले माननीय मुख्य मंत्री बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान) He has a priority being a Leader of the House. **श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी**

**27.03.2026/1155/AS/AP/ 01**

**Speaker** : He has a priority being a Leader of the House.

**मुख्य मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है, प्रश्न काल से पहले विपक्ष के नेता हाथ उठा देते हैं, सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है और सनसनी फैलाने के बाद अपनी बात रखने की कोशिश और प्रयास करते हैं और फिर डराने-धमकाने की कोशिश करते हैं। यह एक नई प्रथा है। मेरा मानना है कि सभी सभा पटल के जो सदस्य हैं, जब प्रश्न काल खत्म हो जाए, उसके बात अपनी बात को रखें। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी के लगे हुए थे। सबके इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए थे। माननीय सत्ती जी आप देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका था और मैंने रिप्लाई देना था। मैं प्रश्न की तैयारी करके आया था कि माननीय श्री सपताल सिंह सत्ती जी पता नहीं कितना पूछेंगे और मैंने बड़े प्यार से उसकी पूरी तैयारी की थी। माननीय श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी का था, श्री आशीष शर्मा जी का था, सबके बहुत क्वेश्चन थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल के बाद भी तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाता है जैसे कि पहले प्रथा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुरोध रहेगा कि भविष्य में अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर सदन कैसे चलेगा? सत्ता पक्ष से भी तो लोग उठ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने कई बार शालीनता का परिचय दिया है। आपने कई बार विपक्ष के नेता माननीय श्री जय राम ठाकुर जी को बोलने का मौका दिया है, बीच में उठने का मौका दिया है, और जो चीज़ें ये कहते हैं वो कहें, सभा पटल पर कहें। हर बात का जवाब देने के लिए सरकार तत्पर है। प्रश्न काल के खत्म होने के बाद आपने जीरो आवर की नई प्रथा शुरू की है। यह अच्छी परंपरा नहीं है। मेरा मानना है कि किसी को भी अगर आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर देना है, जो रूल्स में आपने रखा है कि आपने जीरो आवर के बाद देना है, जीरो आवर के बाद दीजिए। हम कौन-सा भाग रहे हैं? आज सैशन थोड़ी खत्म हो रहा है। तीन अप्रैल के बाद, और दस अप्रैल तक चला देंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम पंद्रह अप्रैल तक सेशन को चला देंगे। लेकिन सुबह आकर सबसे पहले सनसनी फैलाकर, अखबारों की सुर्खियों में अपना नाम लाने के लिए इस सरकार की प्रथा की शुरुआत की गई है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की प्रथा को शुरू मत कीजिए, नहीं तो पक्ष की तरफ से भी कल को नारे बराबर लगना शुरू हो जाएंगे। फिर सदन कैसे चलेगा? यह मैं आपको कहना चाहता हूं। अध्यक्ष

**27.03.2026/1155/AS/AP/ 02**

महोदय आपको इस बारे में व्यवस्था जरूर देनी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। फैक्ट्स हम लाए हैं, विपक्ष जो सवाल पूछेगा उसका रिप्लाई पक्ष देंगे, जो आप पूछेंगे हम आपकी हर एक बात का रिप्लाई देंगे और फैक्ट्स के साथ देंगे। ...(व्यवधान) बोलिए आप। आप गुस्सा क्यों करते हैं? आपने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि हम झूठ बोलेंगे। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय मेरा यह मानना है कि ...(व्यवधान)

**Speaker** : Please, please let him finish. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister finish, thereafter I am giving a chance to the Hon'ble Leader of the Opposition.

**मुख्य मंत्री** : बिक्रम जी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होते। आप आराम से बोलिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहत हूं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप लीजिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेने की एक प्रथा है। ...(व्यवधान) ये देखिए अब यह रोक रहे हैं।

**Speaker** : Please, please ...(Interruption) Nothing is going on record.

**मुख्य मंत्री** : आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लीजिए। ...(व्यवधान)

**Speaker** : Please, please take your seats. Let him complete. ...(Interruption) Let him complete.

**मुख्य मंत्री** : अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर 5 मीनट का है तो आप अपने विपक्ष के नेता को भी समझाना की वे उतना ही समय लें और अपनी बात को खत्म करें। अध्यक्ष महोदय, बीच में टोकने की जो प्रथा चली है, यह अच्छी नहीं है। आप अपने फैक्ट्स रखें और गुस्सा मत करें। आप गुस्सा क्यों हो रहे है, हम आपके प्रश्नों का जबाव देने के लिए ही बैठे हैं। अगर विपक्ष फैक्ट्स रखेगा तो पक्ष जबाव देगा। इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। ठीक है राजनितिक दबाव आप पर है। कई प्रकार के दबाव होते हैं, आप उनसे निकलने की कोशिश करें। विपक्ष के नेता तनाव में पहले से ही है और आप भी तनाव में आ रहे हैं, धन्यवाद।

**27.03.2026/1155/AS/AP/ 02**

**Speaker :** ...(Interruption). Please, please ...(Interruption) Shri Vipin Singh Parmar ji, please ऐसा है कि प्रश्न काल चला है विपक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रोटैस्ट स्वरूप बैल में आए but that is not the part of record. क्योंकि प्रश्न काल चला है जो-जो माननीय सदस्य अपनी सीटों पर थे उन्होंने अपने-अपने प्रश्न पूछे और उनका उत्तर भी आया है। **The remaining part, whatever happened within the House, either in the Well, in the shape of slogans, that is not a part of the record and neither this will go on the YouTube. This will not go on the YouTube from the official website. If any Member will circulate it from his own handle, certainly Vidhan Sabha will take actions as per the rules.**

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

**27.03.2026./1200/AT/HK/01**

**अध्यक्ष जारी....**

**अध्यक्ष :** अब माननीय नेता प्रतिपक्ष।

**श्री जय राम ठाकुर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने परसों इस माननीय सदन के अंदर कहा कि हिमकेयर योजना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज के ऑडिट में 100 करोड़ रुपये का घोटाला और फिर आगे बढ़कर कहा कि कुल मिलाकर 1100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी इस प्रकार बोलते हैं जैसे समरहिल चौक पर किसी नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हों। यह सदन है और विधान सभा के अंदर तथ्यों के

आधार पर ही बात करनी चाहिए। लेकिन वे बिना झिझक बार-बार झूठ बोलते हैं हर रोज, हर बात पर चाहे विधान सभा के अंदर हो या विधान सभा के बाहर।

अध्यक्ष महोदय, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हिमकेयर योजना के अंतर्गत लगभग 441 करोड़ रुपये खर्च हुए। अब वे 1100 करोड़ रुपये के घोटाला बता रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। इस तरह के झूठ बोलकर वे सदन के अंदर और बाहर सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वे मीडिया के साथियों से भी आग्रह करते हैं कि जो मैंने कहा है वही छापा जाए। वास्तव में, उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि हिमकेयर योजना को बंद करना है और बंद करने से पहले इस पर गंभीर आरोप लगाए जाएं ताकि लोगों के बीच यह संदेश जाए कि यह योजना इसलिए बंद कि गई है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था। यह आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे समय में इस योजना पर 441 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। जबकि आपके कार्यकाल में लगभग 972 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जिनमें से 400 करोड़ रुपये से अधिक की पेमेंट अभी भी लंबित है। अगर आपको योजना बंद करनी ही थी तो शुरुआत में ही क्यों नहीं की? आप साढ़े तीन साल तक इस योजना को चलाते रहे। आपने हमसे अधिक पैसा खर्च किया और आज भी आपकी इस में 400

**27.03.2026./1200/AT/HK/02**

करोड़ रुपये से अधिक की पेंडेंसी लम्बित है। यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके अलावा, हमारे समय में प्रति मरीज औसत खर्च लगभग 11,000 रुपये था जबकि आपके समय में यह बढ़कर लगभग 14,000 रुपये हो गया है। यानी आपने हमसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। यह घोटाला आप हमारी सरकार के समय का बता रहे हैं या अपनी सरकार का? अभी तक कोई जांच पूरी नहीं हुई है तो मुख्य मंत्री इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? इस प्रकार के गंभीर आरोप हम पर कैसे लगाए जा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री का पद जिम्मेदारी वाला पद होता है। सदन के अंदर जो भी बात कहनी होती है वह जिम्मेदारी और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आपने केवल इस योजना को बंद करने के लिए यह सारा-का-सारा झूठ सदन के अंदर और सदन के बाहर भी बोला है।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि पंजाब में भी हिमकेयर को रजिस्टर कर दिया गया।

**श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....**

**27.03.2026/1205/केएस/एचके/1**

**श्री जय राम ठाकुर जारी** --

मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हिमकेयर के इलाज की तीन जगह अनुमति दी थी। एक पी0जी0आई0,चण्डीगढ़ जहां पर हिमाचल प्रदेश की गम्भीर बीमारी का पेशेंट दाखिल होता है, अपना इलाज करवाता है, वहां किया। गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज (जी0एम0सी0), चण्डीगढ़ में किया गया और उसके बाद वर्ष 2023 में, अगर मैं गलत ना हूं तो आपने भी एम्ज़ में हिमकेयर की अनुमति दी है। अब आप बताएं कि इसके अलावा हिमाचल के बाहर पंजाब या दूसरे राज्यों में हिमकेयर के अंतर्गत इलाज हुआ? आप तथ्य पर बालें और सच्चाई बताएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इसकी जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज के माध्यम से होनी चाहिए। हम यहां पर जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं क्योंकि इस योजना को जब लागू किया गया था तो देश के दूसरे राज्यों ने भी इसकी सराहना ही नहीं की बल्कि अपने-अपने राज्य में इस मॉडल के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजनाओं की शुरुआत की। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब चीफ मिनिटस्ट काउंसिल की मीटिंग थी तो बतौर चीफ मिनिस्टर मुझे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि आप हिमकेयर की इस योजना पर सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के समक्ष पूरी प्रेज़ेंटेशन दीजिए और हमने वहां पर

अपनी बात रखी। वहां पर सभी लोगों ने इसकी तारीफ की। आप आरोप लगाइए और राजनैतिक दृष्टि से जो करना चाहे करें, हम आपका मुकाबला करने के लिए यहां पर सामने ही हैं लेकिन तथ्य पर, सच्चाई पर तो बात करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि इस योजना के अंतर्गत आपकी सरकार के दौरान हमसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, क्या आप उसकी भी जांच करेंगे? आपने हैल्थ कॉर्पोरेशन बनाई थी और उसको बनाए हुए दो साल से ज्यादा का समय हो गया है। आपकी सरकार बनने के बाद यह फैसला किया गया था कि सारी पर्चेजिंग हैल्थ कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगी। क्या आपने अभी तक हैल्थ कॉर्पोरेशन के माध्यम से पेर्चेजिंग की है? आपने आदमी तय किए हैं। दो लोग हैं और अगर आपको चाहिए होंगे तो हम लिखित रूप में उनके नाम भी दे देंगे। जिनके माध्यम से सारी मैडिसिन हायर रेट्स पर पर्चेज़ करके मरीजों को दी जा रही हैं ताकि उनका बिल हायर साइड में बने। कमीशन खाने की शुरुआत आपकी सरकार के दौरान हुई । क्या आप इसकी भी जांच करेंगे?

**27.03.2026/1205/केएस/एचके/2**

अध्यक्ष महोदय, जो भी बातें मुख्य मंत्री जी ने कही हैं, सारी मनगढ़ंत हैं । इस योजना को बंद करने का आधार तैयार किया जा रहा है। इस योजना को बंद करने की आपकी मंशा हमें पहले दिन से ही दिख गई थी और ऐसे में अब इस योजना को बदनाम करके जो आप साजिश कर रहे हैं, मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। यह योजना हिमाचल के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है। लगभग 11 लाख लोग इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं जिनका इलाज हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के अंतर्गत हुआ है। आपने सारी बातें जो आरोप के रूप में झूठी बोली हैं, आपको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या आप प्रदेश की जनता से माफी मांगेगें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप जिस भी एजेंसी से इसकी जांच करवाना चाहे, करवाएं। हम ही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी जांच करवाई जाए।

**अध्यक्ष** : वैसे यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है but the Hon'ble Leader of the Opposition has made a statement by making a lot of accusations also. So, I will request the Hon'ble Chief Minister to respond to this statement.

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, हमने जब से विजिलेंस की जांच के ऑर्डर दिए हैं, विपक्ष को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है? ...(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं। हमने 100 करोड़ रुपये के घोटाले की बात की है। ...(व्यवधान) मेरी बात तो सुन लो। आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता जब बोल रहे थे, हम सुन रहे थे।

**Speaker** : Please listen to the Hon'ble Chief Minister first. ...(Interruption) Please listen to the Hon'ble Chief Minister. If any quarry anybody wants to ask, I will give him a time. ...(Interruption) Please listen to the Hon'ble Chief Minister. ...(Interruption) Don't interrupt him.

**मुख्य मंत्री** : 1100 करोड़ रुपये की टोटल पेमैंट फंसी है और 100 करोड़ रुपये का घोटाला है जिसकी हमारी सरकार विजिलैंस जांच करवा रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**27.03.2026/1205/av/yk/1**

**मुख्य मंत्री------ जारी**

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो ध्यान में लाए हैं, उसके अतिरिक्त अगर और भी कहीं घोटाले होंगे तो **भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और इस प्रदेश की सम्पदा को लूटने से बचाने के लिए हम सारी जांच करवाएंगे और उस जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल की सलाखों की पीछे भेजेंगे**। ...(व्यवधान) अब हां, हां मत बोलिए। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हिमकेयर इनके द्वारा चलाई गई योजना है और इसको प्राइवेट होस्पिटल रजिस्टर करती है जिसके 450 करोड़ रुपये के करीब पैसे पड़े हैं। इनके समय में 441 करोड़ रुपये की राशि मिली है और मैंने यह इसमें लिखा भी है। लेकिन इस

योजना को जिस ढंग से चलाना चाहिए था, उस ढंग से इसको नहीं चलाया गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमने इसका अपने सरकार के ऑडिट विंग से ऑडिट करवाया है जिसके अंतर्गत हिमकेयर और आर0के0एस0 के अंतर्गत 120 करोड़ रुपये के घोटाले नज़र आए हैं। **अगर मैंने कहीं 1100 करोड़ रुपये कहा है तो वह हिमकेयर की पेमैंट के संदर्भ में कहा है और उसको ठीक कर लिया जाए।** उसके बाद मैंने उस घोटाले की जांच हेतु विजिलेंस को ऑर्डर दे दिए हैं। **आपके ध्यान में अगर मेडिसन की पर्चेजिंग में कहीं पर भी भ्रष्टाचार हुआ होगा तो आप हमें वह लिखित में दीजिए, हम उसके संदर्भ में सारी जांच करवाएंगे। हम भ्रष्टाचार को दूर क रने और प्रदेश की सम्पदा को बचाने आए हैं न कि प्रदेश की सम्पत्ति को लुटाने आए हैं।**

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा हिमकेयर योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। हम कैसे नई योजना लाए और उसका कैसे आम आदमी को लाभ पहुंचे; उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार विचार कर रही है। इसमें इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट सब्मिट हुई। बड़ी विचित्र बात है और मैं उसके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा जोकि मुझे बोलने भी पड़ेंगे। मैंने जबसे हिमकेयर योजना को व्यक्तिगत तौर से देखना शुरू किया तो हमने कहा कि हिमकेयर के कार्ड वर्ष में चार बार बनने चाहिए और वर्ष में चार

**27.03.2026/1205/av/yk/2**

बार यानी 120 दिन ये काड्र्ज बनते हैं। उसके लिए सारी दुकानों का इम्पेनलमैंट कर दिया गया और वह चाहे किसी ने किया परंतु सभी दुकानों का इम्पेनलमैंट हो गया। परंतु एक-दो केस तो ऐसे नज़र आ रहे हैं जहां पर मर्दों की ओवरी के ऑपरेशन के बिल बने हैं। आंखों में एक्सपायरी डेट के लैंस डाल दिए गए। इसलिए मैंने कहा की इसकी विजिलेंस से जांच करवाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना को बंद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है अपितु इसको इम्प्रूव किया जाएगा। मैं इस योजना के अंतर्गत किसी को दोष नहीं दे रहा हूं बल्कि इस योजना का स्वरूप बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपको भी इस बारे में जानकारी न हो। परंतु हमने जब इंटरनल ऑडिट करवाया तो उसके माध्यम से हमारे सामने कुछ इस प्रकार की जानकारियां आई हैं। **मैंने 110 करोड़ रुपये के घोटाले**

**की बात की है और अगर कहीं पर 1100 करोड़ रुपये कहा है तो वह गलत है क्योंकि 1100 करोड़ रुपये की तो टोटल पेमैंट है जिसमें से हम अभी आधी पेमैंट नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैंने यह ठीक कर दिया है।** कई बार आप लोग भी बोल देते हैं कि 16 या 30 करोड़ रुपये की रोबोटिक सर्जरी है, तो ऐसा कई बार बोला जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी सदस्य के ध्यान में इस प्रकार की बात है तो आप उसे हमारे ध्यान में लाइए। मैं इस सदन के अंदर आश्वासन देना चाहता हूं कि **हम किसी भी स्तर पर किसी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद।**

**अध्यक्ष :** अब जीरो आवर के विषय उठेंगे। सबसे पहले ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, **माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि 100 करोड़ रुपये के घोटाले सामने आए हैं। अगर कहीं पर इन्होंने 1100 करोड़ रुपये बोले हैं तो वह स्लिप ऑफ टंग की वजह से बोला गया है और वह इस कार्यवाही का पार्ट नहीं बनेगा। यह 100 करोड़ रुपये की राशि है। ...**(व्यवधान) फिर जीरो आवर खत्म हो जाएगा। That is not my fault and most of the Members are from the Opposition.

**श्री जय राम ठाकुर टी सी द्वारा जारी**

**27.03.2026/1215/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**

**अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी।**

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़ा इन्होंने बताया, अखबार और मीडिया ने उसे छाप दिया और फ्रंट पेज पर आपके नाम से स्टेटमेंट लगी है। ...(व्यवधान) वह करेक्ट हो जाएगा लेकिन जिसको नुकसान होता है, वह तो हो जाता है। इसको रिपेयर करने का क्या मैकेनिज्म है?

**अध्यक्ष :** विधान सभा सचिवालय इस बात की छानबीन करेगा कि क्या कोई ऐसा आंकड़ा रिकॉर्ड पर आया है जिसे किसी समाचार पत्र ने उसको उस प्रकार से छापा है? **आज मुख्य**

**मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा आंकड़ा है तो उसको करेक्ट कर लिया जाए। यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये है। मैं रिकॉर्ड व समाचार पत्र दोनों को देखूंगा और इस माननीय सदन को भी सूचित करुंगा।**

**श्री जय राम ठाकुर** : दूसरी बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। How he has come to the conclusion that more than Rs. 100 crore fraud has taken place? आप कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे? आप कह सकते हैं कि हमने जांच शुरू की है। ...(व्यवधान) संभावित नहीं, इन्होंने पहले 100 बोला है और आज 120 बताया है। इनका आंकड़ा हररोज बदल जाता है, यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फिर इन्होंने कहा कि लुधियाना, जालंधर में, this is also part of the record. हिमकेयर के अंतर्गत पैसे लूटाए गए। जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि तीन हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल हमारी सरकार के दौरान, एक पी0जी0आई0 चंडीगढ़, जहां हिमाचल प्रदेश का वह सीरियस पेशेंट जाता है जिसका इलाज हिमाचल के अंदर करने में कठिनाई होती है। मुझे लगता है कि वह गलत नहीं किया है क्योंकि वह पूरे हिमाचल प्रदेश को कैटर करता है।

दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चण्डीगढ़ जो 35 सैक्टर में है। तीसरा आपने किया है और उसमें भी बुरा क्या है? अगर मरीज हिमाचल प्रदेश से एम्स में जाते हैं तो उनका ट्रीटमैंट, उनका इलाज होना चाहिए लेकिन इस प्रकार से सनसनी पैदा करना, उसके बाद वह अखबारों में छप जाना और अखबारों में छपने के बाद आरोपों को जितना मर्जी टालते रहो लेकिन उनमें कठिनाई होती है। इससे इमेज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता

**27.03.2026/1215/टी0सी0वी0/वाई0के0-2**

है। चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे वह पूर्व सरकार हो। हम अभी आरोप लगा रहे होते तो भी बात होती है। इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि इतने का घोटाला हुआ है। यह आरोप नहीं हुआ, मतलब घोटाला शब्द ही सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए क्या आप इस सारी चीज के लिए जो आपने 1100 करोड़ रुपये कहा और 100 करोड़ रुपये का भी जिक्र किया है, उसके लिए आप माफी मांगेंगे?

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं, हम इसमें निष्पक्ष जांच चाहते हैं और मुझे मालूम है आपने सुनिश्चित किया है कि इस योजना को बदनाम करना है और बदनाम करके बंद करना है। 10 बार आपने इस माननीय सदन में प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हम हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे और हम भरोसे पर चल पड़े कि नहीं करेंगे।

पिछले कल-परसों आपने कहा कि हिमकेयर को बंद करके हम नई इंश्योरेंस हैल्थ योजना चला रहे हैं। इसलिए क्या आप इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आप हिमकेयर को बंद करने जा रहे हैं और अपनी नई इंश्योरेंस हैल्थ की स्कीम शुरू करने जा रहे हैं? इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि आपने जो कहा है उसके लिए माफी मांगें।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, हिमकेयर के 2 हॉस्पिटल, टांडा और आई0जी0एम0सी0 का इंटरनल ऑडिट हमारा ऑडिट विंग कर रहा है। और इसकी इंटरनल रिपोर्ट आई है जिसमें संभावित 100 या 110 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

**एन0एस0 द्वारा... जारी**

27-3-2026/1220/NS-AG/1

मुख्य मंत्री ------जारी

अब घोटाला चाहे 110, 120 या फिर 100 करोड़ रुपये का है। ...(व्यवधान)

**Speaker**: This is an internal audit report. चलिए, मुख्य मंत्री जी को बोलने दें। Please, don't disturb him.

**मुख्य मंत्री** : सारा जो भी है और जहां भी हमें शक होता है हम उसकी जांच करवा लेते हैं। यह इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आई है जहां मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन हो रहे हैं। हिमकेयर योजना को बंद करने की जगह अगर हमें प्रदेश-हित में कोई नई स्कीम अच्छी लगती है, 75 लाख लोगों के हित में नई स्कीम अच्छी लगती है तो नई स्कीम लाने में हम हिचकिचाहट नहीं करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को अच्छा इलाज मिले। हिमकेयर में प्राइवेट हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हुए हैं। अब कौन-कौन से अस्पताल हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको दे

दूंगा और बता दूंगा। 450 करोड़ रुपये या जितने की भी होगी, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं।

27-3-2026/1220/NS-AG/2

## शून्यकाल

## अनाज मंडी, मजारी में गेहूं की खरीद न होने बारे उठाया गया विषय

**अध्यक्ष** : अब शून्यकाल के इश्यूज रेज होंगे। हमारे पास 10 मिनट का समय है। अब श्री रणधीर शर्मा जी अपना विषय उठाएंगे। Shri Randhir Sharma ji, I am giving you first priority क्योंकि आपने नारे बहुत लगाए हैं।

**श्री रणधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के मजारी गांव में पिछली सरकार के दौरान एक अनाज मंडी का निर्माण किया गया था। 1.84 करोड़ रुपये खर्च करके कृषि विभाग के मार्केटिंग बोर्ड की बिलासपुर की मार्केट कमेटी के माध्यम से उसका निर्माण किया गया था। दिनांक 24 अप्रैल, 2022 को उस समय के कृषि मंत्री माननीय वीरेंद्र कंवर जी ने उसका उद्घाटन किया था। हालांकि, गेहूं का सीजन आधे से ज्यादा निकल गया था और उद्घाटन के बाद खरीद शुरू हुई थी। दुःख का विषय यह है कि उसी साल खरीद हुई और उसके बाद उस अनाज मंडी में कोई खरीद नहीं हुई। मेरे उस बॉर्डर के क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा चंगर एरिया मीडियम इरीगेशन प्रोजैक्ट चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 के बाद उस प्रोजैक्ट के आने से वहां पर गेहूं की अच्छी फसल होती है। वहां पर 1000 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि पर गेहूं बीजी जाती है। वहां पर लगभग 10,000 क्विंटल गेहूं होती है परन्तु खरीदने की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को पंजाब में जाना पड़ता है। पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब या नंगल में जो अनाज मंडियां हैं वहां पर हमारे किसानों को अनेक तरह की कठिनाइयां आती हैं क्योंकि पंजाब सरकार ने तय किया है कि वे पंजाब के बाहर के किसानों की फसल नहीं खरीदेंगे। इसलिए मेरे क्षेत्र के बॉर्डर के किसानों को पंजाब के अपने रिश्तेदारों के नाम रजिस्टर्ड करके गेहूं बेचनी पड़ती है। जिसके कारण अनेक तरह की दिक्कतें आ रही हैं और रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था लेकिन उसके बावजूद भी यह खरीद

वहां पर शुरू नहीं हुई है। अभी कुछ दिन बाद गेहूं की कटाई का सीजन शुरू होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी व कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि इस वर्ष अनाज मंडी, मजारी में गेहूं की खरीद की जाए ताकि वहां के स्थानीय किसानों को उसका लाभ मिल सके।

27-3-2026/1220/NS-AG/3

**अध्यक्ष** : निश्चित तौर पर माननीय सदस्य के द्वारा गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है। हम मंत्रालय/विभाग से कहेंगे कि इस विषय के ऊपर वांछित कार्रवाई अमल में लाई जाए और कृत कार्रवाई से माननीय सदस्य और माननीय सदन को अवगत करवाया जाए। अगला इश्यू श्री हरदीप सिंह बावा जी का बगलिहार राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में है ।

मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। I would request all the Hon'ble Members not to approach the dais directly. If they have any clarification or confusion, then they first approach the Secretary. If that confusion is not removed, then they are allowed to come to the dais; otherwise, I am not allowing anybody unless I permit to come to the dais. Thank you.

27-3-2026/1220/NS-AG/4

**श्री हरदीप सिंह बावा** : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने जो बात कही, मैं उसको ध्यान में रखूंगा। पहले मैं सेक्रेटरी साहब के पास ही गया था और उन्होंने कहा कि विषय आपके पास है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से आपने मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए समय दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नालागढ़ से बगलिहार राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर हाल ही में टारिंग व रिसरफेसिंग का कार्य शुरू किया गया था।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.03.2026/1225/RKS/एजी-1

शून्यकाल जारी.....

श्री हरदीप सिंह बावा जारी.....

यह कार्य 3 महीने पहले किया गया था लेकिन इन तीन महीनों के भीतर इस सड़क में स्लिप होने की स्थिति बन गई है। यह निर्माण न केवल कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। मैं माननीय मंत्री श्री विक्रमादित्य जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम लोग ऑलरेडी पिंजौर से बद्दी और बद्दी से नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में चिंतित हैं। मैंने इस विषय पर कई बार इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष अपनी बात कही है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। यह सड़क नहीं बन पा रही है और दूसरी तरफ इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मैटलिंग का कार्य जो 3 महीने पहले हुआ है, यहां पर कहीं-न-कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज किया गया है जोकि नहीं होना चाहिए था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी मैटलिंग का कार्य शुरू हुआ है। मेरा लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह है कि आप अधिकारियों को स्ट्रिक्टली दिशा-निर्देश दें ताकि कॉंट्रैक्टर्ज क्वालिटी में कोई कंपरोमाइज न करें। धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ने शून्य काल के माध्यम से एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है। हमने इस विषय का संज्ञान लिया है। हम संबंधित विभाग को निर्देश देंगे कि इस विषय पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कृत कार्रवाई से माननीय सदस्य और माननीय सदन को सूचित किया जाए। मैं सचिव, विधान सभा को कहूंगा कि जो आज की सूची में एजेंडा निर्धारित है, उसकी फोटोस्टेट कॉपी अपने पास रखें और जो भी माननीय सदस्य आएं उनकी समस्या का समाधान करें।

27.03.2026/1225/RKS/एजी-2

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार अपना विषय उठाएंगे।

## बागी-पुल क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले पावर प्रोजैक्ट से स्थानीय जनजीवन पर प्रभाव।

**श्री लोकेन्दर कुमार** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण जनहित मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे बागी-पुल क्षेत्र में एक मेगावाट पावर प्रोजैक्ट का निर्माण हो रहा है। उस खड्ड में पानी बहुत कम है। वहां पर स्थानीय लोगों के घराट भी स्थापित हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं। वहां पर गांवों के लोगों की 3-4 सौ बीघा जमीन है। वर्तमान में जो वहां नई प्लांटेशन की जा रही है उसके लिए पानी अति आवश्यक है। अगर खड्ड के पानी का उपयोग प्रोजैक्ट में किया जाएगा तो वहां के लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। हमारे क्षेत्र में लोग सेब की खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजना के अनुरूप वहां नई डेंसिटी वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं। दूसरा, लोग आज भी वहां घराटों में अपना अनाज पिसवाने के लिए आते हैं। सर, मैं किसी प्रोजैक्ट या ठेकेदार के खिलाफ नहीं हूं। वहां पर जो तीन गांवों की आबादी रहती है उनकी वहां 3-4 सौ बीघा जमीन है। उन लोगों का उस जमीन में मालिकाना हक है इसलिए उन्हें वहां जीने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे अपना जीवनयापन अच्छे से कर सकें। वहां के लोग मिलजुल कर रहें और उन्हें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। उस प्रोजैक्ट के लिए एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस हुई है लेकिन वह उस जगह की है जहां यह प्रोजैक्ट लगना है परंतु इस प्रोजैक्ट के लिए जो रोड निकाला जा रहा है उसकी एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस अभी तक नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में कड़ा संज्ञान लें।

**अध्यक्ष** : आपने निश्चित तौर पर माननीय सदन के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाया है। माननीय सदन ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। हम इस विषय पर कार्रवाई करने के आदेश देंगे और की गई कार्रवाई से आपको और इस माननीय सदन को सूचित किया जाए। अब शून्यकाल समाप्त होता है। मैं विधान सभा सचिवालय को कहूंगा कि आज के बाद शून्य काल के जो इश्यूज माननीय सदस्य माननीय सदन में रखते हैं, उनकी एक-एक प्रतिलिपि उन तमाम माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध करवाई जाए जिन्होंने शून्य काल में अपने विषय सदन में रखे हैं। आज के बाद every Member has to be supplied

27.03.2026/1225/RKS/एजी-3

with a copy of the Zero Hour issue by the Vidhan Sabha Secretariat so that nobody should have any complaint about which issue is registered, which issue is not registered, which is to be taken up, and which is not to be taken up.

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

**27.03.2026/1230/डीटी/एएस-1**

## कागज़ात सभा पटल पर

**अध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मंत्री कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 तथा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा-19ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटिड का 16वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25।

**अध्यक्ष :** अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, 2024-25 की प्रति सभापटल पर रखता हूं।

## सदन की समितियों के प्रतिवेदन

**अध्यक्ष** : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जाएंगे। अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

**27.03.2026/1230/डीटी/एएस-2**

**श्री अनिल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 133वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पशु पालन विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का 125वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) पर बने 181वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा पशु पालन विभाग से सम्बन्धित है;

3. समिति का 107वां मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) पर बने 245वें कार्रवाई प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है; और

4. समिति का 95वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) पर बने 251वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों

के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

**अध्यक्ष :** अब श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2025-26), के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

**27.03.2026/1230/डीटी/एएस-3**

**श्री किशोरी लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2025-26), के निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1) समिति का 32वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 67वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम व हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का 74वाँ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) पर बने 43वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है।

**अध्यक्ष :** अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति, (वर्ष 2025-26),के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

**श्री मोहन लाल ब्राक्टाः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कल्याण समिति, (वर्ष 2025-26), के 47वें कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि माँग संख्याः 32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों से सम्बन्धित समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

**27.03.2026/1230/डीटी/एएस-4**

## वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान
## वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है उनकी ओर से सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

| मांग संख्या | मांग का नाम | | मांग की राशि जो विधान सभा की स्वीकृति वोट के लिए प्रस्तुत है। ₹ में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 01 | विधान सभा | (राजस्व) | 52,84,93,000 |
| | | (पूंजीगत) | 3,15,00,000 |
| 02 | राज्यपाल और मंत्री परिषद् | (राजस्व) | 18,48,13,000 |
| 03 | न्याय प्रशासन | (राजस्व) | 2,64,81,88,000 |
| | | (पूंजीगत) | 4,04,00,000 |
| 04 | सामान्य प्रशासन | (राजस्व) | 1,99,26,16,000 |
| 05 | भू-राजस्व व जिला प्रशासन | (राजस्व) | 16,15,35,13,000 |
| 06 | आबकारी और कराधान | (राजस्व) | 1,23,53,75,000 |
| 07 | पुलिस और राम्बद्ध संगठन | (राजस्व) | 17,48,38,69,000 |
| | | (पूंजीगत) | 3,38,00,000 |
| 08 | शिक्षा | (राजस्व) | 88,48,86,03,000 |
| 09 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | (राजस्व) | 27,04,54,01,000 |
| | | (पूंजीगत) | 35,19,14,000 |
| 10 | लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन | (राजस्व) | 24,81,76,28,000 |
| | | (पूंजीगत) | 11,04,82,00,000 |
| 11 | कृषि | (राजस्व) | 3,38,85,53,000 |
| | | (पूंजीगत) | 16,05,37,000 |
| 12 | उद्यान | (राजस्व) | 3,02,93,55,000 |
| | | (पूंजीगत) | 5,93,12,000 |
| 13 | सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई | (राजस्व) | 23,85,39,65,000 |
| | | (पूंजीगत) | 7,65,02,00,000 |
| 14 | पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य | (राजस्व) | 6,99,11,83,000 |
| | | (पूंजीगत) | 24,25,39,000 |
| 15 | योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | (राजस्व) | 1,04,20,32,000 |
| | | (पूंजीगत) | 63,55,00,000 |
| 16 | वन और वन्य जीवन | (राजस्व) | 7,39,08,42,000 |
| 17 | निर्वाचन | (राजस्व) | 46,33,09,000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 18 | उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी | (राजस्व) | 75,34,35,000 |
| 19 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | (राजस्व) | 12,84,26,20,000 |
| | | (पूंजीगत) | 10,56,00,000 |
| 20 | ग्रामीण विकास | (राजस्व) | 16,86,27,46,000 |
| 21 | सहकारिता | (राजस्व) | 48,80,97,000 |
| 22 | खाद्य और नागरिक आपूर्ति | (राजस्व) | 1,09,76,92,000 |
| 23 | विद्युत विकास | (राजस्व) | 2,07,99,92,000 |
| | | (पूंजीगत) | 42,90,00,000 |
| 24 | मुद्रण एवं लेखन सामग्री | (राजस्व) | 22,21,61,000 |
| 25 | सड़क और जल परिवहन | (राजस्व) | 2,59,70,62,000 |
| | | (पूंजीगत) | 23,01,00,000 |
| 26 | पर्यटन और नागर विमानन | (राजस्व) | 78,17,78,000 |
| | | (पूंजीगत) | 1,97,43,00,000 |
| 27 | श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण | (राजस्व) | 3,34,34,53,000 |
| | | (पूंजीगत) | 32,00,000 |
| 28 | शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास | (राजस्व) | 4,14,55,10,000 |
| | | (पूंजीगत) | 39,49,00,000 |
| 29 | वित्त | (राजस्व) | 1,21,08,86,09,000 |
| | | (पूंजीगत) | 1,80,02,000 |
| 30 | विविध सामान्य सेवाएँ | (राजस्व) | 1,03,06,19,000 |
| 31 | जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम | (राजस्व) | 16,44,22,20,000 |
| | | (पूंजीगत) | 2,53,57,00,000 |
| 32 | अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम | (राजस्व) | 22,01,86,14,000 |
| | | (पूंजीगत) | 7,76,98,98,000 |
| | **जोड़** | **(राजस्व)** | **4,32,53,23,46,000** |
| | | **(पूंजीगत)** | **33,71,46,02,000** |
| | **कुल जोड़** | | **4,66,24,69,48,000** |

**27.03.2026/1230/डीटी/एएस-7**

विपक्ष की ओर से अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु प्राथमिकताओं का जो क्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप मैं इनको सभा में चर्चा एवं मतदान हेतु रखूंगा। इससे पूर्व की अनुदान मांगों पर चर्चा आरम्भ हो, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपनी-अपनी बात संक्षेप में रखें क्योंकि सारे विषयों के ऊपर बहुत सारी चर्चा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव और बजट अभिभाषण के बाद चर्चा में हो चुकी है। अगर कोई नये तथ्य हों तो उन्हें जरूर माननीय सदन के समक्ष रखें। सर्वप्रथम मैं मांग संख्याः 7 -पुलिस और सम्बद्ध संगठन को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं। यही प्राथमिकता नेता प्रतिपक्ष और उनके साथियों ने निश्चित की है।

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 7 — पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित मु0 17,48,38,69,000/- रुपये (राजस्व) एवं मु0 3,38,00,000/- रुपये (पूंजी) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं। जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिए हैं और जिस प्रायोरिटी में दिए हैं उनके नाम मेरे पास दर्ज हैं। मैं उनके नाम ले रहा हूं। श्री जय राम ठाकुर, श्री विपिन सिंह परमार, श्री बिक्रम सिंह, श्री सतपाल सिंह सत्ती, श्री रणधीर शर्मा, श्री त्रिलोक जम्वाल, श्री लोकेन्दर कुमार और श्री आशीष शर्मा जी माननीय सदस्यों की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या उनकी ओर से प्रस्तुत हुआ समझूं?

**जारी एनजी...**

**27.03.2026/1235/ए.एस.-एन.जी./1**

**अध्यक्ष..... जारी**

सदस्यगण : **जी, प्रस्तुत हुए समझे जाएं।**

**अध्यक्षः** कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जो इस प्रकार हैः-

**मांग संख्याः 7 —पुलिस और सम्बद्ध संगठन**

**सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्याः**

**नीति का अननुमोदन 7**
**कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग**
**"पुलिस और सम्बद्ध संगठन"**
की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

1. **श्री जय राम ठाकुर**
2. **श्री बिक्रम सिंह**
3. **श्री सुधीर शर्मा**
4. **श्री सतपाल सिंह सत्ती**
5. **श्री रणधीर शर्मा**
6. **श्री त्रिलोक जम्वाल**
7. **श्री लोकेन्द्र कुमार**
8. **श्री आशीष शर्मा**

1. सरकार की पुलिस बल का आधुनिकीकरण की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की अपराध और मुजरिम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पर व्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की जेलों के प्रशासन का आधुनिकीकरण की नीति का अननुमोदन।

**27.03.2026/1235/ए.एस.-एन.जी./2**

प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध है। इस प्रस्ताव की चर्चा के अंत में माननीय मुख्य मंत्री उत्तर देंगे और माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के माननीय सदस्य यदि अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहें तो ले सकते हैं नहीं तो इस पर वोट होगा।

अब विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्ताव की चर्चा में भाग लें और सबसे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर से आग्रह करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य इस माननीय सदन में रखें।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या : 7 — पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अंतर्गत आपकी अनुमति से यहां पर अपनी बात कटौती प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। जब हम जिक्र करते हैं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश, तो स्वाभाविक रूप से एक चित्रण हमारे सामने होता है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी होगी, यहां के लोग देवतुल्य होंगे, यहां के लोग बहुत आनंद के माहौल में रहते होंगे और उसके साथ जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है, वह भी अनुभव करता है कि अगर मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जा रहा हूं तो मैं वहां पर सुरक्षित हूं और वहां आनंद के साथ घूम सकता हूं, रह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कहने के लिए तो यह प्रदेश देवभूमि रही, लेकिन उसके बावजूद देवभूमि में जिस प्रकार की परिस्थितियां होनी चाहिएं या जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिएं, उनके अनुरूप आज की तारीख में वे नहीं रही हैं। मैं इस बात को कहते हुए पीड़ा भी महसूस करता हूं कि देवभूमि भी आज अपराध से अछूती नहीं रही है। स्वाभाविक रूप से जो सरकार सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, उसका दायित्व बनता है कि कानून व्यवस्था को अपनी श्रेष्ठ प्राथमिकता दे क्योंकि सबसे पहले आदमी की जिंदगी सुरक्षित होनी

चाहिए। आदमी अगर अपने काम के लिए घर से निकले तो वह सुरक्षित वातावरण में काम कर सके और सुरक्षित वातावरण में काम करने के बाद अपने परिवार में वह वापस आ सके।

**27.03.2026/1235/ए.एस.-एन.जी./3**

लेकिन हम चाहे घटनाएं जितनी मर्जी कहें, चाहे वजहें जितनी मर्जी कहें, लेकिन आज की तारीख में वह स्थिति नहीं रही है और यह हम सबके लिए यह चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो व्यवस्था परिवर्तन की जिक्र हुआ और सुख की सरकार का जिक्र हुआ, लेकिन आपने इस बात को देखा होगा कि सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही एक घटना चम्बा में घटित होती है। जहां पर मनोहर नाम का एक नौजवान जब घर वापस नहीं आया तो परिवार द्वारा उसकी तलाश शुरू की गई।तलाश शुरू होने के दो दिन बाद मालूम पड़ा कि मनोहर की हत्या करने के बाद उसके शरीर के आठ टुकड़े करके बोरी में डालकर उसे एक नाले में दफना दिया गया है। स्वाभाविक रूप से यह घटना हम सब लोगों के लिए हृदय विदारक थी। इस घटना को अंजाम देने के पीछे चाहे वह समुदाय विशेष के एक व्यक्ति या एक परिवार की सोच हो और मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध तो 'अपराध' है। हालांकि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुझे इस बात को लेकर हैरानी हुई कि जब मैं और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस परिवार के साथ

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**27.03.2026/1240/एच0के0/ए0पी0/ 01**

**श्री जय राम ठाकुर जारी .....**

उस दुःख को साझा करने के लिए, सहानुभूति प्रकट करने के लिए वहां जाना चाह रहे थे, तो हमें वहां जाने नहीं दिया गया। सेक्शन-144 को लगा दिया गया। हमें रास्ते में रोक दिया गया और कहा कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति आने की आवश्यकता नहीं थी

क्योंकि वहां पर सभी जिम्मेदार लोग जा रहे थे। लेकिन जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। हम उस परिवार से प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सरकार ने हमें वहां पर जाने से रोक दिया। अब इन सारी चीज़ों के पीछे मैं जाना नहीं चाहता हूं। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मुझे इस बात का पता नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिम्मेदारी के साथ कहा था या आवेश में बहकर बोल दिया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 97 प्रतिशत हिंदू है और 97 प्रतिशत हिंदूवादी पार्टी को हम हराकर सत्ता में आए हैं। क्या ये कहने की आवश्यकता थी? आप सहज रूप से कह सकते थे कि मैं हिमाचल प्रदेश में जनता के उस जनादेश का सम्मान करता हूं और लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं। अध्यक्ष महोदय, वहीं पर ही नहीं बल्कि मीडिया में भी यह बोला गया। उसके बाद दिल्ली में, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वे मीडिया से इंटरैक्ट हुए तो फिर से पहली लाइन वहीं बोली। अध्यक्ष महोदय, इस तरह बीच में बोलना होगा तो बहुत कठिन होगा।

**अध्यक्ष** : आपने एक स्पेसिफिक बात बोली है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हिमाचल प्रदेश हिंदू राज्य है जहां पर 98 प्रतिशत हिन्दू है। हिंदूवादी पार्टी को हराकर के आए हैं। मुख्य मंत्री जी क्या आप इसको क्लेरिफाई करना चाहते हैं।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत मुश्किल होगा, अगर माननीय मुख्य मंत्री इस तरह से बीच में बोलते रहे।

**27.03.2026/1240/एच0के0/ए0पी0/ 02**

**अध्यक्ष** : इन्होंने मान लिया कि हिन्दूवादी पार्टी को हराकर आप सत्ता में आए हैं। यद्यपि प्रदेश में 98 प्रतिशत हिंदू रहते हैं, हिंदुओं का समर्थन भी आपको उनसे ज़्यादा प्राप्त है। ....(**व्यवधान**)

**श्री जय राम ठाकुर :** इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ है अगर आप गंभीरता से सोचेंगे, ये एक तरह से उस हिंदू परिवार को, यानी कि जो पूरा हमारा सनातन है, उसके लिए गाली है जो कही गई है, अपमान है ये।

**अध्यक्ष :** अभी बोलना है आपने (माननीय मुख्य मंत्री जी को कहते हुए) ठाकुर साहब आप यील्ड करेंगे?

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, नहीं अगर इसी प्रकार से होगा तो हम बोलेंगे कब? जब विपक्ष के नेता को आप बोलने ही नहीं देंगे। आपकी यह सनातन विरोधी सोच है। यह आप स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब आपने बोला है। आपने शिमला, दिल्ली, हैदराबाद, बेगलूरू में बोला है। आपने इस बात को सभी जगहों पर बोला है।

**Speaker :** Shri Jai Ram Thakur ji please, let the Hon'ble Chief Minister controvert your allegation. ...(Interruption) स्पष्टिकरण देने दो। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ।

**मुख्य मंत्री :** मैं विपक्ष के नेता को रोकना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का प्रचार क्यों करना चाहते हैं? आप अपने आप को प्रचार में लाकर यह साबित करना चाहते हैं कि हम सब लोग सनातनी हैं। राम मंदिर की छुट्टी जो दिल्ली में केंद्र सरकार ने आधे दिन की की थी लेकिन हमने प्रदेश में वह पूरे दिन की छुट्टी की थी। आप यह कहकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता जी मेरा मानना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर पर बोलिए। 97 प्रतिशत अगर प्रदेश में हिंदू हैं तो जो माननीय स्पीकर साहब बोला रहे हैं वह सही बात है। प्रदेश में मेजोरिटी हिंदुओं ने हमारी सरकार की नीतियों को अपनाया, हमारी सरकार को लाया तब जाकर आपको प्रदेश में हराया। इस तरह से कहना कि हम हिन्दू है हम कोई हिन्दू विरोधी नहीं है। हम आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर पर पूरे डिटेल के साथ बोलिए। आप फैक्ट्स बोल रहे

**27.03.2026/1240/एच0के0/ए0पी0/ 03**

हैं,

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

**27.03.2026/1245/AT/HK/01**

**मुख्य मंत्री जारी...**

मनोहर वाले मामले पर भी बोल रहे हैं, आप आगे भी बोलिए। ...(व्यवधान) नहीं, मैं पूरी डिटेल में सुनूंगा, कहीं पर भी हूंगा तो सुनूंगा जरूर। ठीक है।

**अध्यक्ष :** माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी। लॉ एंड ऑर्डर ...(व्यवधान) मनोहर हत्या कांड तो है ...(व्यवधान) इसे पॉलिटिसाइज़ न करें ...(व्यवधान) हिन्दू-मुस्लिम में मत बांटो इसको।

**श्री जय राम ठाकुरः** माननीय अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर तो है। यहीं से तो शुरूआत हुई है, पहली स्टेटमेंट के बाद मनोहर की हत्या होती है। क्योंकि उसमें ...(व्यवधान) उत्साह मिल जाता है कि सरकार हमारे हिसाब से चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे अपनी बात कहूंगा ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष :** क्राइम, क्राइम है, चाहे कोई भी करे।

**श्री जय राम ठाकुरः** ...(व्यवधान) आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। आपको बच्चे मिलते हैं और वे आपको राधे-राधे कहते हैं। इस पर आपने बच्चों से ही पूछ लिया कि आप राधे-राधे क्यों बोलते हैं, नमस्कार क्यों नहीं बोलते?

अध्यक्ष महोदय, आप कहां- कहां इस तरह की बातों को कैसे ठीक करेंगे? अगर आप गलत करेंगे, तो हम बोलेंगे। ...(व्यवधान) राधे-राधे का मतलब है ...(व्यवधान) और वह बच्ची तो सहम गई कि मैंने पता नहीं क्या कुछ गलत कह दिया। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अभी सदन में एक नेता कह रहे थे कि हमारी सरकार के दौरान नशे के बहुत मामले पकड़े गए और गिरफ्तारियां भी उसमें हुईं। स्वाभाविक रूप से जब आपने एक तरह की छूट दे रखी है तो ऐसा लगता है कि छूट दी

गई है। तो स्वाभाविक रूप से नशे का प्रचलन तो बढ़ेगा ही। हमारी सरकार के दौरान नशा मुख्य रूप से बड़े शहरों और बॉर्डर एरिया में ही मिलता था जैसे पंजाब, हरियाणा

**27.03.2026/1245/AT/HK/02**

और जम्मू-कश्मीर से लगते इलाको में। वहीं दूसरे राज्यों से इसका प्रचलन बढ़ता गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल है, वहां भी नशा पहुंच गया है। वहां नशे की खेप पकड़ी जा रही है और नौजवान नशे का सेवन करते हुए पकड़े जा रहे हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? स्वाभाविक रूप से जब मात्रा अधिक आएगी, तभी ज्यादा पकड़ी जाएगी और ज्यादा लोग इसलिए पकड़े जा रहे हैं क्योंकि इसमें शामिल होने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसे रोकने और कम करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 3 साल के कार्यकाल में 66 लोगों की मौत ओवरडोज के कारण हुई है। अध्यक्ष महोदय, बहुत पीड़ा होती है जब हम सुनते हैं कि कोई नौजवान चौराहे पर मर गया और कारण ओवरडोज का निकला। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिमाचल प्रदेश में नशे के 6,244 मामले दर्ज हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में चिंता का विषय है और चिंता का विषय तो तब होता है जब आप वॉकथॉन कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा कर रैलियां निकाल रहे हैं। ...(व्यवधान) जागरूक करने के लिए आप करिये लेकिन जब करोड़ों रुपये खर्च करके इसे एक इवेंट बना दिया जाता है ताकि फोटो आएगी, भीड़ आएगी और खबर बनेगी ...(व्यवधान) लेकिन नशे को रोकने के लिए आपने STF (स्पेशल टास्क फोर्स) बनाई है। लेकिन उसके 4 जवान ही नशे के कारोबार में शामिल हो गए। जिनके कहने पर उन्हें लगाया गया था अब इसका दोष किसे देंगे? चाहे किसी अधिकारी ने लगाया हो या आपने उनका नाम रिकमेंड किया हो पर किसी ने तो किया ही होगा। जब उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हो रही है तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? प्रश्न तो यह पैदा हो रहा है कि जिन्हें नशे को रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी पर वही लोग नशे के कारोबार में सहयोग कर रहे हैं।

**श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....**

**27.03.2026/1250/केएस/एचके/1**

**श्री जय राम ठाकुर जारी** --

क्या यह सरकार के कामकाज पर प्रश्नचिन्ह् नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन के कामकाज पर यह प्रश्नचिन्ह् नहीं है? गुमशुदगी की अगर बात कहें तो तीन साल के कार्यकाल में 1,534 मामले दर्ज हुए हैं। हिमाचल एक छोटा सा राज्य है जबकि यहां पर 1534 लोग गुम हैं, क्या यह चिंता का विषय नहीं है, कानून व्यवस्था का विषय नहीं बनता? दिन-दहाड़े गोलियां चल रही हैं। ऊना में एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी उसमें पता नहीं क्या हिसाब-किताब था। उसमें कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे। उनके होटल के परिसर में सारा इंतज़ाम चल रहा था। गोली से एक आदमी को छलनी कर दिया जाता है,उसकी हत्या हो जाती है और तीन नौजवान जिंदगी और मौत की बीच जूझ रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कि उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है या नहीं? तलवारों से उनके सिर, बाजू और शरीर पर चाटें आई हैं। इस पर सरकार का क्या जवाब है? क्या वजह थी कि वहां पर गोलियां चलीं और एक नौजवान की मौत हो गई? सरकार ने संरक्षण दिया है। नशा माफिया तो सक्रिय है ही लेकिन खनन माफिया भी सक्रिय है जिसकी वजह से ह घटना वहां पर घटित हुई है।

अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय तो यह है कि बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व विधायक पर गोली चली। बिलासपुर में गोली चली और उसमें एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई है। उसमें सारे डॉक्युमेंट्स हमारे पास हैं और अगर आप चाहें तो हम उन्हें यहां पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं लेकिन गोली चलाने वाले थे कौन? वे कभी उनके साथी हुआ करते थे और उनके साथ मिलकर काम करते थे। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूंगा कि वे क्या काम करते थे। चौक-चौराहे पर सभी को मालूम है कि वे क्या काम करते थे लेकिन मिलकर काम करते थे। जब मिल कर काम करते थे तब सब ठीक था और जब अलग-अलग काम करने लगे तो दो गुट हो गए, प्रतिस्पर्धा हो गई और उसके बाद वहां पर यह स्थिति हो गई कि गोली मार दी गई। लम्बे अंतराल के बाद शायद अभी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। क्या आप इसको बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है?

**27.03.2026/1250/केएस/एचके/2**

अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों का सरकार के पास क्या जवाब है? अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि मुख्य मंत्री के मीडिया सलाहकार के बेटे का दिन-दहाड़े अपहरण करने का प्रयास हुआ। यह वर्तमान सरकार में मिडिया सलाहकार हैं। वे कौन लोग थे और अपहरण क्यों करना चाहते थे? सरकार के अंदर इतनी किसकी हिम्मत हो गई कि मुख्य मंत्री के सलाहकार जो कैबिनेट रैंक के थे, उनके बेटे का अपहरण करने की कोशिश हुई और बताया गया कि उनके ऊपर हमला करने की भी कोशिश हुई। रिवॉल्वर भी दिखाई गई, यह जांच का विषय है। इन सारी चीजों को ले कर तथ्य सामने नहीं आ पा रहे हैं जिसके बारे में प्रदेश जानना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय, बी0सी0एस0 जो कि हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है, वहां पर गेट के पास से तीन बच्चों को कोई अगवा करके ले कर चला जाता है। किडनैपिंग हो जाती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार फिर सुरक्षित कौन है? नालागढ़, बद्दी में गोली चलती है और हद तो यह है कि पुलिस की टीम के ऊपर हमला कर दिया गया। यह चिंता का विषय है। 20 नवम्बर की रात तो नालागढ़ में पुलिस को दबंगों ने पीटा। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में ही है। पुलिस को ही पीट डाला। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। शुलिनी युनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**27.03.2026/1255/av/ag/1**

**श्री जय राम ठाकुर------ जारी**

एक नौजवान फिल्मी स्टाइल में गोलियां चलाता है। 20 नवम्बर की शाम को शिमला में 8 दिन से गायब 42 वर्षीय एक व्यक्ति की लाश मिलती है। हमीरपुर में 13 नवम्बर को नशा

माफिया ने थानेदार पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि लोगों की हिम्मत कहां तक पहुंच गई है। ऊना की एक घटना है कि वहां पर एक युवक का अपहरण करने के उपरांत उसको पीट-पीट कर मार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ऊना के इलाके में तो स्थिति यह बन गई है कि वहां पर कारोबारी लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियां मिल रही हैं। वहां पर उनके नाम से धमकियां दी जाती हैं और उनको कह दिया जाता है कि आप यहां पर इतना पैसा छोड़ कर जाइए नहीं तो आपको निपटा दिया जाएगा। नूरपुर में हमारी पार्टी के एक साथी को भी धमकी मिली है। हिमाचल प्रदेश में पहले इस प्रकार की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी परंतु आज की तारीख में आज यहां ऐसी घटनाएं भी घटित हो रही हैं। मैं जिस बिलासपुर की घटना का जिक्र कर रहा हूं वह तो कोर्ट कम्प्लैक्स में घटी है। शिमला के मॉल रोड पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने जिसको रिपोर्टिंग रूम भी कहते हैं, वहां पर एक युवक को सब्जी काटने वाले टोके से काट-काट कर मार दिया गया। यहां पर शिमला में पर्यटक घूमने आते हैं और हम उनका अभिनन्दन करते हैं। परंतु मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि 31 दिसम्बर को शिमला में कोई पर्यटक यदि ज्यादा शराब पी भी लेता है तो पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे अपितु उसको उसके होटल के रूम में छोड़कर व लोरी सुना कर आए। कानून-व्यवस्था ऐसे ही खराब होती है।

उसके बाद हमने देखा कि शिमला के रिज मैदान पर पर्यटक बोतले हाथ में लेकर और कपड़े खोलकर नाच रहे हैं। ...(व्यवधान) नहीं, पुलिस सामने थी और हमने वे विडीयोज देखे हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को इतनी छूट दे देंगे तो वह ठीक नहीं है। यहां पर पर्यटकों का स्वागत है परंतु जो कानून की परवाह नहीं करता; उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए।

**27.03.2026/1255/av/ag/2**

अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में 1855 दवाइयों के सेम्पल फेल हुए हैं जोकि एक चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त 239 मामले हत्या और 1011 मामले बलात्कार के दर्ज हुए हैं जोकि स्वाभाविक रूप से चिंता के विषय हैं। नालागढ़

में हुए ब्लास्ट की जांच की जानकारी हम आज तक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ब्लास्ट किस प्रकार का था और किसने किया; परंतु वह जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। प्रदेश को ये सारी जानकारी चाहिए। बद्दी में एक जगह एक युवक को दौड़ा-दौड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस गैंग ने ली। मैं कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान जहां जाना चाहिए वह वहां नहीं जा रहा है।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.03.2026/1300/टी0सी0वी0/ए0जी0-1**

**श्री जय राम ठाकुर .... जारी**

अध्यक्ष महोदय, अब अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किस काम में लगे हैं? राजनैतिक दृष्टि से मैं भी इस हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक मुख्य मंत्री रहा हूं। हमने प्रदेश की जनता के साथ एक ऑनेस्ट कमिटमैंट की थी। जिस दिन मैं पहली बार मुख्य मंत्री बना उसी दिन यह कहा था कि हम बदले की भावना और राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे। हमने उस बात का अक्षरशः पालन किया। 5 साल तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र में जो कहना था वह हमने आमने-सामने कहा लेकिन यहां सरकार बनने के बाद स्थिति अलग दिखी। मुझे उम्मीद थी कि मुख्य मंत्री जी की पृष्ठभूमि भी हमारी तरह साधारण होगी क्योंकि हम किसी राजनैतिक पृष्ठभूमि से संबंधित परिवार से नहीं आए हैं लेकिन यहां राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से चुने हुए विधायकों पर मामले दर्ज किए गए। वे भी इसलिए कि उन्होंने आपकी बातों का समर्थन नहीं किया। वर्षों से घर का रास्ता बना हुआ था उस रास्ते को बंद कर दिया गया। जब तक वे आपके साथ थे तब तक वह रास्ता खुला रहा लेकिन जैसे ही वह आपके विरोध में गये और हमारे साथ आ गए, आपने उनके घर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायकों को 4-4 घंटे, 8-8 घंटे तक पुलिस थानों में बैठाकर प्रताड़ित किया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपका समर्थन करने से मना कर दिया। प्रदेश में कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे और कितने लोग ऐसे हैं जो मोदी जी की बात से भी सहमत नहीं होंगे लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें पुलिस थाने में बैठा दिया जाए। उनके परिवारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उनकी जमानत रद्द न हो इसके लिए भी प्रयास किए गए। उनके ऊपर झूठे केस बनाए गए। अध्यक्ष महोदय, यह सोच किसी को आगे नहीं ले जाती। यह सोच व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाती है। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति कभी सफल नहीं हुई। हमने बड़े-बड़े नेताओं को देखा है जो आपस में लड़े, एक-दूसरे पर मामले दर्ज करते देखा लेकिन अंत में थककर कोर्ट से मामले वापस लिए और गले मिलकर फोटो खिंचवाई। इसलिए हमें इन बातों से सीख लेनी चाहिए और इस परंपरा को बंद करना चाहिए। आज भी अगर मैं मुख्य मंत्री जी के खिलाफ बोलता हूं तो हमारा कोई व्यक्तिगत

**27.03.2026/1300/टी0सी0वी0/ए0जी0-2**

विवाद नहीं है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। आपकी बातों से सभी सहमत हों यह जरूरी नहीं है। अगर आपको अपनी बात कहने का अधिकार है तो हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन जब हम अपनी बात कहते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि मामले दर्ज कर देंगे, जांच की जाएगी। आपका साढ़े 3 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है और अगर आप राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से विपक्ष के लोगों पर इस प्रकार के मामले दर्ज करेंगे तो प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इन सभी बातों पर आपको विचार करना होगा। आपका ध्यान कानून व्यवस्था की ओर नहीं जा रहा है। आपका समर्थन कौन कर रहा है, चाहे वह चोर हो, स्मगलर हो या कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति हो उसको आपका संरक्षण मिल रहा है क्योंकि वह आदमी आपसे जुड़ा हुआ है। वह आदमी आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और जो आपके विरोध में है उनके खिलाफ झूठे मामले बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। जो लोग आपका संरक्षण लेकर राजनीति कर रहे हैं वे किस प्रकार के धंधे कर रहे हैं, यह आने वाले

समय में सामने आएगा। उनको आने वाले समय में मुहं छुपाना मुश्किल हो जाएगा लेकिन आपको भी कठिनाई होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन लोगों की आपदा में जान में चली गई उनके परिवारों के खिलाफ भी 3-3 मामले दर्ज किए गए।

**एन0एस0 द्वारा... जारी**

27-3-2026/1305/NS-AG/1

श्री जय राम ठाकुर -----जारी

उन परिवारों के खिलाफ 3-3 मामले दर्ज किए गए। ...(व्यवधान) मेरा मुख्य मंत्री रहते हुए अपमान किया है। उस समय मेरी गाड़ी के ऊपर भी बतौर मुख्य मंत्री तिरंगा झंडा लगा था। हमारी गाड़ी के ऊपर भी काले झंडे फैंके गए और हमारी गाड़ियों के भी रास्ते रोके गए। लोकतंत्र में ये सारी चीजें होती रहती हैं।

**Speaker:** Conclude please. I have to adjourn the House for lunch break.

**श्री जय राम ठाकुर** : लेकिन आपने लगभग 70 लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए। आप अंदाजा लगाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एक जगह खड़े होकर नारे लगा कर लड्डू बांट रहे थे। यह थुनाग की बात है। आपके एक नेता ने उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए और कहा कि आपने रास्ता रोक दिया। हार्डली वहां पर 100 लोग भी नहीं थे। क्या आपको मालूम है कि उनकी पेशियां लग रही हैं? पेशियों के बाद उनको धमकाया जा रहा है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप राजनैत्तिक बदले की भावना से इस तरह के मामले दर्ज नहीं करेंगे?

**अध्यक्ष** : माननीय ठाकुर जी, कृपया कन्कलूड करें।

**श्री जय राम ठाकुर** : वे वहां पर जश्न मना रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन अगर आप जिम्मेवारी के साथ काम नहीं करेंगे या ऐसी सोच के साथ काम करेंगे कि यह हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है और इसके खिलाफ यह कार्रवाई करें तो अब आप उस स्टूडैंट पॉलिटिक्स से बाहर निकलें। पोस्टर फाड़ने पर जैसे

कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में झगड़ा होता था तो आप अब भी उस तरह के झगड़े कर रहे हैं। वॉल राइटिंग पर अगर थोड़ा-सा लिखा होता था तो कहा जाता था कि इसने क्यों लिख दिया और उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते थे। आप बतौर मुख्य मंत्री व्यवहार कीजिए। आप स्टूडैंट्स के नेता के रूप में व्यवहार मत कीजिए। हमारी उम्र अब बड़ी हो गयी है। हम लोग 60 वर्ष की आयु क्रॉस कर गए हैं। पिछले कल आपका जन्मदिन था। हम आपके जन्मदिन पर आपको फोन करके बधाई देने की कोशिश करते रहे लेकिन आप व्यस्त रहे। आप पर आसमान से ड्रोन के माध्यम से फूलों की वर्षा हो रही थी। मुझे तो ड्रोन से डर लगता है।

27-3-2026/1305/NS-AG/2

**अध्यक्ष :** आपको अच्छा लगा होगा।

**श्री जय राम ठाकुर :** चलो अच्छा है। हम जन्मदिन पर बधाई दे रहे थे। इन्होंने बधाई दे रहे थे और इन्होंने बधाई स्वीकार नहीं की। उसके बाद हमने रात को इनके लिए संदेश ही भेज दिया कि जन्मदिन की शुभकामनाएं। रात के 11.00 बजे इनका धन्यवाद का मैसेज आया। आप कभी फोन सुन लिया करें। हम कोई काम की बात ही करेंगे। हम अच्छी बात करने जा रहे थे। ...(व्यवधान)

**Speaker:** Please conclude now. अभी बोल दो कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अभी एक बार फिर से दे दीजिए।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले कल की दे रखी है। आज फिर से बधाई देता हूं। यह डिपेंड करता है कि मुख्य मंत्री जी माननीय सदन के अंदर विपक्ष से किस तरह का व्यवहार करते हैं? ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष :** आज तो आपको डिनर के लिए आमंत्रित किया है।

**श्री जय राम ठाकुर :** आमंत्रित तो किया है लेकिन व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है।

**Speaker:** मैडम का इन्वाइट है।

**श्री जय राम ठाकुर :** मैं मैडम जी का धन्यवाद करता हूं और इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है।आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** कटौती प्रस्तावों की प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि श्री सुख राम चौधरी जी ने मुझे चेंज करके लिस्ट दी है। मैं प्रायोरिटी में लिस्टिड कटौती प्रस्तावों के नाम लूंगा। अगर कोई माननीय सदस्य नहीं होगा तो उसको अनुपस्थित माना जाएगा। दूसरा, I would request that जितना शॉर्ट में बोलेंगा उतनी ही ज्यादा डिमांड्स डिस्कस होंगी। इससे पहले कि मैं भोजनोवकाश के लिए हाउस को एडजोर्न करूं, मुख्य मंत्री जी अपनी स्टेटमैंट कोरैक्ट करना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य यहां हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि हिमकेयर योजना में 450 करोड़ रुपये पूर्व सरकार में और 750 करोड़ रुपये वर्तमान सरकार के कार्यकाल में और लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग हुआ है।

**27-3-2026/1305/NS-AG/3**

आपने इसको भी कोरैक्ट करवा लेना अगर करना होगा। मुख्य मंत्री जी आप अपना वक्तव्य दीजिए।

मुख्य मंत्री ------आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

27.03.2026/1310/RKS/YK-1

## मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में जो बात कर रहे थे मैं उसमें कॉरेक्शन कर देता हूं। मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने राष्ट्रीय झंडे का अपमान सहन नहीं कर सकती। ...(व्यवधान) मैं कहना

चाहूंगा कि जब माननीय राजस्व मंत्री जी दौर पर वहां गए थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय झंडे पर जूते फैंके थे। क्या यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है? वे काले झंडे दिखाते तो दूसरी बात थी लेकिन यह तो तीरंगे का अपमान है। तीरंगे के अपमान के संदर्भ में उन पर केस दर्ज किए गए हैं। दूसरा, आपने पुलिस वालों की बात की। हमने उन एस0टी0एफ0 के चार पुलिस जवानों को पकड़ा है। बाकी बातों का जबाव तो मैं अपने रिप्लाई में दूंगा लेकिन हमने उन चार जवानों को पहले अरैस्ट किया और फिर सस्पेंड कर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ही तो यह व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। मैं आपको यही कहना चाहता था। धन्यवाद।

**अध्यक्ष** : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक स्थगित की जाती है।

**(सदन की बैठक अपराह्न 2.10 बजे तक स्थगित की गई।** )

27.03.2025/1420/बी.एस./डी.सी.-1

**(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 02.20 बजे पुनः आरम्भ हुई)**

**अध्यक्ष** : अब कटौती प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी और जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी है, जो विपक्ष की ओर से मुझे मिली है, उसमें ठाकुर जय राम जी के बाद माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी का नाम है। यहां चेंज कर दी है, but I am going by the list जो यहां ऑलरेडी प्रिंटेड है। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी you may speak. I cannot change it because the priority has to be settled by the Opposition only.

**श्री विपिन सिंह परमार** : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं कटौती प्रस्ताव मांग संख्याः- 07, पुलिस और संबद्ध संगठन के विषय में यहां बोलने के लिए खड़ा हूं। इसकी शुरुआत माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां बहुत विस्तार से कानून से संबंधित अलग-अलग मुद्दों के ऊपर, चाहे वह एन0डी0पी0एस0 एक्ट की बात हो

और यहां पर जब चर्चा होती है, हत्या, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, और एक्सटॉर्शन के बारे में और नशे के बारे में बहुत विस्तार से बात की जाती है और एन0डी0पी0एस0 के बारे में भी बात की जाती है। मैं इस माननीय सदन में मैं कुछ उन विषयों को रखना चाहता हूं जो हत्या, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर और लूटपाट से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले बहुत से नजरअंदाज हो जाते हैं। कुछ समय के लिए वे अखबारों में, समाचार पत्रों और मीडिया में उठते हैं और तत्पश्चात फाइलों में समा जाते हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूं, पालमपुर एक खूबसूरत शहर है। मैं तो यह भी देखता हूं कि जिस तरीके से वहां पर जमीनों की खरीद हो रही है, बहुत से लोग वहां पर आकर के अपना घर बना रहे हैं। वहां का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला यहां मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। पालमपुर तहसील, में एक करोड़ रुपये की भूमि का घोटाला बनुरी महल में होता है। वर्ष 1965 में एक व्यक्ति शहीद हुए और लगभग उन्हीं परिवारों में ऐसे लगभग 20-22 परिवार बन जाते हैं। एक मामला राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से वहां पर इस तरीके से ताना-बाना बुना जाता है कि विभाग के अधिकारियों का ही कारनामा वहां पर इस प्रकार से होता है कि 80 साल पुराने पुश्तैनी जमीन के ऊपर जो मकान था और जमीन थी, वह किसी और के नाम कर दी जाती है।

27.03.2025/1420/बी.एस./डी.सी.-2

वह कौन है? पालमपुर तहसील के राजस्व के अधिकारी और तो और यह कारनामा बिल्कुल वैसे नहीं हो सकता। वहां पर आज से 100 साल पहले एक रोजाना शराब करके महिला होती थी। वह उसकी जमीन की मालिक थी। वहां पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर, राजस्व के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस जमीन को लीगल हैर के नाम से, बनावटी लीगल हैर के नाम से तब्दील कर देते हैं और वहां के उस मुहाल के जो लंबरदार थे, उन्होंने कहा कि आप शिनाख्त करिए। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता हूं रोजाना शराब कौन है? तो दूसरे मुहाल के लंबरदार से गवाही डाली जाती। यह काम राजस्व के अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता। यह खबर अखबारों में खूब छपी और सोशल मीडिया में भी चला रहा। अध्यक्ष

महोदय, जब वहां पर जमीन का तबादला किया जाना था तो वहां पर जाली एफिडेविट भी बनाकर के दे दिए गए।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**27.03.2026/1425/DT/AS-1**

**श्री विपिन सिंह परमार ...जारी....**

कि रोजना सर्राफ के जो लीगल हियर्स हैं हम इनको जानते हैं। उस सयम यह मामला बहुत ज्यादा उठा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज की तारीख में यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मैं पालमपुर की बात कर रहा हूं वहां भूमि के अभिलेखों को चार दिन में ही बदल दिया गया। भू-माफिया ने फर्जी कागजात तैयार किए और आखिरकार जब यह मामला उठा तो अंदरखाते इसको बंद कर दिया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस विभाग ने इसमें अभी तक एफ0आई0आर0 दर्ज क्यों नहीं की? इतना बड़ा कांड हुआ। क्या पुलिस प्रशासन को इन सारी बातों का पता नहीं था? क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव था? चाहे राजस्व अधिकारी है या वहां पर जो अन्य दलाल हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं एक आरोप और लगाना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के अधिकारी पालमपुर से धर्मशाला के बीच ही पोस्टिंग चाहते हैं वह इसलिए क्योंकि वहां पर खूब माल आता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले संलिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत एफ0आई0आर0 दर्ज हो, उसमें चाहे तहसीलदार या नायब-तहसीलदार स्तर के अधिकारी भी शामिल हों तो उनके विरूद्ध भी तुरंत कार्रवाई की जाए। यह एक हिडन एजेंडा है। यहां पर हत्याओं की बात हो रही है, रेप की बात हो रही है, लापता हो गए लोगों की बात हो रही है, एक्सटोर्सन की बात हो रही है, पर ऐसे लगभग 22 परिवारों से हो रहे अन्याय की बात कौन उठायेगा? इसलिए मैं यह बात इस सदन में उठा रहा हूं। पालमपुर जमीन घोटाले में एक और अनियमितता सामने आई है। पालमपुर के एक राजस्व अधिकारी ग्रेड-II ने कथित तौर पर पालमपुर नगर निगम आयुक्त को एक आदेश जारी कर विवादित जमीन

की मालिक रोजना सर्राफ का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है, जबकि बनुड़ी गांव में उनकी मृत्यु हुई ही नहीं। गांव के नंबरदार आलोक शर्मा ने राजस्व अधिकारी के सामने पहले ही गवाही दे दी थी की रोजना सर्राफ कभी बनुड़ी की निवासी रही ही नहीं। उनके अनुसार उनका गांव में कोई निवास नहीं था और न ही उनकी मृत्यु वहां हुई है। इस गवाही के बावजूद रेवेन्यू अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया जिसके आधार पर पालपुर नगर

**27.03.2026/1425/DT/AS-2**

निगम ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। अध्यक्ष महोदय मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं।

दूसरा, हिमाचल ऑन सेल इस बारे में मैं कुछ बाते रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। ऐसे सनसनीखेज मामले अखबारों के माध्यम से उठते हैं। परंतु मैं यह रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि मैंने इस विधानसभा में एक प्रश्न किया था कि मुझे यह बताया जाए कि पिछले 3 वर्षों में कितने सी0एल0यू0 (Chang of Land Use) हुए हैं। चेंज ऑफ़ लैंड यूज का अधिकार सिर्फ और सिर्फ धारा 300 या नियम 118 के तहत गवर्नमेंट आफ हिमाचल प्रदेश को है और वे तमाम मामले कैबिनेट में आते हैं। तो मुझे यह जानकारी मिली कि पिछले तीन वर्षों में 31.7.2025 तक लगभग 181 ऐसे मामले बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ डवलपमेंट एजेंसी के हैं। वहां के सीईओ ने ऐसे मामलों से संबंधित कागजात परमिशन के लिए सरकार के पास नहीं भेजे बल्कि 181 में से 154 परमिशन अपने स्तर पर उद्योग विभाग को दे दी। या तो उद्योग विभाग सी0एल0यू0 की सिफारिश गवर्नमेंट आफ हिमाचल प्रदेश को करता लेकिन उद्योग विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है और वहां के सीईओ ने लगभग 154 मामलों की परमिशन दे दी, यह नियमों का घोर उल्लंघन है। अब किसके इसारे पर यह तमाम काम हुआ है यह तो हम नहीं जानते। तो क्यों न उस सीईओ को पार्टी बनाया जाए और पूछताछ की जाए कि क्या हिमाचल प्रदेश की इस संपदा के साथ, इस जमीन के साथ डॉ0 वाई0एस0 परमार जी ने

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी....**

**27.03.2026/1430/एच.के.-एन.जी./1**

**श्री विपिन सिंह परमार..... जारी**

जोकि हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे, उन्होंने धारा-118 इसलिए बनाई थी ताकि हिमाचल प्रदेश को बेचा न जा सके। लगभग ये 154 और 43,94,888.98 स्क्वायर मीटर जमीन बिना सरकार की इजाजत के दे दी गई और दी भी किसको कि आप यहां पर कोई औद्योगिक प्लांट लगाएं या फैक्ट्री लगाएं। यह मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमैंट के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी किसके इशारे पर यह काम कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश को क्यों बेचा जा रहा है? इसके प्रमाण मेरे पास हैं (कुछ कागज दिखाते हुए) और इन कागजों को मैं यहां पर रख सकता हूं, क्योंकि हमने विधान सभा में ये तमाम प्रश्न पूछे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर इस प्रकार के कुछ सनसनीखेज मामले हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 सालों में कोई माइनिंग पॉलिसी नहीं बनी।

अध्यक्ष महोदय, माइनिंग पॉलिसी से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि शराब माफिया भी बहुत सक्रिया है। मुझे बहुत सज्जन लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आप हमारे एमएलए हैं, हमारे गांव में शराब का खुला धंधा हो रहा है। वे सज्जन लोग पुलिस से भी संपर्क करते हैं और हमारे साथ भी करते हैं, परंतु उन लोगों को फिर अपमानित किया जाता है। (कुछ शराब के ब्रांड्स के नाम लेते हुए) मुर्गा, कच्चा मुर्गा, पक्का मुर्गा, लाल परी और ऊना नंबर वन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में समाज के लोगों को इस प्रकार का जहर पिलाया जा रहा है। सुलह विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। एक्साइज में एक नियम है और पुलिस के कर्मियों को यह जानकारी रहती है कि किस इलाके में इलीगल शराब बिकती है। मुझे यह जानकारी मिली कि हमारे एक थाने से दो नंबर का शराब का धंधा करने वालों को टेलीफोन किया गया कि कृपया करके आप लाल परी की दो पेटियां

रख लो, हमें टारगेट आया है और हम चालान करेंगे। कृपया करके आप 22000/- रुपये भर देना, उसके बाद आप आराम से काम करते रहना।

**27.03.2026/1430/एच.के.-एन.जी./2**

यह क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय? मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अलाचा कुछ नवोदित नेता ऐसे बनकर तैयार हो गए हैं कि उनको भी समझ में नहीं आता कि दो नंबर का धंधा करने वाले किसी व्यक्ति को मेले में अपने साथ में ले जाते हैं, पगड़ी पहनाकर उनको साथ में चलाते हैं। फिर वे उनके कानों में फूक भरकर कहते हैं कि जो लोग विपिन परमार के सोशल मीडिया में साथ में चले हुए हैं, यह होली के मौके पर रंग लगाने के लिए गए थे, इनके खिलाफ कोई-न-कोई एफ0आई0आर0 करके इन्हें पड़ताड़ित किया जाए। ये कैसी सोच है? अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पुलिस इस प्रकार के काम में व्यस्त है? हां, मैं यह जानता हूं कि पुलिस बहुत व्यस्त है क्योंकि वे कहीं पर पायलट लगा रहे हैं, कहीं एस्कॉर्ट लगा रहे हैं और उनके पास यही काम रह गया है। पुलिस वाले कहते हैं कि परमार साहब, हम क्या करें? नेता लोग आते हैं तो सुबह से शाम तक उनकी चाकरी करनी पड़ती है।...(व्यवधान) आपका (माननीय कृषि मंत्री को कहा) हाल भी वैसा ही है। श्री यादविन्द्र गोमा जी तो नए-नए मंत्री बने हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस को अपना काम करने का समय नहीं मिल रहा है। मैं पुलिस पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सुलह विधान सभा क्षेत्र में माइनिंग का धंधा भी बहुत चल रहा है। इसके लिए कानून तो बहुत बने और वर्ष 2015 में भी एक एम0एम0डी0आर0 एक्ट बना था। अध्यक्ष महोदय, अभी हफ्ता भर पहले मैंने जिला के पुलिस अधीक्षक को कहा कि थूरल के नजदीक एक व्यक्ति खनन कर रहा है और उसने लोगों की उपजाऊ जमीन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। वैसे तो उन लोगों की प्रॉपर्टी

और मकानों को असेस किया जाए तो ध्यान में यह आएगा कि दो नम्बर का पैसा तीन सालों में कहां से आ गया। धर्मशाला के पुलिस अधिक्षक ने टीम भेजी और डगेरा के नजदीक थाना भवारना के अंतर्गत खनन का काम पूरी तरह से चल रहा है।

श्री ए0टी0 द्वारा.....जारी

**27.03.2026./1435/HK/AT/01**

**श्री विपिन सिंह परमार जारी...**

बंदला से लेकर आलमपुर तक खनन हो रहा है और व्यास नदी पर भी यही हाल है। वहां हमारी अत्यधिक वाटर सप्लाई स्कीमें प्रभावित हुई हैं। तो क्यों कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई जाती है? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यहां कुछ सेक्शंस का जिक्र होता है लेकिन जहां समाज बर्बाद हो रहा है वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन तीन मुद्दों के अलावा मैं और कहना चाहता हूं कि पुलिस की वर्किंग पर मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। वे ईमानदारी से काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने बहुत जोर लगाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश का यह एक पहला मामला सुलह विधानसभा क्षेत्र का है वह केस कुसुम लता, पनापर गांव3, जिसमें जिन पर शक था, उनके पॉलीग्राफ टेस्ट हुए, फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस हुआ, लगभग 200 लोगों की ब्रेन मैपिंग हुई और नारको एनालिसिस टेस्ट भी हुआ फिर भी आज तक दोषियों की पहचान नहीं हो सकी।

नशे के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि नगरोटा में एक सज्जन हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर नौजवानों का नशा छुड़वाने का काम करते हैं योग पद्धति और लोकल हर्बल के माध्यम से। लेकिन राजनीति बीच में आ गई, और उस व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की की गई। गांव के लोग और ऐसे नौजवानों के माता-पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद यह सोचा था कि वे नौकरी करेंगे, लगभग पचास लोग मेरे घर आए और कहने लगे कि यह व्यक्ति जो नगरोटा से है वह प्राकृतिक चिकित्सा

और जड़ी-बूटियों से उपचार करता है, फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जब मैंने उन पचास बच्चों के माता-पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति मनोज मेहता ने उनके बच्चों को बचा लिया है। तो ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? उनके फोन क्यों जब्त किए जा रहे हैं? मैं पुलिस से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। लेकिन जहाँ खनन माफिया और एक्साइज के कारण गांव के गांव उजड़ रहे हैं और जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर उपचार हो रहा है, वहां ऐसे लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए।

**27.03.2026./1435/HK/AT/02**

मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं ...(व्यवधान) और तो और, माफिया का एक नया रूप भी सामने आ गया है, रेत माफिया, शराब माफिया और जंगल माफिया। इस जंगल माफिया में धर्मपुर, सिरमौर और जिला कांगड़ा में पेड़ों की कटाई हो रही है। जहां दो-चार पेड़ों की परमिशन होती है, वहां पच्चीस-पच्चीस पेड़ काटे जा रहे हैं। हर्बल पेड़ों को जड़ों से उखाड़ा जा रहा है और मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूं। मैं प्रशासन और पुलिस विभाग से यह कहना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर काम करें और चापलूसी करना छोड़ दें, क्योंकि डेढ़ साल के बाद भी आपकी वही स्थिति रहेगी। इसलिए आप आज से ही सही आदत डालें। कई जगहों पर दो-दो, तीन-तीन पायलट चल रही है और एस्कॉर्ट चल रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र में चोरी-डकैती हो जाए, तो पुलिस कहती है कि हम किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं और दो दिन बाद आएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) मैं व्यक्तिगत रूप से आपके (कृषि मंत्री) बारे में नहीं कह रहा हूं, लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं। आपको सब जानते हैं और डेढ़ साल बाद लोग आपको बताएंगे।

**श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....**

**27.03.2026/1440/केएस/एचके/1**

**श्री विपिन सिंह परमार जारी** ---

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार के तमाम विषय पुलिस डिपार्टमैंट के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न पैदा कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी सुलह में आए थे। पासिंग आउट परेड हुई। वहां पर श्रोता तो नहीं मिले, जनता नहीं मिला, नज़दीक के स्कूलों से बच्चों को जबरन बुलाया गया कि हाज़िरी भरनी है। पुलिस के एस0पी0 रैंक के अधिकारी वहां स्कूलों में निमंत्रण पत्र ले कर पहुंच गए। अरे, आप क्या कर रहे हो? एक जगह तो ह भी सुना गया कि वहां पर नारे सुक्खू साहब के नहीं पीछे से जय राम ठाकुर जी के नारे लग रहे थे। फिर बुलाकर पूछा गया कि ये कौन हैं, किस स्कूल के बच्चे हैं, इनके टीचर कौन हैं? गाज टीचरों के ऊपर गिरना शुरू हो गई और मेरे बारे में भी पूछा गया कि कहीं ये विपिन सिंह परमार के भेजे हुए नौजवान या बच्चे तो नहीं हैं? अरे, जैसी भावना होगी वैसे ही मुंह से स्वर निकलेंगे।

अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे आदरणीय श्री जय राम जी ने सारे विषय यहां पर रख दिए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बनूरी के केस में एफ0आई0आर0 की जाए और जहां पर एक्साइज़ के नाम पर पुलिस डिपार्टमैंट फोन कर रहा है, ऐसे वहां पर पूछताछ की जाए और कुसुम लता और शाइना ठाकुर जिसके ऊपर आक्रमण हुआ था, उस व्यक्ति को जमानत मिल गई। अगर जमानतें मिलेंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। फिर वे एक नहीं अनेक अपराध करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

**27.03.2026/1440/केएस/एचके/2**

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री बिक्रम सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-7 के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव आया है, उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब से डिस्कशन हो रही है इस पूरी डिस्कशन में हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने प्रश्नों के माध्यम से भी कि यहां कहा है कि किस तरीके की स्थिति है और पुलिस को जो एक्चुअल में काम करना है,

क्या वह कर रही है? अगर उसमें कोई कमियां हैं तो हम लोग बता रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन कमियों को दूर किया जाए। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है लेकिन इसके ऊपर यह प्रश्न लगा था कि नशे की ओवरडोज़ में वर्ष 2023 से 31 जनवरी, 2026 तक 66 लोगों की मौत हुई है। वर्ष 2023 में 8, वर्ष 2024 में 31 और वर्ष 2025 में 27 लोगों की मौत हुई है। इसमें 6,246 मामले आए हैं। उनमें से 19 मामले रद्द हो गए हैं, 57 मामले अनट्रेस्ड हैं, 108 मामलों में सजा हुई है, 139 मामलों में आरोपी बरी हुए हैं और 5437 मामले इस समय न्यायालय में चल रहे हैं। इसी प्रकार से 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक महिला उत्पीड़न के 2, मर्डर 69, एन0डी0पी0एस0एक्ट के तहत 2130 मामले दर्ज हुए हैं। 1 जनवरी, 2026 से 25 मार्च, 2026 में महिला उत्पीड़न के 6, मर्डर के 25, एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत 5567 मामले दर्ज हुए हैं। 1 जनवरी, 2020 से 25 मार्च, 2026 तक की जो टोटल फीगर आई है, उसमें महिला उत्पीड़न के 8, मर्डर के 346, एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत 8598 मामले दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार से तीन वर्षों में दिनांक 31 अक्तूबर, 2025 तक बलात्कार के 1011 मामले आए हैं। आत्महत्या के

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**27.03.2026/1445/av/yk/1**

**श्री बिक्रम सिंह------ जारी**

2003 मामले आए हैं। इसी प्रकार से गुमशुदगी के 1534 मामले आए हैं। उसमें बद्दी के 124, बिलासपुर 75, चम्बा 90, देहरा 13, कांगड़ा 136, किन्नौर 34, हमीरपुर 117, कुल्लू 104, नूरपुर 64, सिरमौर 121, शिमला 186 और मण्डी के 64 हैं। ये आंकड़े चाहे मर्डर के हैं या एन0डी0पी0एस0 एक्ट, आत्महत्याओं इत्यादि के हैं लेकिन इनमें बढ़ोतरी हुई है। अब आप कह रहे हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने बहुत अच्छे फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनके कारण नशे के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि केसिज

कम हुए हैं। आपके केसिज तो बढ़ रहे हैं और ये केसिज बढ़ क्यों रहे हैं? इसका मतलब कहीं-न-कहीं कमी है या संरक्षण देने का काम हो रहा है। उस कमी और संरक्षण देने का आपको पता नहीं चल रहा, ऊपर से आप बच्चों को दौड़ा रहे हैं और उनको यह बता रहे हैं कि हमारा यह प्रोग्राम है। आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, आपकी नशा छुड़ाने के प्रति कितनी गम्भीरता है यह सभी को नज़र आ रहा है। लेकिन यह जरूर है कि इन फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीति अच्छी हो रही है। आदरणीय मुख्य मंत्री इसके ऊपर पूर्ण रूप से राजनीति कर रहे हैं। अगर नशे के आंकड़े वर्ष 2015 से पढ़ना शुरू करें तो उस समय केवल 317 केसिज थे। उसके बाद वर्ष 2016 में 803 हो गए, वर्ष 2017 में 868, वर्ष 2018 में 1260, वर्ष 2019 में 1367, वर्ष 2020 में 1440, वर्ष 2021 में 1537, वर्ष 2022 में 1518 हो गए तथा वर्ष 2023 में जब आपकी सरकार आई तो 2045 केसिज थे। यह आंकड़ा पहले से सबसे ज्यादा है यानी पहले से 6 गुना ज्यादा हो गए। वर्ष 2024 में 1634 और वर्ष 2025 में 1744 मामले आए। ऐसा क्यों हुआ और इतने ज्यादा केस क्यों बढ़ रहे हैं? आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारी कानून-व्यवस्था मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? इसी तरीके से ये अलग-अलग प्रश्नों के माध्यम से आपके ही सरकारी आंकड़े आए हैं जिनसे यह पता चलता है कि हमारे ये-ये केसिज बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस विभाग को

**27.03.2026/1445/av/yk/2**

जिस तरीके से काम करना चाहिए वे उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर जीवन कुमार नाम का एक व्यक्ति जोकि काँग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और शायद इनका कुछ पदाधिकारी भी रहा है। वह अब ठेकेदारी करता है। वह ठेकेदारी में जब ठेके लेने जाता है तो उसकी काँग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि उससे वहां के नेता लोग पैसा मांगते हैं। लड़ाई होने के पश्चात उसको वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। श्री

जीवन कुमार के ऊपर लगभग 10 केसिज दर्ज किए गए हैं क्योंकि उसने वहां के नेता का विरोध किया। उसने वहां पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उस नेता का विरोध किया। श्री जीवन कुमार की वहां के नेता के साथ बनती ही नहीं है। इसलिए उसके ऊपर लगातार केस हो रहे हैं। एक बार वहां के नेता के बेटे ने उसकी सरेआम पिटाई कर डाली जबकि पुलिस ने उलटा श्री जीवन कुमार के ऊपर ही केस बना दिया। मैं यह डाडासिबा पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूं। यहां पर हम आवाज तो उठा रहे हैं परंतु मुझे नहीं लगता कि यहां पर हमारे द्वारा आवाज उठाने का कोई फायदा होने वाला है क्योंकि हर जगह राजनीति की जा रही है।

स्वां और संसारपुर टैरेस के अंदर अवैध खनन हो रहा है। जब हम इस बारे में विभाग को बताते हैं तो विभाग वहां के लोगों को पकड़ लेता है। जब पकड़े गए लोगों के बयान होते हैं तो पता चलता है कि काँग्रेस पार्टी के लोग वहां उन अवैध खनन माफियाओं से मिले हुए हैं। उन्होंने यह भी बता दिया कि उनको एक-एक गाड़ी के लिए कितना-कितना पैसा देना पड़ता है।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.03.2026/1450/टी0सी0वी0/ए0जी0-1**

**श्री बिक्रम सिंह.... जारी**

जब इस प्रकार की जब परिस्थितियां होती हैं तो इन परिस्थितियों के लिए, मुझे लगता है सरकार को खुले मन के साथ किसी चीज को बदमाशी को खत्म करना है, चोरी डकैती को खत्म करना है तो आदरणीय मुख्य मंत्री योगी जी से सीखिए। किस प्रकार से वहां पर कानून व्यवस्था ठीक हो रही है लेकिन कानून व्यवस्था तब ठीक होती है जब मुखिया ठीक होता है। जब मुखिया ठीक नहीं होता तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। इसलिए छोटी-छोटी बातों की तरफ गंभीरता से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये जो छोटे-छोटे प्वाइंट मैंने बताए हैं, चाहे वह इलीगल माइनिंग से संबंधित है, चाहे नशे की बात है, इन सब बातों के ऊपर हम बैठक कर जो मर्जी स्कीम बनाते रहे, अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी

फोटो लगवाते रहे लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब समय पुलिस ईमानदारी के साथ काम करेगी। जब प्रशासन ईमानदारी के साथ काम करेगा और जिनके हाथों में सरकार है वे लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे लगता है इसका लाभ तभी होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

**27.03.2026/1450/टी0सी0वी0/ए0जी0-2**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, श्री सुधीर शर्मा उपस्थति नहीं ।

**श्री सतपाल सिंह सत्ती :** अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-7 पुलिस और सम्बद्ध संगठन के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव आया है, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मुझसे पूर्व हमारी पार्टी के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, विपिन सिंह परमार जी और विक्रम सिंह जी या अन्य जितने भी माननीय सदस्य हमारे विपक्ष की ओर से हैं, उन्होंने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। वह चाहे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, चाहे बजट के ऊपर चर्चा थी उसमें सब लोगों ने अपने विचार रखे। इसी चर्चा के दौरान लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर भी प्रकाश डाला गया लेकिन कुछ बातें मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और पुलिस विभाग के मुखिया के ध्यान में लाना चाहता हूं। ऊना जिला हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है और बॉर्डर अंदर ऐसी अवैध गतिविधियां काफी ज्यादा गति से बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा जो मूल हिमाचल है उसमें ज्यादातर लोग आराम और शराफत से रहना चाहते हैं लेकिन अब हिमाचल के अंदर भी ऐसे लोग आने शुरू हो गए। ऐसा देखने में आता है कि जहां बाहर के लोग हिमाचल के अंदर नशा बेचने की गतिविधियां करते हैं, वहीं पर उन्होंने हिमाचल के लोगों को भी ऐसे कामों में लगा दिया है क्योंकि इससे माध्यम से अवैध पैसा आता है, बेहद अच्छा पैसा आता है। जब कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण उनके ध्यान में आते हैं कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके विरुद्ध बार-बार बोलने, बार बार आंदोलन होने से ,बार बार लोगों के माध्यम से शिकायत करने के बावजूद भी वे लोगों पकड़े नहीं जा रहे है तो उसके बाद जो शरीफ और ईमानदार आदमी होता है उसको भी लगता है कि इस व्यक्ति ने इतना धन इकट्ठा कर लिया और इसका कुछ नहीं हो रहा। सरकारें आ रही है,

सरकारें जा रही है तो क्यों न इसमें हम लोग भी शामिल हो जाएं। ऐसा हमारे नौजवान जो अच्छे लोग हैं, युवा शक्ति है, पढ़े लिखे लोग हैं, वे ऐसी घटनाओं को देख करके इसके अंदर इंवॉल्व हो रहे हैं जहां तक अवैध नशे का विषय है, इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा हो चुकी है। यह बहुत ही चिंता का विषय है जो एक चिपटे के नाम से नया नशा हमारे साथ लगते सूबे पंजाब से हिमाचल के अंदर बहुत तेज गति से बढ़ा है और इसके कारण बहुत से लोगों की ओवर डोज के कारण मौत भी हुई है। इससे बहुत से लोग लड़ाई का कारण भी बन रहे हैं। एक्स्पट्र्स द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जब आदमी इसको लेता है तो उसके

**27.03.2026/1450/टी0सी0वी0/ए0जी0-3**

बाद थोड़े समय तक ही उसकी जिंदगी रहती है जो शायद युवाओं के ध्यान में नहीं है। आदमी चंद साल ही काटता है और आदमी को इसकी लिमिट का पता तक नहीं चलता है। इसकी डोज बढ़ते-बढ़ते जैसे कहा गया कि ओवरडोज हो जाती है। पोस्टमॉर्टम के माध्यम से पता लगा है कि 66 की मौत ओवर डोज से हुई है। लोग टीका लगाते हैं या किसी और तरह से इसको खाते हैं लेकिन इसके कारण हमारे युवा जब जाते हैं तो उनके माता-पिता की स्थिति बहुत दयनीय होती है

**एन0एस0 द्वारा ... जारी**

27-3-2026/1455/NS-AG/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती-----जारी

क्योंकि हम सब लोग उनके घरों में दुःख प्रकट करने के लिए जाते हैं। तब ध्यान में आता है कि बहुत विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। पहले शराब थी और इसके साथ-साथ कुछ और अन्य नशे थे लेकिन यह नया नशा चिट्टा आ गया जिसके कारण बहुत से लोग मौत के कगार पर पहुंच गए हैं। अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि अखबारों में मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि जब मां-बाप ने नशे के लिए पैसे नहीं दिये तो

उन्होंने उनकी हत्या कर दी या हत्या की कोशिश की। नशे के लिए आदमी अपने मां-बाप के ऊपर भी हथियार उठा देता है। इसी तरह से कई ऐसे घरों के उदाहरण भी सामने आए कि उन बच्चों ने पूरे परिवार के बर्तन और सिलेंडर तक बेच दिए, घर के दरवाजे तक खोल के बेच दिए और मां-बाप तड़प रहे हैं कि हम क्या करें? इसके ऊपर बहुत सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे जिला ऊना में फिरोतियों के मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। भगवान का शुक्र है कि अभी बाकी जिलों के अंदर यह मामला नहीं पहुंचा है। जैसा श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि देश में अपराध की दुनिया के कुछ बड़े-बड़े लोगों के नाम लेकर स्थानीय लोगों ने भी अब यह काम करना शुरू कर दिया है। उनको शायद पता नहीं होगा लेकिन उनको रोका नहीं जा रहा है। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊना जिला में यह 10-20 लाख रुपये से शुरू हुआ था और आज 5 करोड़ रुपये की फिरौती तक ऊना जिले के अंदर अखबारों की सुर्खियां बन गई हैं। इसके साथ-साथ वहां अवैध हथियारों का प्रचलन भी बढ़ गया है। जिन अवैध हथियारों का परिणाम हमने 19 नवम्बर को ऊना में देखा। मैं इस माननीय सदन के अंदर बार-बार बोलता रहा, मुख्य मंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई है और माननीय उप-मुख्य मंत्री जी भी इस विषय को मंच के माध्यम से उठाते रहे कि कोई भी आदमी जो नशे का व्यापार करता है तो पुलिस को उसका फोन सुनने की जरूरत नहीं है। आपने भी ऐसा बार-बार बोला। मुख्य मंत्री जी ने फोन किया कि इस मामले में सख्ती की जाए। जैसा श्री विपिन सिंह परमार व श्री बिक्रम सिंह जी ने बताया कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन प्रभावशाली व्यक्तियों की हिस्सेदारी उसमें तय हो जाती है। ऊना में एक मामला किडनैपिंग का सामने आया। उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी तरफ से मार कर फेंक दिया जिसका नाम

27-3-2026/1455/NS-AG/2

शुभम राणा है। वह बच गया और बाद में उसने बताया कि जब मैं नीचे पड़ा हुआ था तो उनको इन-इन व्यक्तियों के फोन आ रहे थे कि इसको नंगल नहर के अंदर फेंके दो। उन्होंने कहा कि यह तो मर गया है। तब कहा कि फिर यहां से भाग जाओ। अगर वे नहर के

अंदर फेंक देते तो भी मर जाता और अगर वे चैक कर लेते कि जिंदा है तो भी मार दिया जाता। इसका मतलब यह है कि मर्डर के लिए ही उसको उठाया था। उसके बाद दिनांक 12 नवम्बर, 2025 को हम लोगों ने उपायुक्त, ऊना को मेमोरेंडम दिया। मैंने कहा कि हम आपको नाम, जगह और घर बता रहे हैं आप पुलिस को कहें कि इन लोगों की तलाशी ली जाए क्योंकि वहां पर कुछ लोगों के पास वैध हथियार हैं और कुछ लोगों के पास अवैध हथियार हैं। ऐसा सी0आई0डी0 के माध्यम से सामने आया कि ऊना जिला में 50 से 100 कट्टे बिक गए। ऐसे वैध हथियारों वाले भी थे। लेकिन उसके माध्यम से कोई कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को ऊना जिला के हैडक्वाटर में कांग्रेस के ही पूर्व विधायक के होटल के अंदर एक गैंगवार हो जाता है। उस गैंगवार में पहले एक व्यक्ति की दोनों बाजुएं तोड़ दी जाती हैं और फिर आंगन के अंदर जा कर कलेश होता है तथा उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है। आपने इसकी वीडियो देखी होगी। वह वीडियो पूरी नहीं देखी जाती है। हमें भी लोगों ने बताया लेकिन हम उतना नहीं देख पाए। फिर गाड़ी से कुछ आदमी उतरते हैं और दराट व डंडो से उन व्यक्तियों के बाजू, टांगे व सिर काट या फोड़ कर चले जाते हैं। आज उनका पी0जी0आई0 में इलाज चला है। वहां के डॉक्टर्ज व पुलिस की रिपोर्ट आई कि वह शत प्रतिशत ब्लाइंड हो गया है। एक व्यक्ति पैरालाइज्ड हो गया है क्योंकि उसकी नसें कट गई हैं और वे चार महीने बाद भी पुलिस को बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियां ऊना में हुई हैं। ये सारा मामला खनन का था जिसको मैं बार-बार यहां पर उठाता था। वे अच्छे परिवारों के लोग थे लेकिन उनको कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इतना लालच दे दिया गया। उन व्यक्तियों के परिवार के एक-दो सदस्य इंग्लैंड व अमरीका में रहते हैं। उनका धंधा इतना फल-फूल रहा था कि वहां 2 से 5 लाख रुपये महीने के बनते लेकिन यहां तो रात का ही 10 लाख रुपया बनना है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.03.2026/1500/RKS/DC-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी

अब वे परिवार वहां रह गए। उनके बच्चे मर गए या जेल के अंदर चले गए या फिर अंडरग्राउंड होकर भागे हैं। उनका कोई पता नहीं लग रहा है कि कौन कहां पर है। यह ऊना की कानून-व्यवस्था की स्थिति है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को उसी समय कहा था कि आप वहां ठीक अधिकारी लगाइए। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा श्री विपिन सिंह परमार और श्री बिक्रम सिंह जी ने कहा कि हम सबको दोष नहीं देते लेकिन कुछ लोगों को ऐसा काम करने की आदत पड़ जाती है। मैं कहता हूं बॉर्डर एरिया में जितने भी अधिकारियों को तैनात किया जाता है, चाहे वे एक्साइज के हों, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हों, चाहे पुलिस के हों या किसी अन्य डिपार्टमेंट के, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। अधिकारी वहां से जाना ही नहीं चाहते हैं। वे बार-बार घूम-घूमकर वहीं आ जाते हैं। इसके चलते वहां पर स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वहां पर पांच-पांच, सात-सात लाख रुपये की अवैध लॉटरी पकड़ी जाती है। मैंने इसके बारे में बजट में भी बात कही है। एक टीम अवैध लॉटरी वालों को एक-दो बार पकड़ती है। ऊना जिला में एक फिशरमैन वेलफेयर कमेटी बनी है। उस कमेटी में जो पांचवें या सातवें नम्बर पर मेंबर है, उस व्यक्ति की दुकान के अंदर दो बार रेड होती है और वह पकड़ा जाता है। आज तक माननीय मुख्य मंत्री जी की उसे उस कमेटी से हटाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसका आक्का वहां पर बैठा हुआ है। वह उसे फिशरमैन वेलफेयर कमेटी से हटने नहीं दे रहा है। वहां इतनी बेशर्मी से काम हो रहा है कि जिसकी दुकान के अंदर दो बार अवैध लॉटरी पकड़ी गई उसे कमेटी से नहीं हटाया जा रहा है। एक बार 5.46 लाख रुपये और दूसरी बार 4.93 लाख रुपये अवैध लॉटरी के रूप में पकड़े गए हैं। लेकिन फिर भी आपने ऐसे आदमी को फिशरमैन वेलफेयर कमेटी में रखा हुआ है। उस आदमी के ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? हम पुलिस वालों को कहां तक दोष देंगे? कोई ही होगा जो यह बोल देगा कि मेरी बदली कर दो और मैं नियमों के हिसाब से काम करना चाहता हूं। वरना आजकल तो पुलिस अधिकारी बिना रीढ़ की हड्डी के हो गए हैं। यह हमने सरेआम देखा है। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि आप इतने भी लल्लू क्यों बने हो। इससे अच्छा तो आप नौकरी ही छोड़ दो। आप IAS और IPS अपनी काबिलियत पर बने हैं। अगर

कोई नेता आपको ऊना से उठा देगा तो आप दूसरे स्टेशन में काम करेंगे। लेकिन कहीं-न-कहीं आपको 'ना' कहना होगा। वे हमारे सामने ऐसे बैठे रहते हैं जैसे उन पर

27.03.2026/1500/RKS/DC-2

कोई असर ही नहीं होता। आज ऊना जिला की इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि उन केसों के अंदर अभी भी कुछ लोगों की जमानतें होना शुरू हो गई हैं। जब वे जमानतें शुरू हुईं तो उन्होंने चार दिन पहले दोबारा से वही गतिविधियां शुरू कर दीं। जिन्हें डराना था, उन्हें उन्होंने दोबारा से डराना शुरू कर दिया है और लोगों को दुकानों के अंदर घेरना शुरू कर दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के प्रदेशों में हत्याओं के मामलों में सजा काटकर आए हैं लेकिन वे ऊना में क्वार्टर लेकर रहते हैं। क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है? अगर नहीं है तो मैं पुलिस को इसकी जानकारी दे दूंगा। कौन-कौन कहां पर रहता है, उसे वहां से बाहर भेजा जाए। अगर वे वहां से नहीं जाते तो उनको सबक सिखाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऊना कोई आश्रय का स्थान है? वहां पर उनकी रिश्तेदारियां भी हैं। इसी तरह वहां हर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति ऐसी ही है। लालसिंगी गांव के अंदर जब सैटलमेंट होती है तो उसके विरुद्ध पूरा गांव आंदोलन करता है। वे डी0सी0 ऑफिस और एम0सी0, ऊना में धरना देते हैं। बाजार के अंदर जुलूस निकाला जाता है। 60 चौधरी परिवार ब्लेम लगा रहे हैं कि बड़े-बड़े लोगों ने जो उसी गांव के अंदर पूर्व विधायक हैं, उन्होंने हमारी जमीनें अपने नाम कर दीं। उस तहसीलदार को अभी हटा भी दिया गया है और इसके लिए मैं माननीय सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं। मैंने यह मुद्दा उठाया था कि वहां पर OD। के कौन-कौन से ऑफिसर लगाए गए हैं। वहां पर एक ऐसा तहसीलदार लगाया गया था जो OD। में था और उसे तीन बार एक्सटेंशन दी गई। उसका काम ही गरीब परिवारों की जमीनों को हड़पना था। क्योंकि जहां सैटलमेंट हो रही थी वहां का लट्ठा नहीं था? जब से पंजाब बना, तब से उस गांव का लट्ठा नहीं आया। जब लट्ठा गुम हो गया तो इसमें सरकार का डिसीजन आया है और इसके बारे में मैंने विधान सभा में प्रश्न किया था। यह बोला गया कि बंदोबस्त होना है तो थैं रख। थैं रख का मतलब है कि अगर दादा और पिता उस जमीन को जोतते थे तो जब उस जमीन में बेटा हल चला रहा है तो वह जमीन उसके नाम होनी है। लेकिन वह जमीन उन्हें नहीं दी गई। वे 20 कनाल पर खेती करते हैं लेकिन उन्हें वह जमीन नहीं दी गई। 5-7 कनाल उनके नाम

लगा दी और 10-15 कनाल भूमि स्वां नदी में बह गई। अब घूमते रहो। उन 60 लोगों ने 6-7 लाख रुपये इकट्ठा किए और हाई कोर्ट में केस किया ताकि बंदोबस्त के ऊपर स्टे हो जाए। मुझे लगता है कि इस तरीके से उस गांव में कोई क्लेश न हो जाए। मैंने कल भी लकड़ी के कटान की बात की थी। मंदली गांव के अंदर लकड़ी का कटान होता है। वह BBMB की जमीन है। लोगों ने आरा, लकड़ी और गाड़ी पकड़वा दी

27.03.2026/1500/RKS/DC-3

लेकिन बंगाणा पुलिस स्टेशन वालों ने उनके विरुद्ध FIR ही दर्ज नहीं की। अब जिन लोगों ने इसकी सूचना दी थी वे बेचारे घूमे-फिर रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि आपके विरुद्ध ही केस बना दिया जाएगा। यहां श्री विवेक भाई जी बैठे हैं। यह इनके एरिया का केस है। मैंने 1-2 केस अपने एरिया के भी उठाए थे। वनगढ़ में अवैध लकड़ी का कटान हुआ।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

27.03.2025/1505/बी.एस./डी0सी0-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

वहां जो ऑफिशियल ठेकेदार थे, उनको कहा गया कि तुम्हारी ऑफिशियल लकड़ी हम तब जाने देंगे जब आप हमारी अनऑफिशियल लकड़ी पहले परमिट के ऊपर छोड़ेंगे नहीं तो गार्ड तेरे को पकड़ेगा और आपकी लकड़ी को भी अनऑफिशियल करेगा। बेचारे ने मजबूरी में अपना जो ठेका लिया हुआ था वह उस लकड़ी को बाद में लेकर गया और पिछली साल अनऑफिशियल लकड़ी लगभग तीन-चार किलोमीटर साथ शहर के अंदर गांव है वहां उसने उस लकड़ी को ढोने का काम किया। अब मेरे को तो कई बार हैरानी होती है कि इस तरह के काम सारे चले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे संदोल के अंदर एक फैक्ट्री लग रही है। लोगों का मानना है कि उस फैक्ट्री से बहुत बड़ा पॉल्यूशन होगा। अलग-अलग चीजें होंगी और उसे लगाने के

लिए लोग इनकार कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी ने इनकार कर दिया जिसकी अध्यक्ष हमारी मेजोरिटी की थी और हमने उस वक्त इसके लिए एन0ओ0सी0 नहीं दी परंतु उनको पॉल्यूशन का एन0ओ0सी0 भी मिल गया। बिजली वालों ने बिजली लगा दी आर पी0डब्ल्यू0डी0 ने सड़क भी बना दी। । जब पहले सब के एन0ओ0सी0 क्लियर नहीं हुआ हैं तो आज वहां एकता मंच के नाम पर लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भैया, फैक्ट्री हमारे गांव में क्यों लगा रहे हैं? उसको इंडस्ट्रियल एरिया में लगाइए और मैं तो अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी यहीं पर बैठे हैं। इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में ही होनी चाहिए।

मेरे गांव में कहीं 20 कनाल जमीन खाली है और हम उसके अंदर इंडस्ट्री लगा रहे हैं और कहेंगे कि यह ग्रीन इंडस्ट्री। ग्रीन क्या होती है, इंडस्ट्री कभी ग्रीन होती है? आप जिस मर्जी साइंटिस्ट से सर्टिफिकेट दिलाते रहो। उसके अंदर मशीन चलेगी, मशीन से गांव के लोगों के घर हिलेंगे। वहां ट्रक सामान लेकर के आएंगे। वहां छोटा-मोटा पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। उस संतोखगढ़ शहर के अंदर यानी जो हमारी नगर परिषद है उस एरिया के अंदर फैक्ट्री लग रही है। अब उसको तथ्यात्मक जांचना चाहिए कि यह ठीक है या नहीं? फैक्ट्री वाले ठीक हैं या लोग ठीक हैं? जब लोग विरोध कर रहे हैं तो जबरदस्ती क्यों की जा रही है? लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमें भी कह रहे हैं कि आप कहां हैं? हमने तो धरना देना है।

27.03.2025/1505/बी.एस./डी0सी0-2

मैंने कहा कि आप एक बार तथ्यात्मक जानकारी ले लो। जब नगर परिषद ने एन0ओ0सी0 नहीं दी तो उन्होंने कहां से ले ली।

अध्यक्ष महोदय, अनेकों चीजें हैं। मैंने कल भी यहां पर ध्यान में लाया था उस फैक्ट्री का नाम है—गोथमी एक्वा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कल को खराब हो सकती है, क्योंकि सारा काम विरोध में है। दोनों पार्टियों ने मिलकर के एक एकता मंच बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो गए। मैंने बोला ठीक है अगर आप लोगों को लगता है तो आप आपनी आवाज उठाइए। पार्टियां

अलग-अलग हो सकती हैं परंतु विषय तो इकट्ठा हो ही सकता है। वहां पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए।

ऐसे ही मैंने सोलन चेस्टर हिल-1 और-2 का विषय उठाया था। जो आदरणीय विपिन सिंह परमार जी ने कहा-118 का उल्लंघन हो रहा है। वहां 274 बीघा जमीन एक ऐसे नाम पर ले ली गई जिनकी जमीन लेने की हैसियत ही नहीं है और वहां पर जब किसी ने शिकायत की तो डी0सी0 ने साहब ने एस0डी0एम0 को ऑर्डर दिया कि आप इसकी इंक्वायरी करो। उन्होंने कहा कि इस केस को हमें इनकम टैक्स को देना चाहिए या ई0डी0 को देना चाहिए। इसमें 118 का भी उल्लंघन हुआ है। लेकिन सरकार के ही एक बड़े अधिकारी ने जिसे हम बोलते हैं बड़ा अधिकारी उसने उस सारी रिपोर्ट को रोक दिया और उसके बाद उस जगह के ऊपर काम हो रहा है। आप कल्पना करो कि 274 बीघा जमीन एक किसी नाथू राम के नाम पर ले ली गई, वह भी सोलन के अंदर और इसमें रिपोर्ट भी एस0डी0एम0 ने की है कि इसकी हैसियत खरीदने की नहीं है। इसमें ए टू जेड सारी चीजों का उल्लंघन हुआ है और इसको ई0डी0 को देना चाहिए। लेकिन क्या सरकार में हिम्मत होगी कि इसे ई0डी0 जो दें? नहीं होगी। क्योंकि उसमें बड़े लोग फंस जाएंगे। जो खंबे लगाने के भी पैसे लेते थे, जब वह बिजली बोर्ड में चेयरमैन थे, उन्होंने मेरे एरिया के आदमी से पैसे लिए हैं। कौशल फैमिली, संतोखगढ़, उन्हें फोन जाते थे कि भैया, नहीं तो पेमेंट हो जाएगी। अब लास्ट पेमैंट बची है अब आ जाइए। मैंने कहा कि चले जा और जा करके दे आओ। वे कहते थे वे बिल देते थे उसके बाद पेमैंट बढ़ जाती थी, चाहे कांग्रेस का राज रहा चाहे, चाहे बी0जे0पी0 का राज रहा, तो ऑफलाइन भी पैसे जमा करते थे और ऑफ लाइन भी पैसे जमा होते थे परंतु अब तो बुला-बुला करके पूछते हैं, करवा दी क्या है? वही अधिकारी इसमें 274 बीघा जमीन में शामिल है। इस व्यक्ति ने चंडीगढ़ में

27.03.2025/1505/बी.एस./डी0सी0-3

5 एकड़ जमीन ।.30 करोड़ रुपये की ले ली है। वहां पर 68 एम0एल0एज0 की पूरी कॉलोनी बन जाएगी। मैं तो परसों भी बोला था कि मुख्य मंत्री जी को सवा-अढ़ाई करोड़ दे करके बढ़िया भवन बना देना चाहिए। क्योंकि उनको तो हम डबल दे रहे हैं यदि उन्होंने ईमानदारी से खरीदी है।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेरा इतना निवेदन है कि हम लोग इसमें जीरो टॉलरेंस रखें। जीरो टॉलरेंस बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे और अच्छे अधिकारियों को नहीं लगाएंगे। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि आपसे काम भी किस-किस का करवाएं? आपने इतनी बार बोल दिया और आपने डिक्लेयर भी कर दिया तो आदरणीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी शपथ करवा दो, कल आपका जन्म दिवस था कल ही करवा देते। अगर आपने डी0जी0पी

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**27.03.2026/1510/DT/YK-1**

**श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी....**

के पद पर रेगुलर व्यक्ति को बिठाओं अब प्रदेश का डी0जी0पी0 भी ट्रेनी है और तो और मुख्य सचिव भी ट्रेनी है। ये दो सालों बाद पक्के होंगे तब तक आपकी सरकार ही नहीं रहेगी। वह दोनों उच्च अधिकारी ट्रेनिंग में रखे हुए हैं। ऐसे पदों पर नियमित अधिकारी को लगाओं और अगर यह अधिकारी सरकार की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करते तो सरकार तो नियमित अधिकारियों को भी हटा सकती है, सरकार के पास ऐसी शक्ति होती है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी या माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास अधिक जानकारी होगी कि नियमित अधिकारियों को हटा सकते हैं या नहीं? सरकार इतना क्यों डर रहीं है कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर भी टेंपररी रूप से अधिकारी बिठाये हुए हैं? हमारी सरकार के समय तो ऐसे तीन-चार उच्च अधिकारियों को हटाया गया। जो अधिकारी या कर्मचारी गलत करता है उसे हटा दो आप को जनता ने ताकत दी है, उसका उपयोग कीजिए। बड़े संघर्ष् के बाद माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सक्खू जी को ताकत मिली है। इन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। भले ही विश्वविद्यालय के समय ये विश्वविद्यालय में 10:00 बजे आते थे 11:00 बजे चले जाते थे पर संघर्ष तो फिर था ही। क्योंकि न विश्वविद्यालय में कोई मानता था और न ही शहर में कोई मानता था और न ही राज्य में कोई मानता था। श्री मुकेश जी तो हमारे क्लास-फेलो हैं और ये जानते हैं कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार के

संघर्ष होते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में बोला जाता था कि यह राज्य ऐसा है जहां पर क्राइम कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति सुक्खू जी के कद का आया, वह भी न ज्यादा लंबा है और न ही ज्यादा चौड़ा है, उसने एक सीधी बात कही कि 60 मर्डर करने वाला अतीक अहमद नहीं रहेगा। मैं यह भी कह सकता हूं कि पूरी जिंदगी में अगर किसी ने लाइव मर्डर कहीं देखा होगा तो वह अतीक अहमद का ही देखा होगा। पहली बार सरेआम सड़क में पुलिस वालों के घेरे में यह लाइव मर्डर हुआ। किसी-न-किसी की तो प्लानिंग होगी न कि इसका मर्डर लाइव दिखाना है। ऐसा अपराधी जो न बच्चें को छोड़ता था, न महिलाओं को छोड़ता था और न भूमि वालों को छोड़ता था, न किसी अन्य मामले में किसी को छोड़ता है, इसलिए इस अतीक अहमद का मर्डर लाइव दिखाना है पूरा

**27.03.2026/1510/DT/YK-2**

विडियो केमरा सेट किया गया होगा और उसका लाइव मर्डर सभी ने देखा। उस व्यक्ति ने 60 लोगों का मर्डर किया था। मैंने परसों ही एक पत्रकार का इंटरव्यू सुना था इसलिए मुझे यह सब जानकारी हुई। उसने कहा कि अतीक अहमद के आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में 10 जजिज ने इंकार कर दिया था कि हम इसके केस के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते यानी इसकी दहशत ज्यूडिशरी तक भी थी। उन्हे यह डर था कि कहीं यह बदमाश हमारे बच्चों को ही अगवा न कर ले। अतीक अहमद, एक तांगा चालक का बेटा 15000 करोड़, का मालिक हो गया। उसके परिवार के लोग या तो ऊपर चले गये या अगर बचे भी हैं तो पुलिस से छुपते फिर रहे हैं। इसको कहते हैं राजनीति । अच्छे लोगों को संरक्षण देना और बदमाश लोगों को सबक सिखाना, यह मुझे लगता कि हर मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है। अगर मुख्यमंत्री उसके पास जो शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई हैं उनके अनुसार काम नहीं करता तो उन शक्तियों का कोई लाभ नहीं। अगर प्रदेश के लोगाों को यह विश्वास नहीं है कि मेरी बहन, मेरी बेटी शाम को सही सलामत घर भी आएगी या नहीं, मेरे बेटे के ऊपर कोई हथियार नहीं उठायेगा तब सरकार मजबूत कहलाती है। लेकिन शिमला शहर में मुख्य मत्री जी के मीडिया

सलाहाकार के बेटे ऊपर कोई अटेक कर देता है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। सरकार के सामने यह हुआ हमने तो इसके बारे में श्री जय राम ठाकुर जी से सुन। मैंने अखबार में पढ़ा था लेकिन भूल गया था लेकिन अभी मुझे फिर याद आया। श्री नरेश चौहान जी हमारे मित्र हैं। अगर उनके बच्चे पर गोली चला दी जाती तो क्या होता? ठीक है छोटा-मोटा मन मुटाव हो सकता है या कोई छोटा-मोटा झगड़ा हो सकता है, लेकिन किसी की हिम्मत न कि वह सरेआम किसी पर बंदूक तान दे। तलवार और राइफल लेकर के प्रदेश बच्चे गोलियां और तलवारे सरेआम चलाने लग पड़े, तो क्या होगा? यह बहुत बड़ी घटना प्रदेश की राजधानी में हुई है और मेरा सरकार से निवेदन है, चाहे वर्तमान सरकार हो या भविष्य में कोई भी गवर्नमेंट आए, हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश रहने दो वरना इस पहाड़ी प्रदेश में कोई भी नहीं आएगा। अगर प्रदेश में कोई भी पर्यटक नहीं आयेगा तो हमारी आर्थिकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए लॉ एंड आर्डर पर जीरो टॉलरेंस का मतलब है जीरो टॉलरेंस।

**27.03.2026/1515/DT/YK-3**

दूसरा, प्रदेश में की जा रही करप्शन का विषय है। आज सरकार वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उच्च अधिकारी का

यह काम होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये की चीज सरकार को देता है तो उससे पूछे कि 8 रुपये में तू कैसे दे सकता है। उसको यह न बोला जाए कि 10 रुपये की चीज तू 15 रुपये में दे दे उसमें से 5 रुपये मेरे और 4 रुपये तेरे जबकि उस चीज कीमत 7 रुपये है। अधिकारियों को इसलिए थोड़ी अहम पदों पर बिठाया जाता है उनको तो इसलिए बिठाया जाता है कि मंहगी चीज को भी कम दामों में कैसे लिया जा सकता है, वे उस प्रकार का प्रबंधन बनाए। वह चीज उसकी मांग मूल्य से सस्ती खरीदे मतलब चार पैसे उसको भी बचे लेकिन बीच में कोई दलाल न हो और सरकार का लाभ हो जाए। लेकिन यहां तो उल्टा है की 5 रुपये की चीज को 75 रुपये में लेने को तैयार हो जाते हैं। यह एक तरह का मामला नहीं है। ऊना के अंदर आ0टी0ओ0 में भी दलाल बैठ गये हैं। ऊना के हस्पताल के अंदर भी दो दलाल बैठे हुए हैं। वहां पर दो कंपनियों की ही दवाइयां लिखी

जा रही है बाकि कंपनियो की दवाइयां नहीं लिखी जा रही । वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इससे परेशान है। वे कहते हैं कि इससे अच्छा तो भाजपा की सरकार ही थी। वे कहते हैं कि आपने 25 साल में कभी इंटरफेयरेंस ही नहीं किया। तो मैंने कहा कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि आर0टी0ओ0 ऑफिस में क्या होता है? लेकिन फिर वे लोग बोले कि वहां पर भी डेढ़ साल से एक आदमी बैठ गया। पहले 1000 रुपये की घूस उसे दो फिर उसके बाद आगे कागज दो, अगर ऐसा नहीं करते तो आर0टी0ओ0 या एम0वी0आई0 उसे कहता है कि आपका काम नहीं हो सकता।

वहां पर डाक्टर की बात करूं तो डाक्टर्ज बिलो स्टैण्डर्ड दवाइयां लिख रहे हैं। डाक्टर्ज को आदेश करो और उनको टॉप कंपनियों की दवाइयों की लिस्ट दो और कहो कि इनमें से दवाईयां रोगियों के लिए प्रेसक्राइब करनी है। एक माफिया ऐसा चल पड़ा है, मुझे हैल्थ की थोड़ी कम नॉलेज है हैल्थ से जुड़े लोगों को ज्यादा जानकारी होगी

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**27.03.2026/1515/वाई.के.-एन.जी./1**

**श्री सतपाल सिंह सत्ती..... जारी**

कि लाइसेंस लेकर अपने आप ही लोग फैक्ट्री के अंदर दवाइयां बनाते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी अरबों रुपयों की फैक्ट्रियां हैं, कर्नल साहब (माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को कहा) बता सकते हैं कि सारी चीजें क्या हैं। ऐसे कैसे लोगों को अनुमति दे दी जाती है? बिलो स्टैंडर्ड दवाई 125 रुपये की और ग्लैक्सो की दवाई 10 रुपये की मिल रही है। टॉप की कंपनी कौन-सी है? मैं किसी कंपनी का पक्ष नहीं ले रहा हूं और न ही किसी का एजेंट हूं। डॉ0 रेड्डी जैसी कई बड़ी कंपनियों के बारे में हमने सुना है। लेकिन छोटी कंपनियों की दवाइयां महंगी व घटिया हैं इसलिए सारे सैंपल फेल हो रहे हैं। यह सारा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। मेरा तो निवेदन है कि जो अवैध कैप्सूल व अनेक दवाइयां बिकती हैं, अगर उस एरिया के अंदर पुलिस रेड मारकर अवैध कैप्सूल पकड़ती है तो उसी दिन शाम को ड्रग

इंस्पेक्टर सस्पेंड कर देना चाहिए। क्योंकि काम तो उसका था, लेकिन पुलिस को करना पड़ा। उसका काम क्या केवल महीना लेने का है? लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस लॉ एण्ड ऑडर्र भी सम्भाले, पुलिस दवाइयां भी पकड़े, चोरी भी पुलिस पकड़े, एक विभाग कितने काम करेगा? हर डिपार्टमेंट का अपना-अपना काम है। एक्साइज़ व इंकम टैक्स विभाग का क्या काम है? अगर उनके काम भी पुलिस को करने पड़ें तो एक विभाग के ऊपर कितना दबाव आ जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस बोलने में नहीं, बल्कि करने में लाना चाहिए। उसके बाद अपने आप ही आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश इतना कमजोर नहीं है। यहां पर इतनी नदियां बह रही हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश सौंदर्य से भरपूर है। हमारे पास न्यूजीलैंड जितनी तो पॉपुलेशन है और वे कितने लोकप्रिय देश हैं।

**27.03.2026/1515/वाई.के.-एन.जी./2**

उनका टूरिज्म कितना ज्यादा है। वहां पर इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। क्योंकि वहां कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि बिना नियम के कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। इसलिए हम सबको इस पर ध्यान देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यह हम सब का सौभाग्य है कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। इस प्रदेश की जनता के सामने दो ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इन दोनों ने अगर अच्छा काम किया है तो उसका श्रेय भी दोनों को जाता है और अगर गलत हुआ है तो उसका श्रेय भी दोनों को जाता है। यहां पर तीसरा दल कभी भी नहीं आया। इसलिए हम और आप लोग

अच्छाई से भी नहीं बच सकते और बुराई से भी नहीं बच सकते। हमें सही निर्णय लेना चाहिए ताकि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां काम करती रहें और हम अच्छा शासन दें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखें, बदमाश लोगों को पकड़ें और किडनैपिंग करने वाले तथा फिरौती मांगने वालों के ऊपर बुलडोजर भी चलाना पड़े तो हमें चलाना चाहिए। पहले समझाना चाहिए, क्योंकि वे बाहरी लोगों के प्रभाव में बिगड़ गए हैं। मैं मानता हूं कि जिन्होंने यह किया है और उनके परिवारों को भी मैं जानता हूं तथा उनके माता-पिता भी मजबूर हैं कि हमारे बच्चे ऐसा काम न करें, लेकिन वे धीरे-धीरे चंगुल में फंस गए हैं। जब देखते हैं कि कोई करोड़पति बन गया, तो वे बच्चे भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं कि मैं क्यों फालतू घूम रहा हूं। अगर एक-दो लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे और बाहरी लोगों को रोकेंगे, तो हमारे लोग अपने आप यह काम छोड़ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है क्योंकि वे अच्छे परिवारों के लोग हैं, लेकिन पुलिस को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी। बड़े अधिकारियों को सही जगह और अच्छे व्यक्ति को अच्छे स्थान पर जिम्मेदारी देने से ही मुझे लगता है कि सारी चीजें सुधरेंगी। इसी निवेदन के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

**27.03.2026/1515/वाई.के.-एन.जी./3**

**अध्यक्ष :** अब इस कटौती प्रस्ताव की चर्चा में माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा भाग लेंगे।

**श्री रणधीर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा पुलिस और सम्बद्ध संगठन विषय पर जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। अभी माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने चर्चा की है कि हिमाचल प्रदेश के

डी0जी0पी0 ही कार्यवाहक हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रदेश का पुलिस प्रमुख ही रेगुलर न हो बल्कि कार्यवाहक (वर्किंग) हो, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या हो सकती है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। परंतु मैं इसके आगे और बात करना चाहता हूं।...(व्यवधान) विक्रमादित्य जी, सुनिए। अभी उस कार्यवाहक को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है और एक हफ्ते के लिए किसी और को कार्यवाहक डी0जी0पी0 लगा दिया गया है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी होनी चाहिए। क्या डी0जी0पी0 की पोस्ट भी सबलेट होती है? कार्यवाहक को छुट्टी देकर फिर एक हफ्ते के लिए किसी और को कार्यवाहक लगाया गया क्योंकि उन्हें 31 मार्च को रिटायर होना है, इसलिए उनको डी0जी0पी0 लगा देना, क्या पुलिस विभाग किसी को खुश करने के लिए बना हुआ है? किसी एक व्यक्ति की इच्छा है कि वह डी0जी0पी0 के पद से रिटायर हो, इसलिए एक को वर्किंग रखना, फिर उसे छुट्टी भेजना और फिर दूसरे को लगा देना, ये कहां कि कार्यप्रणाली है?

श्री के0एस0 द्वारा.....जारी

**27.03.2026/1520/केएस/एचके/1**

**श्री रणधीर शर्मा जारी** ---

यह कैसी सरकार है और इस सरकार से हम कानून व्यवस्था की उम्मीद करें तो मुझे लगता है कि गलती हमारी है। आवश्यकता है कि सरकार सक्षम अधिकारियों को इस जिम्मेवारी पर लगाए। यह एक्सपेरिमेंट ना डी0जी0पी0 जैसी पोस्ट पर होने चाहिए ना चीफ सैक्रेटरी जैसी पोस्ट पर होने चाहिए। जो योग्य हैं, सक्षम हैं, काम कर सकते हैं, जिनका पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, आपके पास उनका सारा रिकॉर्ड है, उसको देखकर लगाइए परंतु जिसको लगाएं, उससे काम लीजिए। आप 6-6 महीने कार्यवाहक रखेंगे, पता नहीं लगता कार्यवाहक ही रिटायर हो जाएंगे। ना वे काम कर सकते हैं और ना अपनी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से डेमोरलाइजेशन आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पद्धति में सुधार किया जाए और

रैगुलर डी0जी0पी0 लगाए जाएं। दूसरा, जो आपराधिक आंकड़ों का विवरण बिक्रम सिंह जी ने दिया, वह इन्होंने पूरे प्रदेश का पिछले कई सालों का दिया है। अभी विधान सभा में 3 दिन पहले ही प्रश्न लगा था कि गत तीन वर्षों की डिटेल दी जाए। अगर आप 31 जनवरी, 2026 तक के आपराधिक आंकड़ों की डिटेल देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल हुआ है और अगर वह बिगड़ी तो इस कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिगड़ी है। हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हत्याओं के ही 270 मामले इन तीन सालों में दर्ज हुए हैं। बलात्कार के 1096, चोरी के 3032 , डकैती के 9 और किडनैपिंग के 1540 मामले दर्ज हुए। ये 5947 मामले बनते हैं। यह आपका कानून व्यवस्था का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें नशे वाले नहीं जुड़े हैं। हल्के अपराध नहीं जुड़े हैं। गम्भीर अपराधों के ही 5947 मामले आपकी सरकार के तीन साल में दर्ज हुए हैं। मैं अगर बिलासपुर की बात करुं, हमारा छोटा सा जिला है। उसमें ही मर्डर के 16, बलात्कार के 58, चारी के 263, अपहरण के 75 मामले दर्ज हुए हैं। आपके कार्यकाल की जिलावार डिटेल्ड रिपोर्ट इस प्रश्न के जवाब में आई है। जो पोल खोलती है कि आपकी सरकार के समय में इस विभाग की अनदेखी की गई। इस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का दुरुपयोग किया गया और अल्टीमेटली असर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पड़ा और आज कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि इसको सरकार के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। बिलासपुर में गोलीकांड हुआ, एक नहीं दो बार हुआ। ऊना में दो-तीन बार गोलीकांड हुआ, नालागढ़, बद्दी, ज्वाली और मण्डी में

**27.03.2026/1520/केएस/एचके/2**

हुआ। हम तो कह ही रहे हैं परंतु सरकार के उप-मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में गन कल्चर विकसित हो गया और यह वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय में विकसित हुआ है। इससे पहले इतने बुरे हालात नहीं थे और इसका कारण यह है कि सरकार के कर्णधार आपराधिक तत्वों को संरक्षण देते हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। हम अगर बिलासपुर की घटना की बात करें तो जो गोलीकांड की पहली घटना घटी उसमें किसी से छिपा नहीं है कि पूर्व विधायक के बेटे ने किराये पर शूटर लाने का काम किया था और उसके जवाब में ही पूर्व विधायक पर कुछ दिन बाद गोलियां चलीं। तो आप

क्या कहेंगे कि सरकार के कर्णधान शामिल हैं या नहीं? ऊना की बात करें तो जैसे माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी बात कर रहे थे कि सरकार के कर्णधारों के सामने उनके संरक्षण में, उनके होटल में गोलीकांड होता है। हालात यह है कि गोलियां चलाने वालों को भी सरकार संरक्षण देती है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**27.03.2026/1525/av/ag/1**

**श्री रणधीर शर्मा------ जारी**

जब इस प्रकार के हालात होंगे तो कानून-व्यवस्था कैसे सुधर सकती है?

अगर हम माफियाओं की चर्चा करें तो इस सरकार को माफियाओं की सरकार कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। नीचे कैसे हालात हैं, आप खुद देखिए। सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है तथा माफिया लोग दनदना रहे हैं। यहां पर वन माफिया की चर्चा होती है। कटौती प्रस्ताव पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु यहां पर सबने सुना है कि सिरमौर में 25 पेड़ों की परमिशन लेने के बदले वहां पर 300 पेड़ काट दिए गए। क्या उसके बारे में कोई कार्रवाई हुई? ऊना बैरियर पर 55 गाड़ियां एक ही रात में गुजर जाती है, क्या उसके बारे में कोई कार्रवाई हुई? मण्डी के धर्मपुर में लकड़ी का अवैध डिपो खुल गया, क्या उसके बारे में कोई कार्रवाई हुई। जबकि उसको मीडिया ने भी दिखाया, वहां पर लकड़ी अण्डर ग्राउण्ड और दरिया में भी दिखाई गई। वहां पर लकड़ी के ढेरों-के-ढेर दिखाए गए तो क्या वहां पर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई? माफियाओं के द्वारा इतनी अधिक असामाजिक गतिविधियां करने के बावजूद सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई न करना हमें क्या दर्शाता है? उसके क्या परिणाम निकले? उसके परिणाम इस प्रकार से हैं कि अभी दो हफ्ते पहले बिलासपुर में वन माफिया ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ हाथापाई की है और दुःख का विषय यह है कि उन वन विभाग के अधिकारियों के साथ हाथापाई करने के बावजूद भी उन वन माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार

मूकदर्शक बनकर चुप रहती है। वर्तमान सरकार के समय में इस प्रकार के माफिया काम कर रहे हैं।

(श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

खनन माफियाओं के बारे में ऊना, नालागढ़ इत्यादि एरियाज में तो सुना था परंतु हमारे बोर्डर क्षेत्र में जहां पर स्वां नदी जैसी बहुत बड़ी खड्डे नहीं हैं। वहां पर सिम्पल छोटे-छोटे पहाड़ हैं, वहां पर भी खनन माफिया दनदना रहा है। वहां से अवैध

**27.03.2026/1525/av/ag/2**

रूप से पत्थर निकालकर पंजाब में ले जाकर बेचे जा रहे हैं। वहां बोर्डर पर पुलिस थाना होने के बावजूद भी उन पत्थर चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

वहां पर रेलवे का काम चला हुआ है। वहां रेलवे निर्माण में लगी कम्पनियों को वर्तमान सरकार के नेता लोग डराते-धमकाते हैं तथा उनको वहां कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने उनको पुलिस के सामने डराते-धमकाते देखा है परंतु पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी रहती है तथा कहती है कि ऊपर से आदेश है। अब ऊपर से ये किस प्रकार के आदेश है? मैं इस बात को समझ सकता हूं कि ऊपर से ऐसे आदेश होंगे क्योंकि जब सरकार का मंत्री ही एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों के साथ हाथापाई करेगा तो उस रूलिंग पार्टी के छोटे-छोटे नेता लोग तो करेंगे ही। जब सरकार के मंत्री ही कानून-व्यवस्था को हाथ में ले लेंगे तो छोटे नेता तो गलत काम करेंगे ही और कर भी रहे हैं। इसी के कारण आज प्रदेश में हालात खराब हुए हैं। ...(व्यवधान) माननीय लोक निर्माण मंत्री, आपने तो इसके बारे में बयान दिया है इसलिए अब आप गर्दन मत हिलाइए। ये हालात आज आप सब देख रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए।

कानून-व्यवस्था सबसे प्रमुख विषय है जिस पर सरकार की कार्यप्रणाली जज होती है और विकास दूसरा है। परंतु आप विकास के क्षेत्र में भी फेल हैं और कानून-व्यवस्था में तो आप पूरी तरह से फेल हैं। प्रदेश में कहीं पर भी कानून-व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। अपनी

कमियों को छिपाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने नशे के विरुद्ध वॉकाथॉन अभियान छेड़ा है। स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे जिनको चिट्टे का नाम तक पता नहीं था आपने उनको भी रैलियों में लाकर चिट्टे का नाम बता दिया। ...(व्यवधान) लोक निर्माण मंत्री जी, जागरुकता उनमें लाइए जो बच्चे जवान हो गए हैं। प्राइमरी और मिडिल क्लास के बच्चे बिलासपुर में सुबह 10 बजे बिठा दिए और मुख्य मंत्री जी वहां पर डेढ़ बजे पहुंचते हैं। वहां पर उन बच्चों को खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वे भूखे-प्यासे बच्चे चिट्टे के विरुद्ध क्या लड़ाई लड़ेंगे? उनको जिन्दगी भर याद रहेगा कि हमने तीन घण्टे भूखे-प्यासे काटे थे और किसके लिए, चिट्टे के लिए जिस चिट्टे का उनको पता भी नहीं था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस नशे के लिए आयोजित की गई रैली में रिफ्रेशमैंट देने के लिए भी भ्रष्टाचार होता है।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.03.2026/1530/टी0सी0वी0/डी0सी0-1**

**श्री रणधीर शर्मा जारी**

रिफ्रेशमेंट देने के लिए बिल सरकार से बनते हैं और स्पॉन्सरशिप व्यापार मण्डल से होती है। जांच का विषय है, जांच कराएं। परंतु हो क्या रहा है? कितनी स्पॉन्सरशिप होती है, कितना पैसा इकट्ठा किया जाता है, वह सब स्पष्ट नहीं है और नशे के बहाने में भ्रष्टाचार भी हो रहा है, नशे के बहाने अपनी राजनीति भी चमकाई जा रही है अगर आप नशे के खिलाफ हैं, चिट्ठे के खिलाफ हैं तो फिर कुछ करके दिखाओ। तीन साल से एक नशा मुक्ति केंद्र आपसे नहीं बना। पहले बजट में कहा था कंडाघाट में बनाएंगे। तीन साल हो गए, मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये अपने विधान सभा क्षेत्र में भी नहीं पा रहे हैं। अब दो साल से सिरमौर में बनाने की चर्चा हो रही है लेकिन अभी तक वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहा हर जिले में बनाएंगे, किराए के भवनों में बनाएंगे। मेरे से बिलासपुर के डी0सी0 महोदय ने बात की कि आपके स्वारघाट में मिड-डे हिमालय प्रोजैक्ट की बिल्डिंग खाली है उसमें बना दें। मैंने कहा बना दो, जहां भी बनाना है, बना दो। डेढ़ साल बीत गए हैं लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। यह आपकी गंभीरता है। आप न अपना कोई आदर्श नशा मुक्ति केंद्र बना पाए, न सिम्पल बिल्डिंग बना पाए और न किराए के भवन लेकर बना पाए। फिर यह काहे का नशा

मुक्ति अभियान है? आपके जो पुलिस कर्मचारी नशा तस्करों को पकड़ते हैं, दूसरे तीसरे पर उनकी बदली हो जाती है, ट्रांसफर हो जाते हैं। कौन करवाता है? क्यों की जाती है? अगर आप नशे के खिलाफ गम्भीर है तो फिर उन अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित करना चाहिए जो चिट्ठे के तस्करों को पकड़ते हैं परंतु उनको सम्मानित करने की बजाय सजा मिलती है। जब सजा मिलेगी तो कोई क्यों काम करेगा? हालात ऐसे हैं कि सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व्ड हैं, पुलिस कर्मचारी इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, आप कानून बना रहे हैं लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? आप दिखावा कर रहे हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है। चिट्टा जो बॉर्डर पर होता था, आज ट्राइबल एरिया तक पहुंच गया है। ट्राइबल एरिया तक पहुंचने में सरकार की नाकामी का दोष है। इसलिए इस चिट्ठे पर भाषण देने की बजाय आप कुछ कंक्रीट करें।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सब होता क्यों है? पुलिस को अपनी ड्यूटी पता है परंतु पुलिस का दुरुपयोग होता है, आप उनको उनका काम करने के बजाय और काम में इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक कहा विक्रम सिंह जी ने, जिनको पायलट

**27.03.2026/1530/टी0सी0वी0/डी0सी0-1**

ऑथोराइज्ड थी,उनको तो थी ही जिनको नहीं थी वे भी पायलट लेकर घूम रहे हैं। मैं बिलासपुर से आता हूं, दो-चार पायलट नम्होल में मिलते हैं, दो-चार यहां सोलन के बॉर्डर पर मिलते हैं। हिमाचल में इतना क्या सुरक्षा का खतरा है? मुख्य मंत्री को तो पायलट होता है, अध्यक्ष महोदय को होता है, चीफ जस्टिस को होता है लेकिन कई विधायक भी पायलट लेकर घूमते हैं। आपकी आधी पुलिस तो इसी में लगी हुई है। वे दिन-भर सैल्यूट देने के लिए खड़े रहते हैं। आपकी पुलिस उसी में इन्वॉल्व है। जो बची है वह राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में लगी है। हमारे विधायकों पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आपका कोई कसूर नहीं है। उनको आपकी सरकार पसन्द नहीं थी इसलिए उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ दी। आपने जो करना था कर लिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? वह आपने किया लेकिन उनमें दम था और वे फिर चुनाव जीतकर आए। अब आपसे सहन नहीं हो रहा है। अब आप उनके घरों में छापे मारते हैं, उनके व्यापारिक स्थानों पर छापे मारते हैं। आप हैरान होंगे, हमारे आशीष

शर्मा जी हमीरपुर के विधायक हैं। इनके चाचा जी का स्टोन क्रशर है। उसकी जांच हो रही है, उन पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी के एक पंचायत प्रधान को लगभग10 साल पुराना समन आ गया। यह कहा गया कि उस स्टोन क्रशर से आपके टिप्पर ने बजरी खरीदी थी। अब बताइए जांच कहां तक हो रही है? पुलिस इन कामों में लगी है। कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? यह तो एक मामला है। ये तो बताते भी नहीं हैं कि इनके साथ क्या-क्या हो रहा है। बाकी भी किसको बख्शा जा रहा है? हमने कितने साल आंदोलन लड़ा। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अली खड का पानी उठाकर संजय अवस्थी जी अपने विधान सभा क्षेत्र की अम्बूजा फैक्टरी के लिए ले जा रहे थे। हमने लगातार एक हफ्ता आंदोलन लड़ा,जनता के साथ मिलकर लड़ा। स्कीम तो रुक गई परंतु

**एन0एस0 द्वारा ... जारी**

27-3-2026/1535/NS-DC/1

श्री रणधीर शर्मा-----जारी

परंतु वहां सैंकड़ो लोगों के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई। इनोसेंट लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर भी एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई है। मुझे भी समन आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनता के हित में आंदोलन करना गुनाह है? आज मेरे ऊपर भी एफ0आई0आर0 दर्ज है। ...(व्यवधान) फिर आप तब बोलते, तब बोलना आपका फर्ज है और आज बोलना हमारा फर्ज है। इसलिए श्री संजय अवस्थी जी, आज एक या डेढ़ वर्ष बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जब आंदोलन हुआ तब केस दर्ज होता लेकिन केस तो अब दर्ज हो रहे हैं। ...(व्यवधान) क्योंकि हम विधान सभा में बोलते हैं। आपने जांच करवा ली और कुछ नहीं निकला इसलिए यही सही। जब आंदोलन हुआ तब केस कर लेते लेकिन एक वर्ष बाद केस हो रहा है। आंदोलन में किस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या वहां पर कोई मर्डर हुआ? वीडियो में किस बात की इन्वेस्टीगेशन हो रही है, जो वीडियो में दिख रहा है तो उसी दिन केस दर्ज होता। सिर्फ बदले की भावना से प्रदेश में पूरी पुलिस छोटे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है।

इसलिए सभापति महोदय, पुलिस कर्मचारी भी परेशान हैं। उनको भी उनका काम करने नहीं दिया जा रहा है और कुछ पुलिसकर्मी तेज भी हैं, जब वन माफिया को रोकने का काम वन अधिकारी या कर्मचारी नहीं करेंगे तो वैसे पुलिस वाले वहां भी पहुंच जाते हैं। वे खनन माफिया में भी लग जाते हैं क्योंकि आपके पास माइनिंग गार्ड नहीं हैं। जैसे श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने कहा पुलिस ही सारा काम कर रही है। जब सारा काम उन्होंने करना तो जहां उनको अच्छा लगता है वे वहां काम करते हैं। इसलिए पुलिस का मुख्य काम कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है और उन्हें उस काम पर लगाइए। उनको वह ड्यूटी दीजिए और अधिकारी की क्षमता देखकर लगाइए। बॉर्डर के इलाकों में आप ऐसे-ऐसे एस0एच0ओ0 को लगा रहे हैं जो चार-चार बार उसी थाने में रहा है। कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा जा रहा है, उनकी कोई पिछली योग्यता व क्षमता नहीं देखी जा रही है। इसलिए सभापति महोदय, ट्रांसफर करने के लिए यह विभाग छोड़ दीजिए। ट्रांसफर करने के लिए बहुत विभाग हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग ही बहुत है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के भी अपनी इच्छानुसार तबादले करवाते हैं और दुःख का विषय है कि जो मुख्य मंत्री

27-3-2026/1535/NS-DC/2

जी कहते हैं कि मैं तबादले नहीं करता, उनके डी0ओ0 नोट अप्रूव होकर जाते हैं और वे तबादले होते हैं। टीचर और डॉक्टर का अप्रूव्ड नोट निकले या न निकले लेकिन पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का डी0ओ0 नोट अप्रूव्ड हो गया तो धड़ल्ले से निकलता है। यह हालत है। इसलिए सुधारना है तो आपको पुलिस को पुलिस की तरह ही डील करना पड़ेगा। योग्य सक्षम अधिकारी को रेगुलर डी0जी0पी0 लगाइए। उनको उनका हक दीजिए। आज क्या हो रहा है? पुलिसकर्मी परेशान क्यों है? यह बजट को लेकर कटौती प्रस्ताव है इसलिए मैं कहना चाहता हूं। हिमाचल में एक रूल है और उसके अनुसार पुलिस को 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। परंतु अब जो उनको 13 महीने की तनख्वाह मिलती है वह नए पे-स्केल से नहीं मिल रही है। वह पुराने पे-स्केल पर ही मिल रही है जिसके कारण डेमोरलाइजेशन आती है। पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं है। सभी कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। कई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी 10 घंटे, 12 घंटे या 24

घंटे भी ड्यूटी देते हैं पर पुलिस विभाग में उनका कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। अगर आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो छुट्टियों का प्रबंध करके उनको कंपनसेट किया जा सकता है परंतु पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ओवरटाइम काम करते हैं और उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। उनको न फाइनैंशियली और न ही कोई छुट्टियों के रूप में कंपनसेशन मिलता है1 इसकी व्यवस्था भी की जाए। कई जगह तो पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों को अकोमोडेशन नहीं मिलती है। हमें उनकी अकोमोडेशन की भी चिंता करनी चाहिए। बजट में उचित प्रावधान किया जाए। अब वे अगर दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर किराए पर रह रहे होंगे और जब उनकी जरूरत पड़ती है तब उनको बोलेंगे तो वे जहां रह रहे हैं वहां नेटवर्क ही नहीं होता है। उससे भी दिक्कतें आती हैं। थानों में उचित गाड़ियों का प्रबंध किया जाए और मॉडर्नाइजेशन की जाए। अगर उनसे 24 घंटे ड्यूटी लेनी है और कानून व्यवस्था को बना कर रखना है तो अच्छी कंडीशन की गाड़ियां हों, अच्छे हथियार हों, अच्छी सुविधा दी जानी चाहिए। मैं देखता हूं जब श्री नैना देवीजी मेले में पुलिस वाले आते हैं तो स्कूल के कमरों में दरी बिछा कर सोने को कहा जाता है। अब जो रात को दरी पर सोएगा वह दिन को क्या ड्यूटी करेगा? व्यवस्था हो सकती है परंतु इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसलिए यह सारी व्यवस्थाएं पुलिस के लिए की

27-3-2026/1535/NS-DC/3

जाएं, सभापति महोदय, यह भी इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.03.2026/1540/RKS/DC-1

श्री रणधीर शर्मा जारी....

अंत में मैं एक ज्वलंत विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आज ही इंग्लिश ट्रिब्यून में पढ़ रहा था कि साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि

वर्ष 2023 में साइबर धोखाधड़ी के 8,077 मामले दर्ज हुए थे। ये मामले वर्ष 2024 में 12,249 हो गए और वर्ष 2025 में बढ़कर 18,706 हो गए। यह जो नया अपराध साइबर धोखाधड़ी है यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ए0आई0 से इसकी गंभीरता और मात्रा बढ़ रही है। इसलिए इस साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन अभी जितना अपराध हो रहा है उससे निपटने के लिए भी सरकार की तैयारी नहीं है। यह जो ए0आई आ रही है अगर इसको लेकर सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की तो हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि साइबर अपराध की दृष्टि से भी उचित कदम उठाए जाएं और सामान्य रूप से भी प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनी रहे। यह सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है और उस दृष्टि से जो सुझाव दिए गए हैं उन पर भी सरकार अमल करे और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कठोरता से आपराधिक तत्वों से निपटने के निर्देश दे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल

27.03.2026/1540/RKS/डीसी-2

**सभापति** : अब माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री त्रिलोक जम्वाल** : सम्माननीय सभापति महोदय, यह जो कटौती प्रस्ताव सम्माननीय जय राम ठाकुर जी द्वारा लाया गया है, मैं इस चर्चा में अपने आप को सम्मिलित करता हूं। कानून-व्यवस्था के ऊपर जो यह चर्चा चल रही है, इस चर्चा में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सरकार की इच्छाशक्ति, सरकार की दिशा, सरकार की कानून-व्यवस्था के प्रति नीति और सरकार की सोच, इन सारे विषयों को दर्शाया है। जब मैं सरकार की कानून-व्यवस्था के प्रति इच्छाशक्ति और नीति की बात कर रहा हूं तो कहीं-न-कहीं सरकार की मंशा के ऊपर पूरा संदेह होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जैसे भाई रणधीर शर्मा जी अभी कह रहे थे कि सम्माननीय पुलिस महानिदेशक साहब कार्यकारी हैं। जब दूसरे सम्माननीय पुलिस महानिदेशक साहब आए तो वे भी कार्यकारी हैं। अब आप कार्यकारियों के माध्यम से यह काम क्यों चलाना चाहते हैं? क्या अधिकारियों की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती? हमारे पुलिस के अधिकारी सक्षम हैं लेकिन आप उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? अब मैं उस मंशा को भी बताना चाहूंगा। इससे पूर्व

हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी जी का एक बहुत चर्चित मामला हुआ था। हिमाचल प्रदेश पुलिस एक अनुशासित फोर्स है। इस अनुशासित फोर्स की उस मामले में कैसे धज्जियां उड़ीं, इसको भी हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। इस अनुशासित फोर्स में एक खुली प्रेस वार्ता होती है और उस प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक कार्यालय के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। यह इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय में चिट्टा बिकता है, यह आरोप भी उस प्रेस वार्ता में लगाए गए। उसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज था। यह भी पहली बार ही हुआ होगा। मैं भी वकील रहा हूं और यह पहली बार हुआ होगा कि पुलिस महानिदेशक साहब ने अपना affidavit सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक साहब ने अपना affidavit प्रस्तुत किया और अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो जांच समिति के प्रमुख थे उन्होंने भी अपना affidavit प्रस्तुत किया।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

**27.03.2025/1545/बी.एस./डी.सी.-1**

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

इससे बड़ी विडंबना हमारी पुलिस प्रशासन की नहीं हो सकती। मैंने आज तक ऐसा मंजर हाईकोर्ट के अंदर कभी नहीं देखा है। मैं भी 17 साल हाई कोर्ट में रहा, वहां एडवोकेट जनरल बैठे हुए हैं लेकिन एस0पी0 साहब आरगु करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस सरकार की नैतिकता को दर्शाता है। यह इस सरकार की कार्यप्रणाली को दिखाता है और यह प्रदेश की लीडरशिप की इच्छाशक्ति को दर्शाता है। इसलिए सभापति महोदय, चर्चा किस लिए? और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट में चेंज होता है और मैंने तब भी कहा था कि सरकार की एक्ट को चेंज करने की आखिर मंशा क्या है? और उस एक्ट में क्या चेंज किया कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना होगा तो पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या हम उन अफसर से जांच करा रहे थे? किसके लिए वह एक्ट पास हुआ और किसके कहने पर एक्ट पास हुआ?

सभापति महोदय, उससे ज्यादा तो तब हुआ कि हम लोग आर0टी0आई0 में भी पुलिस के बारे में कोई इनफॉरमेशन नहीं ले सकते। आखिर क्यों? सरकार की मंशा क्या है? किसको छुपाना चाह रही है, ये किस प्रोसिडिंग को छुपाना चाह रहे हैं? यह सारी चीजें सरकार की कार्यप्रणाली को इंगित करती हैं। मैंने कहा कि हमारी पुलिस के ऑफिसर बहुत कंपिटेंट हैं। उनमें हर प्रकार का सामर्थ्य है। लेकिन सरकार ने और सरकार की नीति ने सरकार के नेतृत्व ने उनको पंगु बनाने का काम किया है। यह मैं इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। यह जितना सब कुछ हुआ है, आप इसको एक लाइन में देखें तो सरकार की नियत स्पष्ट है। हम किससे गलत काम करवा रहे हैं। जिनको हम कह रहे हैं कि इसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते। हम एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से कौन सी सूचना को छुपाना चाह रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, यह जो सारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम लोगों को समझना पड़ेगा और इतना ही नहीं,

सम्माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस एक्ट के बाद अगर हम देखें कि पिछले 1 साल में हिमाचल प्रदेश में 13 किलो चिट्टा रिकवर हुआ है। जो एफ0आई0आर्ज0 और रिकवरी हुई वह 13 किलोग्राम के आसपास हुई है। अगर 13 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया है तो कितना चिट्टे का कंजम्पशन हिमाचल प्रदेश में हुई? इस चीज को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा।

**27.03.2025/1545/बी.एस./डी.सी.-2**

और अगर यह कंजम्पशन हिमाचल प्रदेश में हुई होगी तभी कहते हैं कि चिट्टा गांव-गांव तक पहुंच गया है और जो नहीं पकड़ा गया, वह कितना है? जिसका आंकड़ा माननीय सदस्य बिक्रम सिंह ठाकुर जी ने पेश किया यह सीक्वेंस बताता है कि कितनी हत्याएं, कितने मर्डर हुए हैं। क्योंकि क्राइम और करप्शन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों साथ चलते हैं। इसलिए अगर13 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया तो अध्यक्ष महोदय यह बहुत अलार्मिंग है और जैसा मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे अभी तक साढ़े तीन सालों में रिहैबिलिटेशन सेंटर की हम बात करते थे हिमाचल प्रदेश में यह सरकार एक भी नहीं बना पाई।

अध्यक्ष महोदय, यहां खनन माफिया, वन माफिया और मेरे बिलासपुर में तो रेल माफिया, फोरलेन माफिया और चिट्टा माफिया, ये सारे प्रकार के माफिया पूरे तरीके से सक्रिय हैं और सबको सरकार का संरक्षण है और संरक्षण भी किस लैवल का है? इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। कल्पना करिए कि जिस जिले के एस0पी0 को जो ऑफिसिएट एस0पी0 है अगर उसको किसी कांग्रेस के नेता या पूर्व विधायक के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज करनी पड़ी हो और उस एस0पी0 को पुलिस स्टेशन जाना पड़े कि मेरी एफ0आई0आर0 दर्ज करो तो उस प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? अगर जिले का एस0पी0 यह कहता है कि मुझे बचाओ, मेरे साथ मारपीट हो रही है तो आम नागरिक कहां जाएगा, गरीब आदमी कहां जाएगा?

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**27.03.2026/1550/DT/AG-1**

**श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...**

गरीब आदमी किसके पास जाएगा कहां अपनी व्यथा को सुनाएगा? अध्यक्ष महोदय मैंने तभी एफ0आई0आर0 न0 167/2025 का हवाला दिया था। इस एफ0आई0आर0 में एस0पी0 ने साफ-साफ लिखा है कि मेरे साथ पूर्व विधायक ने मारपीट की थी। जो एफ0आई0आर0 एस0पी0 ने खुद रजिस्ट्रड करवानी थी, अगर उस एफ0आई0आर0 को दर्ज करवाने के लिए भी 12 घंटे लग जाते हैं तो आम आदमी का क्या होगा? उस बेचारे गरीब का क्या होगा? उसकी हम कैसे सहायता कर सकते हैं? इससे बड़ा इस सरकार का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते कि कितना प्रेशर अधिकारियों के ऊपर होगा। जिस एफ0आई0आर0 न0 167/2025 का उल्लेख मैंने किया वह इसी सरकार के समय वर्ष 2025 का मामला है। अध्यक्ष महोदय यह स्थितियां बड़ी गंभीर है। प्रदेश में माफिया का मनोबल दिन-प्रतिदिन ऊंचा हो रहा है। इसी का उदाहरण है कि एस0पी0 स्तर के अधिकारी पर वे हाथ डालने की हिम्मत रखते हैं। यह एस0पी0 इंटरनैशनल स्पोर्टसमेन हैं। अगर वह अपना हाथ थोड़ा भी चला देते तो शायद 302 का मामला बन गया होता। लेकिन उन्होंने सैयम रखा।

अध्यक्ष महोदय इसके साथ-साथ मेरे बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र में, मैंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया, की वहां पर दो बार गोलीकांड हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कीलिंग यानी सुपारी माफिया की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर से हुई। जब वहां पर पहली बार गोली चली थी उस समय भी मैंने इस हाउस के अंदर सरकार से निवेदन किया था कि समय रहते उचित कदम उठाइए। आने वाले टाइम में समस्याएं और बढ़ेंगी। अगर आपके नेता ऐसे ओपनली इस प्रकार का काम करेंगे तो समस्या और बढ़ेंगी। उसका परिणाम यह हुआ दिन दहाड़े सेशन कोर्ट परिसर के बीचों-बीच गोली चलती है। हमने हाउस में बोला, इस बात पर एजिटेशन किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी और फिर उसका रीटेलियेशन हुआ और कांग्रेस के पूर्व विधायक को गोली लगी। मैं अकेला आदमी हूं जिसने उस समय भी रैली निकाली और इस घटना का विरोध किया और मैंने कहा कि हम न गोली

**27.03.2026/1550/DT/AG-2**

माफिया को मानते हैं और न ही सुपारी माफिया को। लेकिन अभी भी सरकार सोई हुई है अब जब सरकार के एस0पी0 को ही हाथ लग गया तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने और सरकार ने एक और बहुत अच्छा काम किया। पहले पूर्व विधायक जी को स्टैटिक वेपन के साथ 6 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा के लिए दे दिए। सरकार ने कहा कि 6 पुलिस वालों की सुरक्षा से बात नहीं बनेगी इसलिए उन्होंने पूर्व विधायक जी को गन लाईसेंस इशू कर दिया। जिस व्यक्ति के ऊपर एस0पी0 पर हाथ डालने का केस हो, जिस व्यक्ति के ऊपर सिटिंग डिप्टी कमिश्नर ने एफ0आई0आर0 रजिस्टड्र करवाई हो और जिस व्यक्ति के विरूद्ध 30 एफ0आई0आरज0 दर्ज हों, उनको प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री जी के संरक्षण में गन का लाईसेंस दे दिया। उससे संबंधित सभी कागजात मेरे पास हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इनके ऊपर 28 केस पहले के हैं और एक केस और दर्ज हो गया। नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एक भी अपराधिक मामला दर्ज हो ऐसे व्यक्ति को गन का लाईसेंस नहीं दिया जाता। जिसके परिवार के ऊपर

एन0डी0पी0एस0 के अंतर्गत केस दर्ज हों, चिट्टे के केस दर्ज हों, आर्मस एक्ट के केस हैं, उसको भी आपने गन का लाईसेंस दे दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो क्राइम बड़ रहा है यह सरकार प्रायोजित क्राइम है। आपके नेता बेलगाम है और आप उनको शह दे रहे हैं, ये काम वर्तमान सरकार कर रही है। प्रदेश में ऐसे ही क्राइम नहीं बड़ सकता। ऐसे लोगों ने उन पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने 400 ग्राम चिट्टा पकड़ा हो, उन लोगों के विरूद्ध पूर्व विधायक लिखते हैं कि इनको बिलासपुर से बाहर स्थानांनरित कर दिया जाए और प्रदेश सरकार ने ऐसा कर भी दिया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 15 दिन के अंदर चारों पुलिस वालों को किसी को सिरमौर, किसी को कहीं और भेज दिया, इसके लिए सरकार को शाबाशी देनी चाहिए। प्रदेश में क्राइम कैसे खत्म होगा? चिट्टा मुक्त हिमाचल कैसे बनेगा? तभी तो मैं कह रहा हूं प्रदेश में हो रहा क्राइम सरकार द्वारा प्रायोजित है। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने ठीक कहा कि प्रदेश में जब तक योगी मॉडल नहीं अपनाया जाएगा, जब तक सरकार के मुखिया में विल-पॉवर नहीं होगी, तब तक यह संभव नहीं है।

**27.03.2026/1550/DT/AG-3**

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर में चिट्टा का इतना बुरा प्रभाव है स्मरण कीजिए, मैंने कई बार कहा

श्री एन0जी0द्वारा जारी.....

**27.03.2026/1555/ए.जी.-एन.जी./1**

**श्री त्रिलोक जम्वाल..... जारी**

है कि मेरे जाऊ से बिलासपुर की बस बंद हुई। जब बस बंद हुई तो स्कूल व कॉलेज की बच्चियों ने अपनी व्यथा का व्यख्यान किया। मैंने सारी बच्चियों के साथ डी0सी0 साहब और एसपी साहब की मौजूदगी में एक बैठक की और उन बच्चियों ने जो क्राइम और चिट्टे के बारे में कहा, उसे हम लोग सुन भी नहीं सकते। लेकिन डी0सी0 साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया। लेकिन बच्चियों ने कहा कि एस0पी0 ऑफिस से हमारा बस स्टैंड केवल 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां बस स्टैंड के अंदर बच्चियां नहीं बैठ सकतीं क्योंकि चिट्टे के सप्लायर वहां बैठते हैं। ढ़यारा वह हॉटस्पॉट है जहां चिट्टा बिकता है। यह दुनिया को पता है और वहां से एस0पी ऑफिस भी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। वहां पर पुलिस का कोई व्यक्ति तीसरे-चौथे दिन पहुंचता है। कॉलेज के बारे में बच्चियों ने जो बखान किया कि जहां बस से उतरते हैं, वहां से कॉलेज चौक तक पहुंचने के लिए चिट्टे के सप्लायर उन्हें तंग करते हैं। उसके बाद एस0पी0 साहब ने वहां पर एक-दो पुलिस वालों को तैनात कर दिया है। जिस सरकार में कॉलेज के पास दिन-दहाड़े चिट्टे के सप्लायर पहुंचते हों और उनको नहीं रोका जा सकता, तो उस सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जब चिट्टे का प्रकोप इतना बढ़ गया है, सबको पता है कि कहां-कहां चिट्टा बिकता है। जब हम सुनते हैं कि 10वीं का छात्र पकड़ा गया, 12वीं का छात्र पकड़ा गया, छोटे-छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो सवाल यह है कि उनको इसमें कौन ला रहा है? 10वीं के बच्चे को पता है कि चिट्टा कहां मिलता है, 12वीं के बच्चे को पता है कि चिट्टा कहां मिलता है, लेकिन मेरे हिमाचल प्रदेश की पुलिस को पता नहीं है कि कौन-सा दुकानदार चिट्टा बेच रहा है।

**27.03.2026/1555/ए.जी.-एन.जी./2**

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। यही कारण है कि मेरे बिलासपुर की माताओं-बहनों और महिला मंडलों ने अपने गांवों में पहरा देना शुरू किया और अपने बच्चों की खुद निगरानी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मेरी माता-बहनों ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए इतनी कड़ाके की ठंड में लगट बरमाना के पास एक छोटे से गांव में यह अभियान शुरू किया तब एक दिन इतनी बड़ी घटना होती है कि उन बहनों ने जब पुलिस को सुबह 10:00 बजे सूचना दी कि यहां पर चिट्टे का सप्लायर आया है तो पुलिस वहां आती है, बैठकर मामला सुलझाती है और बीच-बचाव करके सबको घर भेज दिया जाता। लेकिन दुःख की बात यह है कि शाम 5:30 बजे उन्हीं बहनों के ऊपर बरमाना थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी जाती है। वह एफ0आई0आर0 किसके कहने पर होती है और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके पीछे दौड़ती है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह जितना भी नेक्सिस व नशे का पूरा कारोबार चल रहा है, यह सरकार प्रायोजित है। मैंने पहले भी कहा था कि किस कांग्रेस नेता के कहने पर उन बहनों के ऊपर एफ0आई0आर0 की गई? ऐसे अनेकों महिला मंडल और समाज के लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन सरकार केवल बच्चों की रैली करवाकर समाज के लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है। एफ0आई0आर0 करके उन्हें डराने व धमकाने का काम किया जा रहा है। जब हमने इसके खिलाफ शहर के बीच में बड़ी रैली की, जिसमें बहुत सारी महिलाएं शामिल हुईं, तब सरकार कहने लगी कि हमसे गलती हो गई, एफ0आई0आर0 गलत हो गई, हम इसे वापिस (Withdraw) कर रहे हैं और कैंसिलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। आखिर क्यों? यह एफ0आई0आर0 हुई तो हुई कैसे? किस कांग्रेस के नेता के कहने पर एफ0आई0आर0 हुई? यदि हम नहीं बोलते या अगर समाज आवाज न उठाता, तो क्या उन बहनों को प्रताड़ित किया जाता? अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह जितना भी प्रोपोगैंडा है, यह सब सरकार प्रायोजित है।

**27.03.2026/1555/ए.जी.-एन.जी./3**

यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो, सरकार इसको क्रश व खत्तम करना चाहे तो यह खत्तम हो जाएगा लेकिन इस सबके लिए सरकार की विल पॉवर चाहिए, जैसे अभी माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने कहा कि यहां पर भी योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा, तभी कुछ चीजें सुधरेंगी। अगर रेत माफिया, खनन माफिया, टोकन माफिया और वन माफिया को संरक्षण देते रहेंगे, उन्हें हथियार देते रहेंगे, तो 10 नहीं 15 पुलिस वाले भी लगा दो लेकिन यदि आप बंदर के हाथ में उस्तरा दे देंगे तो कांग्रेस का नेता उस गाड़ी में भी बैठ कर बता दे और उसी दिन पता लग जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना सुझाव है कि हमारी पुलिस फोर्स में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो लोग एसआईयू (SIU) में लगे हुए हैं, पुलिस ने चिट्टे का टेस्ट करने के लिए एक किट बना रखी है और उससे उन लोगों का भी कभी-कभी टेस्ट कर लेना चाहिए जो काफी लम्बे समय से एक ही स्थान पर नियुक्त हैं। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जिनके ऊपर शक है उनका टेस्ट तो किया जा सकता है ताकि हम अपने युवाओं को बचा सकें और समाज को इस चिट्टे रूपी राक्षस से बचा सकें। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं

श्री के0एस0 द्वारा.....जारी

**27.03.2026/1600/केएस/एचके/1**

**श्री त्रिलोक जम्वाल जारी** ---

इसके साथ-साथ केवल एक बात कहूंगा कि पुलिस में बहुत से लोग ईमानदार हैं। उनको ठीक जगह पर लगाइए और पुलिस के एस0पी0, एडशिनल एस0पीज़ रैंक के ऑफिसरों के हाथ खोल दीजिए तब जा कर इस पर लगाम लगेगी। अगर सरकार के प्रभाव में लोग

काम करेंगे तो हम इस बुराई को नहीं मिटा सकते। मैं इस कटौती प्रस्ताव पर इतना ही कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**27.03.2026/1600/केएस/एचके/2**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार जी (अनुपस्थित)

अब कट मोशन के आखिरी प्रस्तावक श्री आशीष शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री आशीष शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने समय दिया, आपका हृदय से धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो पिछले तीन बजट हुए और अभी चौथा बजट इस सरकार ने रखा, इसमें भी पुलिस विभाग को बजट का 3.3 परसेंट हिस्सा ही जारी किया गया। मैंने हर बजट में कहा है कि पुलिस विभाग को सशक्त करने के लिए यह बजट बहुत कम है क्योंकि बाकी राज्यों में यह बजट हमसे ज्यादा है। लॉ एण्ड ऑर्डर तभी सशक्त होगा जब पुलिस के पास सुविधाएं होंगी। क्योंकि हमारी फोर्सिज़ अच्छा काम कर रही हैं, हालांकि सीमित साधन हैं, संसाधनों की कमी है तब भी ये प्रदेश की सुरक्षा में दिन-रात तत्पर रहते हैं। मैं इनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। ये हमेशा लगे रहते हैं लेकिन जहां अच्छाई होती हैं, वहां साथ में बुराई भी होती है। क्योंकि यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने लॉ एण्ड ऑर्डर पर अपनी बात रखी, प्रदेश के चिट्टे के बारे में बात रखी। ऊना में फिरौतियों, खनन आदि के बारे में बात रखी। तो मैं भी सदन के समक्ष आपबीती रखना चाहूंगा। मैं एक छोटे से प्रसंग से शुरू करना चाहूंगा। पिछले अगस्त और सितम्बर के मानसून सैशन से तीन-चार दिन पहले अवैध खनन पर सुजानपुर पुलिस स्टेशन, हमीरपुर में मेरे परिवार पर एक केस रजिस्टर किया गया। मेरे सगे चाचा पर, मेरे सगे भाई पर केस किया गया। क्योंकि हम सामान्य परिवार से हैं। कभी हमने मुकद्दमा नहीं देखा, एफ0आई0आर0 नहीं देखी और कभी थाने या कचहरी में भी नहीं गए। मेरे पिता जी डेली वेजिज़ पर लगे थे। 37 साल नौकरी की और उसके बाद प्लानिंग ऑफिसर रिटायर हुए। मेहनत करके हमें पढ़ाया-लिखाया और यहां तक पहुंचाया। स्वाभाविक है कि परिवार डर

जाता है। जब मैं सैशन में आने लगा तो मेरी माताजी ने कहा कि बेटा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और ऐसी काई बात मत कहना जो बुरी लगे। मैंने कहा ठीक है। सैशन चला और जब सैशन समापन पर था, मुझे अभी भी याद है, रविवार का दिन था। उस समय आपदा आई हुई थी। अध्यक्ष जी, आप भी चम्बा गए हुए थे और आप भी अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना के साक्षी हैं। मुख्य मंत्री जी भी चम्बा गए हुए थे। उस समय प्रश्न लगा मैं उस विषय में कुछ भी नहीं कहूंगा। वह ऑनलाइन प्रश्न पोर्टल पर आ गया। मैंने फिर से

**27.03.2026/1600/केएस/एचके/3**

अपनी मां को फोन किया कि प्रश्न लग गया है अब तो बोलना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि जो भी है थोड़ा सोच-समझ कर बोलना, किसी को बुरा ना लगे। दो घंटे बाद वह प्रश्न पोर्टल से हट गया। फिर से मैंने रात को माताजी को फोन किया कि प्रश्न हट गया तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं चैंन की नींद सो पाऊंगी और तू भी सो जा क्योंकि मुझे भी अब टैंशन नहीं रहेगी। सुबह मैं नेता प्रतिपक्ष के कमरे में गया और भी विधायक बैठे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने मुझसे पूछा कि क्या आपका प्रश्न लगा है? मैंने कहा कि प्रश्न तो नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न तो पहले नम्बर पर लगा था और वह पिछले सत्र का पोस्टपोंड प्रश्न था। मुझे कहा गया कि आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर लेना है और उस प्रश्न के विषय में इशू उठाना है। मैंने वह इशू उठाया। उस पर वॉक आउट हुआ और उसके अगले दिन भी वॉक आउट हुआ। मैं यह विषय इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब ये सारी चीजें घटित हुईं तो इसका बाद में क्या रिजल्ट निकला कि उससे 20-25 दिन बाद उसी पुलिस स्टेशन में अवैध माइनिंग का एक ओर मुकद्दमा दर्ज किया गया और अखबारों की न्यूज लगी कि "अवैध खनन मामले में भाजपा विधायक आशीष शर्मा पर केस दर्ज। 36 लाख रुपये से अधिक की रॉयल्टी चोरी का भी आरोप।"

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**27.03.2026/1605/av/dc/1**

**श्री आशीष शर्मा------ जारी**

'36 लाख रुपये से अधिक की रॉयल्टी चोरी' की खबर छपी। अध्यक्ष महोदय, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और मुझे पुलिस स्टेशन 12 बार बुलाया गया। मुझे जब भी बुलाया, मैं वहां गया। वहां पर दिन में 3-4 घण्टे जांच के लिए बुलाते थे और जब भी मुझे बुलाते थे तो मैं वहां गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस सदन में निर्दलीय विधायक चुनकर आया था तो भवानी सिंह पठानिया जी ने यहां पर एक व्यवस्था का प्रश्न किया था। उस दौरान उनकी यहां पर गाड़ी रोककर उसका चालान किया गया था। उस समय आपने ही उस संदर्भ में संज्ञान लेकर आदेश दिए थे। अभी तीन-चार दिन पहले (***) यह सम्मान भी मेरा सम्मान नहीं है परंतु मैं मुख्य मंत्री जी के गृह जिले का विधायक हूं और मुझे पुलिस स्टेशन 12 बार बुलाया गया।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप (***) को बीच में क्यों लपेट रहे हैं?

**श्री आशीष शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।

**Speaker:** There is no need to give examples. Why are you bringing all these things in between?

**श्री आशीष शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि आत्मसम्मान की बात है और मैं भी इसी सदन का सदस्य हूं।

**अध्यक्ष :** परंतु मैंने तो माननीय सदस्य आशीष शर्मा जी बोला।

**श्री आशीष शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, आप तो पूरा मान-सम्मान देते हैं परंतु यह सरकार कहीं-न-कहीं कमी रखती है।

**Speaker:** The reference made by Hon'ble Member Ashish Sharma regarding (***) will not be part of the record.

---

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**27.03.2026/1605/av/dc/2**

**श्री आशीष शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मुझे जब-जब बुलाया गया, मैं वहां पर गया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के अंदर एक प्रश्न लगाया था और उद्योग मंत्री जी ने उसका जो जवाब दिया है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। मैंने पूछा था कि क्या यह सत्य है कि क्रशर संचालक अपने स्वीकृत पट्टे या रीवर बैड जो उसे लीज पर दिए जाते हैं उससे वह कच्चा माल व अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि फॉर्म- डब्ल्यू पर बेच सकता है? माननीय मंत्री ने उसके बारे में यह जवाब दिया कि माइनिंग मिनरल्ज रूल्ज-2015 के अनुसार प्रदेश में स्टोन क्रशर संचालक को अपने स्वीकृत पट्टे से खुली बिक्री करने का अधिकार नहीं है अपितु केवल बालु, नदी से निकलने वाली बजरी, क्रशर डस्ट तथा मिट्टी गारे को ही फॉर्म-डब्ल्यू के माध्यम से बेचा जा सकता है। (***)

---

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**27.03.2026/1605/av/dc/3**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठ जाइए। माननीय मुख्य मंत्री स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

**स्पष्टीकरण**

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, जब मैटर सबजूडिस हो। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आजकल आपको बहुत ही गुस्सा आता है। आप अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। आपने इस गुस्से से अपना ब्लड प्रैशर बहुत ज्यादा कर दिया है।

कई मैटर सबजूडिस हैं और मैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं माननीय सदस्य से भी चाहूंगा कि इस बारे में बात न करें। कई बार जवाब के बारे में कई तथ्य ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में अभी माननीय उद्योग मंत्री जी भी बोलेंगे। परंतु कई बार कुछ जांच के विषय होते हैं और उनको थोड़ा तोड़-मरोड़ कर भी पेश किया जाता है। जब उसके बारे में कोई दोबारा पूछे तो फिर उसके संदर्भ में स्पष्ट जवाब दिया जा सकता है। विधान सभा में दिए जाने वाले जवाबों को हम सही तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं।

**अध्यक्ष :** अब माननीय उद्योग मंत्री स्पष्टीकरण देंगे।

**उद्योग मंत्री टी सी द्वारा जारी**

**27.03.2026/1610/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**

**उद्योग मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, जो कहा गया है उसका उत्तर यह है कि जो पत्थर है, स्टोन है, उसे निकालकर क्रश करना होता है और उसे सीधे सेल नहीं किया जा सकता। रेत, बजरी, डस्ट को डब्ल्यू0 फॉर्म में बेचा जा सकता है। इनके केस में जो फिक्स्ड क्वांटिटी थी उससे अधिक पत्थर क्रश हुआ है। आप प्रश्न में जो पत्थर के बारे कोट कर रहे है, he cannot sell the stone. That stone is to be crushed in his crusher. He can only sell dust and sand. मेरे पास जितनी जानकारी है उसके अनुसार इनकी माइनिंग लीज की जो फिक्स्ड क्वांटिटी थी उससे अधिक पत्थर क्रश किया गया है, शायद यही इनका मामला है।

**Speaker** : Hon'ble Member Shri Ashish Sharma Ji, if the matter is sub-judice that means it is pending. Sub-judice, means matter pending in the Court, not with the police.

**श्री आशीष शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, लेकिन पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी को भी इसके बारे में जानकारी न हो क्योंकि ये व्यस्त रहते हैं। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वर्ष 2022-23 में एक्सेस माइनिंग हुई थी और मेरे खिलाफ केस डाला गया था तो मुझे नोटिस दिया जाता। मैं पैसे जमा कर देता। इस माननीय सदन में आधे से ज्यादा सदस्यों के क्रशर होंगे या उनके रिश्तेदारों के क्रशर होंगे। जो डस्ट होती है उसको डब्ल्यू0 फॉर्म पर बेचा जा सकता है, यह माइनिंग मिनरल रूल्स में लिखा हुआ है। स्टोन को प्रोसेस करके ही निकाला जाता है, सीधे स्टोन नहीं बेचा गया है। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि हो सकता है मुख्य मंत्री जी को इन सब बातों की जानकारी न हो। पिछले मानसून सत्र में भी यही मामला उठाया गया था और पोंग खड्ड में ट्रक, टिपर, जे0सी0बी0 और पोकलेन पकड़े जाने की बात कही गई थी। बाद में कुछ भी साबित नहीं हुआ, क्रशर दो से ढाई वर्षों से बंद था। फिर भी यह कहा गया कि डब्ल्यू0 फॉर्म गलत है। इससे यह प्रतीत होता है कि या तो दी जा रही जानकारी गलत है या पुलिस अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। आज जिस प्रकार फिल्मों में दिखाया जाता है कि कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं और कुछ आपकी गाड़ी कुछ अवैध

सामान रखवा देंगे और आपका एनकाउंटर भी करवा देंगे, उसी प्रकार की प्रवृत्ति यहां दिखाई दे रही है।

**27.03.2026/1610/टी0सी0वी0/वाई0के0-2**

(***) हमें बेल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। पुलिस ने कहा कि सहयोग नहीं कर रहे हैं जबकि 40 दिन तक लगातार 100 घंटे पूछताछ में सहयोग किया। (***)

**Speaker** : Hon'ble Member Shri Ashish Sharma Ji, please take your seat. ...(Interruption) माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, आपसे पहले माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक रेफरेंस अतीक अहमद का भी दिया और आप भी उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा हो रही थी और दूसरी तरफ पुलिस को एंटागोनाइज कर रहे हैं। These are two contradictory things which are coming from the Opposition benches itself. Hon'ble Chief Minister.

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, केस बना, पता नहीं क्या बना? ये सब लोग कोर्ट में गए। वहां भी इन्होंने अपने फैक्ट्स रखे। वहां भी बेल रिजेक्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहां भी इनके चाचा और भाई की बेल रिजेक्ट हुई। मेरा कहने का मतलब है कि मामला सबज्यूडिस है। इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह कानून के दायरे में की है।

---

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**एन0एस0 द्वारा ... जारी**

27-3-2026/1615/NS-YK/1

मुख्य मंत्री-----जारी

कानून के दायरे में जब पुलिस केस रजिस्टर्ड करती है तो क्लाइंट माननीय उच्च न्यायालय में जाता है कि यह चीज गलत है और इसको बेल न दी जाए। हाई कोर्ट ने रिजैक्ट कर दी। इसका मतलब कुछ गलती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिजैक्ट कर दी, इसका मतलब कुछ गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मैटर सब-ज्यूडिस है उसको चर्चा का विषय न बनाएं। मैं पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि जहां से भी माइनिंग या लूट से संबंधित खबरें आती हैं तो हमारी सरकार ने पहले ही कहा है कि सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाए। हम संपदा को न लुटने देंग और न लुटाने देंगे।

**अध्यक्ष** : आशीष जी, एक मिनट। In view of the objection, which has been raised by the Hon'ble Chief Minister, the case which you have referred to, regarding your case, the matter is sub-judice. This will not form a part of the record. You can speak on the Cut Motion-on Demand No.-7 i.e. Law and Order condition. Not specifically on your own case.

**श्री आशीष शर्मा** : सर, ठीक है, मैटर कोर्ट में है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि क्या मैं इस माननीय सदन का सदस्य नहीं हूं? मैं अपनी वेदना जो मेरे मन में है, क्या मैं मुख्य मंत्री जी के समक्ष नहीं रख सकता हूं? ये मेरे जिले से ही संबंध रखते हैं।

**अध्यक्ष** : आप रख सकते हैं लेकिन विधान सभा के रूल्ज परमिट नहीं करते हैं। जो मैटर सब-ज्यूडिस है उसकी यहां चर्चा नहीं हो सकती है, यह हमारे रूल्ज में है। This is what our Rules say. विधान सभा के रूल्ज हैं और आप इनको पढ़ लेना कि क्या बोला जा सकता है और क्या नहीं बोला जा सकता है? Sub-judice matters cannot be discussed in the House. I will not allow any sub-judice matter to be discussed in the house as it cannot form a part of the record as per rules.

**श्री आशीष शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं कोर्ट के विषय में नहीं बोल रहा हूं। मैं पुलिस की कार्रवाई के ऊपर बोल रहा हूं।

**Speaker** : Now, the matter is pending with the Court.

27-3-2026/1615/NS-YK/2

**श्री आशीष शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे खिलाफ शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी है। वह एक ए0एस0पी0 है। जो आई0ओ0 लगा है वह उसके अंडर है तो वह क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? अगर इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो आप करवाएं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

**Speaker :** You can raise this issue in the Court.

**श्री आशीष शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल। ...(व्यवधान)

**Speaker :** I am not allowed you Shri Randhir Sharma ji. मैं तो तब करूंगा जब मैं श्री आशीष शर्मा जी से सेटिस्फाई हो जाऊंगा। श्री आशीष शर्मा जी इस चर्चा को कर रहे हैं और if you have any objection to my ruling, certainly I will give you a chance. एक मिनट, श्री रणधीर जी, आप बैठ जाएं। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा उठाने की बात नहीं है। ...(व्यवधान) आप नहीं बोल सकते। That matter cannot be discussed in the House. विधान सभा में डिस्कस नहीं हो सकता, श्री रणधीर शर्मा जी। Sub-judice matter, the matter which is pending in the court, cannot be discussed in the House. जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग मैटर है उसका रेफरेंस आपने देना था वह दे दिया। अब आप उसकी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आदि कि कौन आई0ओ0 लगा है, कौन डी0एस0पी0 और ए0एस0पी0 लगा है? आप इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। उसका रेफरेंस आ चुका है। ...(व्यवधान) एक मिनट, प्लीज ...(Interruption) Please, please. ...(Interruption) You go through the Rule-310. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) I am referring to Rule-310 for your information. What is Rule-310? पता है कि नियम-310 क्या है? फिर यह बता दो कि नियम-310 क्या है? ...(व्यवधान) यह सब-ज्यूडिस नहीं है। आप बैठो, मैं पढ़ कर सुनाता हूं। आप बैठ

जाओ। ...(व्यवधान) मैं बोलने दूंगा। जब स्पीकर बोलता है तो सब सुनते हैं। प्रीसीडैंट यह है और यही कन्वेंशन है। आप बैठ जाओ, आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। ...(व्यवधान)

आगे आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.03.2026/1620/RKS/AG-1

अध्यक्ष ...जारी

...(व्यवधान) आप मुझे बताएं कि नियम-310 क्या है? ...(व्यवधान) यह सब-ज्यूडिस नहीं है। आप बैठ जाइए। मैं इस नियम को पढ़कर सुनाता हूं। ...(व्यवधान) मैं इस नियम को पढ़कर सुनाता हूं। ...(व्यवधान) जब अध्यक्ष बोलता है तो उसकी बात सब सुनते हैं। ...(व्यवधान) यह प्रिसिडेंट है, यह कंवेंशन है।...(व्यवधान) आप बैठ जाइए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

**(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गए।)**

Please Trilok ji. ...(Interruption) I am referring to Rule 310. Do you know what is Rule 310? Please taken your seat.

**310. Address by Speaker.**—The Speaker may himself, or on a point being raised or on request made by a member, address the House at any time on a matter under consideration in the House with a view to aid members in their deliberations, and such expression of views shall not be taken to be in the nature of a decision.

You follow me. When the Speaker speaks, everybody is to listen. I have ruled it that this matter is pending. आप इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी का जिक्र कर रहे हैं। आपने केस का भी जिक्र किया। यह सब रिकॉर्ड में आ गया है लेकिन आप इंवेस्टिगेशन को यहां डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजैक्ट हो गई है। माननीय रणधीर शर्मा जी।

27.03.2026/1620/RKS/AG-2

**श्री रणधीर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था से संबंधित जितने भी मसले होंगे, चाहे वे गोली कांड केस से संबंधित हो या खनन माफिया से, ये सब केस सब-ज्यूडिस ही होंगे। इन सब मामलों की एफ0आई0 आर0 दर्ज हुई होंगी। ये सारे मामले कोर्ट में विचाराधीन होंगे तो क्या हम इन मामलों को डिस्कस ही नहीं कर सकते? फिर हम यह कटौती प्रस्ताव क्यों लाए हैं? हम सब-ज्यूडिस मैटर पर डिसिजन नहीं ले सकते परंतु चर्चा तो कर सकते हैं। सब-ज्यूडिस मैटर पर सरकार रूलिंग नहीं दे सकती लेकिन इन पर चर्चा न हो यह कहां लिखा है? ...(व्यवधान) हमने कानून-व्यवस्था पर चर्चा करनी है। हम गोलीकांड पर चर्चा करेंगे।...(व्यवधान) ये सब मामले सब-ज्यूडिस हैं तो क्या हम इन मामलों पर चर्चा ही न करें?

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य आपका प्वाइंट आ गया है। आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) आपने मेरी रूलिंग के ऊपर कुछ बातें कही हैं। ...(व्यवधान) Whosoever will object, certainly I will take a cognizance of that. It is not a question of the Chief Minister. Whosoever, whether a Member from this side (Opposition) or that side (Ruling), if he takes any objection, which I feel is relevant, then certainly I have to address the House accordingly. ...(Interruption) आप एक मिनट बैठ जाइए। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, बैठ जाइए। शायद मेरे बोलने के बाद आपको बोलने की जरूरत ही न पड़े। ठाकुर साहब, बैठ जाइए। आप वही बोलने जा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं इसलिए पहले मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) यहां रूलिंग के ऊपर चर्चा हो रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

27.03.2026/1620/RKS/AG-3

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, हम जो कटौती प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से माफियाराज, हत्याओं, बलात्कार और नशे के कारोबार इत्यादि विषयों

पर चर्चा होगी। जैसा श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा कि इन तमाम विषयों पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई होगी और इन पर कार्रवाई भी हो रही होगी। कुछ मामले माननीय न्यायालय में विचारधीन होंगे और कुछ में एफ0आई0आर0 दर्ज होगी लेकिन कुल मिलाकर ये सब मामले सब-ज्यूडिस हैं तो क्या इन मामलों पर हम चर्चा नहीं कर सकते?

**अध्यक्ष** : आपने 20 मिनट तक इन मामलों में चर्चा की है और कहीं भी कोई ऑब्जैक्शन नहीं हुआ है। जहां ऑब्जैक्शन हुआ है वहां हमने रूलिंग दी है।

**श्री जय राम ठाकुर** : जब इस सदन का सदस्य होने के बावजूद उसके ऊपर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और पुलिस के ऊपर सरकार के दवाब की वजह से प्रताड़ना हुई है तो ऐसे में वह सदस्य यहां नहीं बोलेगा तो और कहां बोलेगा? अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है और उन्हें अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार है। यह ठीक है कि पर्टिकुलर केस का जिक्र नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं कहूंगा। लेकिन जिस सदस्य को पुलिस थाने में 8-8 घंटे बैठाकर रखा गया, क्या कानून-व्यवस्था इस चीज को इजाजत देती है?

**अध्यक्ष** : ठाकुर साहब, आपका प्वाइंट आ गया है। कृपया बैठ जाइए, आपका प्वाइंट आ गया है।

**श्री जय राम ठाकुर**: अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाउंगा लेकिन मेरी बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम उस पर भी चर्चा नहीं कर पाएंगे?

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

27.03.2025/1625/बी.एस./ए.जी.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

मेरी बात सिर्फ इतनी है कि क्या उस पर भी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे? जो परिवार के साथ, जो सदस्य के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है और राजनीतिक भावना के साथ हो रहा है तो यहां चर्चा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? मैं समझता हूं कि आपकी ओर से इनको बोलने की इजाजत देनी चाहिए। यह ठीक है जो सब-जुडिस मैटर है, कोर्ट में केस है उसका रेफरेंस न करें लेकिन जो इनके साथ हो रहा है कम से कम वह भावना तो व्यक्त करने दीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

**अध्यक्ष :** वैसे तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो सब-जुडिस मैटर हैं उसको हाउस में चर्चा में नहीं लाया जा सकता और एक विषय जो आदरणीय आशीष शर्मा जी ने यहां रेज किया उसके ऊपर दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शन आया है। मुख्य मंत्री जी ने ऑब्जेक्शन किया है इसमें और मेंबर भी ऑब्जेक्शन कर सकता था और उद्योग मंत्री, आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी ने भी उस इश्यू को क्लेरिफाई किया। अब जब यह हमारा रूल है कि जो सब-जुडिस मैटर है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि हमको बोलने दिया जाए तो मैं हाउस का सेंस ले लेता हूं।

I will put it for a vote that whether a sub judice matter can be discussed or not?

If a sub judice matter cannot be discussed, those who are in favour of it may say "ayes" and those who are against it may say "no".

"Ayes" and "Noes" having been called, and the "Ayes" having it.

**(Motion carried)**

So, now the sub judice matter cannot be discussed.
Whatever procedure I am following i.e. under Rules 311, 311(A), 312 and 313. You can go through these Rules. माननीय सदस्य आशीष शर्मा जी अपनी बात जारी रखेंगे। ...(व्यवधान)... You go through the Rules. माननीय रणधीर शर्मा जी आप 310 के बाद के रूल्ज पढ़ लेना उसके बाद अपने मोशन ले आना I will accept that. आपने 310 के बाद रुल्ज पढ़ लेना उसके बाद आप कुछ कहें। अब मेरी रूलिंग आ गई है। माननीय

सदस्य श्री आशीष शर्मा जी, ...(व्यवधान)... जहां-जहां ऑब्जेशन आएगा वहां-वहां यह बात आएगी। जहां नहीं आएगा वहां हमने रेफर कर दिया। माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी आप इस इश्यू के अलावा अपनी बात कहें।

**श्री आशीष शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस विभाग जो इन सब कामों में लगे हुए हैं और मुझे भी दो-ढाई वर्ष हो गए हैं थानों और कोर्ट के चक्कर लगाते हुए। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह रिसोर्सेस वेस्ट किए जा रहे हैं। जहां पर पुलिस को काम करना चाहिए वहां पर पुलिस विभाग काम नहीं कर रही है। चाहे वह चिट्टा के केस हों, चाहे वह और भी जिस तरह से अपराध प्रदेश में बढ़ रहा है, उसकी बात करें। अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों की बात करूं, गत 3 वर्षों में लगभग 6246 मामले नशे के दर्ज किए गए हैं और 66 मौतें चिट्टे की ओवर डोज से हुई हैं। अगर पुलिस इन सब चीजों में उलझी रहेगी कि किसने क्या किया? उस चीज के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। हो सकता है, मैंने पहले भी कहा हो, इनके ध्यान में न हो लेकिन यह इनका खुद का जिला है और इस तरह से अगर पुलिस विभाग कार्य कर रहा है तो यह प्रश्नचिह्न पुलिस विभाग के ऊपर भी और इनके ऊपर भी बायस्ड हो करके काम कर रहे हैं और रही बात कि ऊपर से कांग्रेस के कुछ लोग वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है, वह मान्य है अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मेरे परिवार से कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन करनी है उसे करें, मैं कौन सा मना कर रहा हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, (***)

---

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

**27.03.2026/1630/DT/DC-1**

**श्री आशीष शर्मा जारी...**

अब मुख्य मंत्री महोदय ने दो बार उनको टिकट दिलाया जो मेरे प्रतिद्वंद्वी थे। वे वहां पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जब पिछली बार वहां बाई इलैक्शन हुआ था तब भी वे जीत नहीं पाए थे। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी की भी नाक कटवाई। अगर ऐसे बयान देंगे तो कौन लोग वोट देगा। हमारा जिला हमीरपुर सबसे पढ़ा-लिखा क्षेत्र है (***)तो इस बात को सदन में रखने के लिए आपने भी और संविधान ने भी मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं इस बात को जोर- शोर से यहां पर उठाऊं। माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष इस बात को उठाऊं। आपके समक्ष इस बात को उठाऊं। अगर मैं इस बात को न उठाऊंगा तो लोग मुझे वहां पर बोलेंगे कि आप इस विषय के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरी विनती है और मैं अधिकारियों को भी यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए रात ही रहनी है तो यह आप गलत सोच रहे हैं। मेरे लिए दिन भी जरूर आएगा। अंत में मैं यह जरूर कहूंगा और यह शेर उन अधिकारियों के लिए पढ़ना चाहूंगा जिन्होंने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है।

**वे एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं।**
**जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, वे हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं।**

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना और मुझे विश्वास है क्योंकि आप हमारे कस्टोडियन हैं। मैंने जो अपनी बात रखी है इसके ऊपर आप संज्ञान लेंगे और सरकार के समक्ष भी इस विषय को उठाएंगे। हालांकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और मुझे परमानेंट बेल मिल गई है। मैं चार बार कोर्ट गया हूं।

**Speaker :** I will protect your interest.

**श्री आशीष शर्मा:** अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने सच में गलत किया है तो आप मुझे सूली में टांग दें।

---

(***)**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

**27.03.2026/1630/DT/DC-2**

**Speaker :** I will protect your interest as a Member of this House. It is my duty to protect the interest of all the Members of this House. It is my duty, I will protect the interests of all the Members.

**श्री आशीष शर्मा:** धन्यवाद महोदय, जय हिंद। जय हिमाचल। जय शंकर महादेव।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्यों के द्वारा इस सदन में जो कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी उतर दें दे। उसके बाद मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें। अगर ये कटौती प्रस्ताव को वापिस नहीं लेंगे तो फिर इन्हें वोटिंग के लिए प्रस्तुत किया जाएगा

**मुख्य मंत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय में माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी जो बोल रहे थे उन गहराइयों में न जाते हुए कुछ बातों को इस मान्य सदन में कहना चाहता हूं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी माईनिंग माफिया का नाम ले रही है, माफिया-माफिया बोल रहे हैं। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि माईनिंग माफिया ने पूरी संपदा को लुट लिया है। विपक्ष हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। मैं कहना चाहता हूं की कोई भी सदस्य अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रदेश की संपदा को लूटेगा, चाहे किसी भी प्रकार से लुटेगा, तो सरकारों का दायित्व क्या होता है? सरकारों को दायित्व होता है कि प्रदेश की संपदा को बचाएं। सरकार हमेशा प्रदेश की संपदा को बचाने का कार्य करती है। हमनें प्रदेश की संपदा को बचाने का कृत-संकल्प लिया है। ऐतिहासिक रिज मैदान में हमनें कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा की शपथ ली है। जहां तक हमारे कर्तव्यनिष्ठा की बात है उसका पालन करते हुए अभी आने वाले समय में हम और भी बड़े खुलासे करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा किसी के साथ व्यक्तिगत द्वेष या व्यक्तिगत विरोध नहीं है। ...(व्यवधान) आप सुन तो लीजिए उसके बाद आप बोल लेना। ...(व्यवधान) हम आपको

थोड़ी बोल रहे हैं ...(व्यवधान) हमारी सरकार ट्रांसपेरंट सरकार है और जो अवैध खनन में संलिप्त होंगे या अन्य किसी अवैध कामों में लिप्त होंगे तो उनके खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जायेगी तभी तो प्रदेश में कानून व्यवस्था मेंटेन होगी। ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष आप कृपा अपने स्थान में बैठे जाइए। ...(व्यवधान)

**27.03.2026/1630/DT/DC-3**

**Speaker** : I am here to look after the interests of all the Hon'ble Members. ...(interruption) That is your political view point. As a Speaker it is my duty to protect the interests of all the Hon'ble Members either from this side (Opposition) or this side (Ruling). I assure all the Hon'ble Members that I will be protecting your interests. **श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**27.03.2026/1635/डी.सी.-एन.जी./1**

**मुख्य मंत्री** : आप (श्री जय राम ठाकुर जी को देख कर कहा) क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं तो वह चीज कह रहा हूं जो सच्चाई है और उसे कहने में क्या कोई हर्ज़ है? ...(व्यवधान) हम सच्चाई कह रहे हैं।...(व्यवधान) जैसे-जैसे फैक्ट्स पता लगते रहेंगे, ...(व्यवधान) हमने रिज मैदान पर सत्यनिष्ठा की कसम खाई है कि सम्पदा को लुटने नहीं देंगे।...(व्यवधान)

**(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)**

**Speaker**: Please take your seats. Order in the House. Let the Hon'ble Chief Minister reply to the Cut Motions. ... ( Interruption) These Cut Motions will be put to vote. ... (व्यवधान) कट मोशन पर वोट होगा और प्रोटैस्ट नहीं।...(व्यवधान) कट मोशन पर वोट होता है, प्रोटैस्ट नहीं होता। Please take your seats. यह बजट डिस्कशन नहीं है, कट मोशन है। इसके ऊपर वोट होगा।...(व्यवधान) Please take your seats. There is no cause for any protest. Please take your seats. ...(व्यवधान)

कट मोशन पर प्रोटैस्ट नहीं होता है। मुख्य मंत्री जी के जवाब के बाद अभी इसमें वोट होगा।...(व्यवधान)I Hon'ble Members (Opposition) you cannot gag the mouth of Hon'ble Chief Minister. ...(Interruption). If you have right to express then Hon'ble Chief Minister has right to reply. If I have to guard the interests of the Members of Opposition then I have to guard the interests of the Ruling Party and of the Hon'ble Chief Minister also. Please take your seats. ...( Interruption). This is undesirable (to Members of Opposition) that you don't want to listen to others. This is not a democratic approach. ...( Interruption). This is not democratic approach, you have said everything and when the Chief Minister wants to reply to that then you are not allowing him to reply. This is not proper. Please take your seats. This gesture is not in the larger interest of the conventions of this House. ...( Interruption). Allow the Hon'ble Chief Minister to speak. You cannot gag the mouth of anybody, everybody has right to express themselves. कोई भी माननीय सदस्य ने कुछ भी बोला है तो उसका जवाब मुख्य मंत्री जी ने देना है। ...(व्यवधान) आपको जवाब सुनना चाहिए।...(व्यवधान) आप बोलने के बाद सुनना ही नहीं चाहते हैं। यह बात ठीक नहीं है।...(व्यवधान) This I will not permit. Nothing will go on record except the reply of the Hon'ble Chief Minister.

**27.03.2026/1635/डी.सी.-एन.जी./2**

I will not allow anything except the reply of Hon'ble Chief Minister to be part of the record. ...( Interruption). Please take your seats. I am not permitting you (Member of Opposition). Neither am I permitting you (Member of Opposition). Please take your seats. ...( Interruption).

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के आपराधिक आंकड़ों और उसके विशलेषण से पाया गया है कि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराधों पर पूरा नियंत्रण है। वर्तमान सरकार के प्रथम तीन वर्षों के कार्यकाल में वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक 56,708 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

**(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)**

जबकि पिछली सरकार के प्रथम तीन वर्ष के कार्यकाल के समरूप अवधि अर्थात वर्ष 2018 से वर्ष 2020 तक कुल 60,148 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व सरकार के कार्यकाल की तुलनात्मक अवधि में अभियोगों के पंजीकरण में लगभग 6 प्रतिशत की कमी आई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान पुलिस की सक्रियता के तहत पूर्व सरकार की तुलना में 39 प्रतिशत मादक पदार्थों के अधिक मामले पंजीकृत हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कहता हूं कि जब ऐतिहासिक रिज मैदान में हम सत्यनिष्ठा व कर्तव्यनिष्ठा की शपथ खा रहे थे तो हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद महज कसम खाना नहीं था बल्कि कसम खाकर सत्ता व प्रशासन पारदर्शी से चलाना था। हमें पता चला कि भ्रष्टाचार हो रहा है, माइनिंग माफिया हमारी खड्डों में से सरकार का टैक्स चुराकर अपना पेट भर रहे हैं।

श्री के0एस0 द्वारा.....जारी

**27.03.2026/1640/केएस/वाईके/1**

**मुख्य मंत्री जारी** ---

सरकार ने उसका संज्ञान लिया और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ऊना में खनन माफिया में, जो यहां अभी चीख रहे हैं, इनके लोग भी सम्मिलित थे। हमने उस कार्रवाई को बंद करने के लिए कहा कि 7.00 बजे के बाद माइनिंग माफिया पर प्रतिबंध लगाया जाए और 7.00 बजे माइनिंग बंद कर दी गई। ये कोई दूध के धूले नहीं हैं। हमें सभी का पता है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह बताना चाहते हैं कि जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा उसको हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर

हमने गलत किया होगा तो न्यायालय है। न्यायालय में दलील दे कर वे अपने को सच साबित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो ये ज्यादा जोर-जोर से बोल रहे हैं, इनको कुछ चीजों का पता होगा तभी ये यहां पर ज्यादा जोर से बोल रहे हैं परंतु अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की कमिटमैंट है कि भ्रष्टाचार और माइनिंग के खिलाफ हम अपनी कार्रवाई को तेज कर रहे हैं।

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करते रहे**)

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऊना में युवक का अपहरण और हत्या हुई। यह पहली बार देखा गया है कि जो भी लोग अपहरण में सम्मिलित पाए गए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और लगभग एक सप्ताह के भीतर सभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। यही नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां भी हत्या हुई, जिसका उदाहरण सत्ती जी दे रहे हैं, हत्या होने के बाद हमने उन सबको पकड़ा, वे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। मेरी सतपाल सिंह सत्ती जी से चर्चा हुई। इन्होंने कहा कि माइनिंग माफिया को बंद करना है। मैंने कहा कि हम प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। उप-मुख्य मंत्री जी से हमारी बात हुई और हमने शाम को 7.00 बजे के बाद अगर कोई भी माइनिंग होती थी ,उसके ट्रकों को पकड़ना शुरू कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि उसको वापिस लिया जाए।

**27.03.2026/1640/केएस/वाईके/2**

**अध्यक्ष :** क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे?

(सम्बन्धित सदस्यों ने इंगित करके अपने कटौती प्रस्ताव वापिस न लेने का संकेत दिया)

तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री जय राम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, बिक्रम सिंह, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल और श्री आशीष शर्मा के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

**(प्रस्ताव गिर गया)**

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।**

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः मु0 17,48,38,69,000 एवं 3,38,00,000 रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

**(प्रस्ताव स्वीकार)**

**मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।**

**श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी** ---

**27.03.2026/1645/av/YK/1**

**अध्यक्ष**------ **जारी**

**मांग संख्या : 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**

अब मैं मांग संख्या : 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को चर्चा हेतु ले रहा हू।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः मु0 27,04,54,01,000/-रुपये एवं मु0 35,19,14,000/- रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस पर श्री जय राम ठाकुर, श्री विपिन सिंह परमार, श्री अनिल शर्मा, श्री बिक्रम सिंह, श्री सुख राम चौधरी, डॉ0 हंस राज, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, श्री विनोद कुमार, श्री रणधीर शर्मा, श्री बलबीर सिंह वर्मा, श्री सुरेन्द्र शौरी, श्री राकेश जम्वाल, श्री इन्द्र सिंह, श्री प्रकाश राणा, श्री जीत राम कटवाल, श्रीमती रीना कश्यप, श्री पूर्ण चन्द ठाकुर, डॉ0 जनक राज, श्री दीप राज, श्री दलीप ठाकुर, श्री त्रिलोक जम्वाल और श्री पवन कुमार काजल माननीय सदस्यों की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं। क्या वे माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहेंगे या मैं इन्हें उनकी ओर से प्रस्तुत हुआ समझूं?

**माननीय सदस्य :** अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

**अध्यक्ष :** कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जिनका टैक्स्ट इस प्रकार है :-

**मांग संख्या: 9 —स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव | मांग संख्या: |
|---|---|---|
| | **नीति का अननुमोदन** | **9** |

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
**"स्वास्थ्य और परिवार कल्याण"**

**27.03.2026/1645/av/YK/2**

की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

1. **श्री जय राम ठाकुर**
2. **श्री विपिन सिंह परमार**
3. **श्री अनिल शर्मा**
4. **श्री बिक्रम सिंह**
5. **श्री सुख राम चौधरी**
6. **डॉ0 हंस राज**
7. **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल**
8. **श्री विनोद कुमार**
9. **श्री रणधीर शर्मा**
10. **श्री बलबीर सिंह वर्मा**
11. **श्री सुरेन्द्र शौरी**

12. **श्री राकेश जम्वाल**
13. **श्री इन्द्र सिंह गांधी**
14. **श्री प्रकाश राणा**
15. **श्री जीत राम कटवाल**
16. **श्रीमती रीना कश्यप**
17. **श्री पूर्ण चन्द ठाकुर**
18. **डॉ0 जनक राज**
19. **श्री लोकेन्द्र कुमार**
20. **श्री दीप राज**
21. **श्री दलीप ठाकुर**
22. **श्री त्रिलोक जम्वाल**
23. **श्री पवन काजल,**

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की शहरी स्वास्थ्य सेवाएं की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।

**27.03.2026/1645/av/YK/3**

अब प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध है। सभी सदस्यों द्वारा इस माननीय सदन में अपने-अपने कटौती प्रस्ताव रखने के उपरांत इस पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जवाब देंगे। उसके उपरांत कटौती प्रस्ताव पर वोटिंग होगी।

इसलिए सर्वप्रथम मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आप अपने कटौती प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखें। ...(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री), आप क्या बोलना चाहते हैं?

**Parliamentary Affairs Minister (Industries Minister) :** Hon'ble Speaker, Sir, only ten minutes are left. As Cut Motion have been moved. Hon'ble Speaker, Sir, request from the Opposition also has come. हमारे सत्ता पक्ष के विधायक भी बोल रहे हैं और विपक्ष के सदस्य भी बोल रहे हैं।

**अध्यक्ष** : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या चाहते हैं कि अभी चर्चा करनी है या मैं दस मिनट्स पहले सदन को स्थगित कर दूं? ...(व्यवधान) फिर आप थोड़ी देर बोल लीजिए।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव कर देता हूं।

**अध्यक्ष** : ठीक है, आप मूव कर दीजिए और आप दस मिनट्स बोल भी सकते हैं। कल मैं आपको फिर से समय दूंगा।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या : 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में हमने विपक्ष की ओर से जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं, मैं उस पर चर्चा के लिए इस माननीय सदन में खड़ा हुआ हूं।

हमने मुख्य मंत्री जी के पहले बजट भाषण को ध्यान से सुना था जहां इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी थीं कि हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र में हाई-एण्ड सुविधाएं देना हैं।

इन्होंने कहा था कि मैं मुख्य मंत्री बनने के बाद जब पहली बार आई0जी0एम0सी0 गया तो देखा कि वहां पर एक-एक बैड पर दो-दो, तीन-तीन मरीज लेटे हैं। अध्यक्ष महोदय, बोलना आसान होता है परंतु करना मुश्किल होता है।

लेकिन मैं आज हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से जहां खड़े हुए देखता हूं यानी

**27.03.2026/1645/av/YK/4**

शायद उस वक्त इनको इस बात की जानकारी नहीं थी। आपने बहुत सारी बातें कही। वर्तमान सरकार का साढ़े तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं जिस प्रकार से नीचे की तरफ गई हैं इससे पहले शायद ही यहां कभी इस प्रकार की स्थिति रही होगी। पूरा देश नयी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ आगे बढ़ रहा है परंतु यदि हम हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में देखें, मुख्य मंत्री जी, मुझे लगता है कि आप आज की तारीख में वहां नहीं गए होंगे?

**टी सी द्वारा जारी**

**27.03.2026/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0-1**

**श्री जय राम ठाकुर.... जारी**

वहां पर जो कैजुअल्टी है, जहां पेशेंट को एकदम इमीडियेटली एक्सीडेंट के बाद लाया जाता है, बीमार होने के बाद पहुंचाया जाता है, आज भी उसकी स्थिति वही है जो साढ़े 3 वर्ष पहले थी। आज भी वहां एक बिस्तर पर 2 या 3 मरीज तक देखने को मिलते हैं। आप अगर हैल्थ सैक्टर में सुविधा देने की बात करें तो स्वाभाविक रूप से आपका बजट प्रोविजन उसके लिए क्या है? आपका बजट पिछले 3 वर्षों में लगातार हैल्थ सैक्टर में कम हुआ है। पहले बजट से दूसरा कम हुआ, दूसरे से तीसरा कम हुआ, तीसरे से अब चौथा कम हुआ है। वर्ष 2025-26 में आपका बजट 3900 करोड़ रुपये था और वर्ष 2026-27 में आपका बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2868 करोड़ रुपये है। यानी एक इसके बजट में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी है। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो बातें आप कह रहे हैं उसमें आपने इतना बजट कम किया है। क्या बातों से हम आगे बढ़ेंगे? क्या भाषण से हम आगे बढ़ेंगे?

दूसरा, आज हम जहां भी जाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब आपकी खबरें अखबारों की सुर्खियां नहीं बनतीं है। 'आई0जी0एम0सी0 अस्पताल में नहीं हो रहे थायरॉयड, शुगर, लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट' यह आपकी कुछ दिन पहले की हेडलाइन की खबर थी। "आई0जी0एम0सी0 में किट न होने से नहीं हो पा रहे हैं पीलिया के टेस्ट", "मरीजों को व्हीलचेयर लेकर भटकते रहे तीमारदार", "आई0जी0एम0सी0 में ग्लूकोज की बोतल टांगने का स्टैंड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा", यह आपकी कंडीशन है। आई0जी0एम0सी0 जो हमारा प्रीमियर इंस्टिट्यूट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, पुरान स्वास्थ्य संस्थान है और स्टेट कैपिटल में स्थित है। "आई0जी0एम0सी0 में नहीं मिल रही दवा हिमकेयर में निराश हुए मरीज वापिस लौटे", आई0जी0एम0सी0 में ओपन हार्ट सर्जरी बंद, मरीज है परेशान", "हिमाचल में बुखार, संक्रमण, मिर्गी और बी0पी0 समेत 38 दवाओं के सैंपल फेल"। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जाएं तो "आई0जी0एम0सी0 में हिमकेयर और आयुष्मान की पेमेंट न होने पर लटके हार्ट के ऑपरेशन", नाहन मेडिकल कॉलेज स्ट्रग्लज अमिट कंस्ट्रक्शन डिलेज"। हिमकेयर के बारे में तो हर रोज

**27.03.2026/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0-2**

खबर आती है। "अल्ट्रासाउंड मशीन का मामला, भुगतान के बगैर सॉफ्टवेयर की खराबी कैसे होगी दूर ", यह भी एक अखबार में खबर लगी हुई है। "चमियाना अस्पताल पहुंचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद प्रदेश उच्च न्यायालय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को लेकर केस की सुनवाई-अधिकारियों के साथ दुःखी हुए वहां की सारी व्यवस्था को देखकर", यह भी एक खबर छपी है।

अध्यक्ष महोदय, हम कितनी बातों का जिक्र करें। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सैक्टर में हैं और एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सैक्टर में है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट हिमाचल प्रदेश में है और ऊना में पी0जी0आई0 सैटेलाइट हॉस्पिटल की सुविधा आने वाले समय में मिलने वाली है।

**एन0एस0 द्वारा ... जारी**

27-3-2026/1655/NS-AG/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

मैं इन सारी सुविधाओं का जिक्र कर रहा हूं, चाहे मेडिकल कॉलेज, चम्बा, नाहन, मण्डी या हमीरपुर की बात हो, अगर ये जमीन पर खड़े होने की दृष्टि से हमें दिखाई दिए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। एम्स, बिलासपुर अगर बहुत तेज गति से बन कर तैयार हुआ है तो स्वाभाविक रूप से यह श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को जाता है। मेरा विषय यह है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रही है? मुख्य मंत्री जी यहां पर कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। हम हाई एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ वर्षों में मेडिकल कॉलेज, चम्बा और हमीरपुर के लिए कुर्सी

व टेबल के टेंडर नहीं हो रहे हैं। क्या यह आपकी जानकारी में है? ...(व्यवधान) फिर वही बात है। आप कल जवाब देंगे। वहां डेढ़ वर्ष से फर्नीचर नहीं है। मेडिकल कॉलेज, चम्बा और हमीरपुर हमारी सरकार के समय में लगभग बन करके तैयार हो गए थे।

**Speaker:** Let him clarify. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister clarify the position. Hon'ble Chief Minister, whether you want to clarify the position? टेंडर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या पॉजीशन है? ...(Interruption) Hon'ble Chief Minister, you to say something or not फर्नीचर के टेंडर हो गए कि नहीं हुए, उसके बारे में बता दें।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, ये खुद असत्य बोलते हैं और दोष हम पर लगाते हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप दुरुस्त कर देते हैं और आपने हिमकेयर का भी 1100 करोड़ रुपये का दुरुस्त कर दिया था फिर भी इन्होंने वेल में आकर नारे लगाए।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज, चम्बा और हमीरपुर के फर्नीचर के टेंडर हमने पहले एच0एल0एल0 को दिए थे और यह अभी 8-9 महीने पहले की बात है। अब हमने कहा है कि इसको हिमाचल प्रदेश सरकार स्वयं करेगी। हमने एच0एल0एल0 को दिए तो उन्होंने कहा कि हम छोटा टेंडर नहीं लगाते हैं। हम पहले भारत सरकार

27-3-2026/1655/NS-AG/2

की एजैंसी को ही दे रहे थे। अब ये टेंडर लग चुके हैं और अगर कोई और त्रुटि नहीं हुई तो एक-दो महीने के अंदर ये सारा फर्नीचर आ जाएगा

**अध्यक्ष** : श्री जय राम ठाकुर जी, आप अपनी चर्चा जारी करें।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, हम क्या कह रहे थे?

**अध्यक्ष** : आप बोल रहे थे कि टेंडर नहीं हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लग गए हैं।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, अब भी बोल रहे हैं कि टेंडर दिया है लेकिन एच0एल0एल0 ने मना कर दिया और अब प्रदेश सरकार स्वयं कर रही है। क्या सरकार ने टेंडर अवार्ड कर दिया है? टेंडर हो गया है तो अभी तक फर्नीचर नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं चम्बा से संबंध रखते हैं और आप इसको खुद वेरिफाई कर सकते हैं।

**अध्यक्ष** : अभी फर्नीचर नहीं आया है। ...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर** : यह कहानी है। कहानी तो यह है कि इसको देना, उसको देना, किसको देना है, यह ही तय नहीं हो पा रहा है।

**अध्यक्ष** : श्री जय राम ठाकुर जी, अब आप अपनी स्पीच को कल रिज्यूम कीजिए। अब समय हो गया है। कल नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी अपनी स्पीच को रिज्यूम कर सकते हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक शनिवार, 28 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

**शिमला-171004** **(यशपाल शर्मा)**
**दिनांकः 27 मार्च, 2026** **सचिव।**